₹ 20
www.kewalsach.com
निर्भीकता हमारी पहचान
फरवरी 2026

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS-35

मुख्यमंत्री के मानस पुत्र
के संरक्षण में कुलपति शाही ने
मगध विश्वविद्यालय को बनाया कोठा!

शिक्षा का मंदिर
या भ्रष्टाचार का अड्डा?

मगध विश्वविद्यालय : एक ऐतिहासिक संस्थान का सुनियोजित पतन

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

www.shruticommunicationtrust.org

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- **Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi**
Mob.- 9431073769

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

जैकी श्रॉप
01 फरवरी 1960

मनोज तिवारी
01 फरवरी 1971

ब्रह्मनंदम
01 फरवरी 1956

खुशवंत सिंह
02 फरवरी 1915

शमीता शेट्टी
02 फरवरी 1979

रघुराम राजन
03 फरवरी 1963

उर्मिला मांदोडकर
04 फरवरी 1974

अभिषेक बच्चन
05 फरवरी 1976

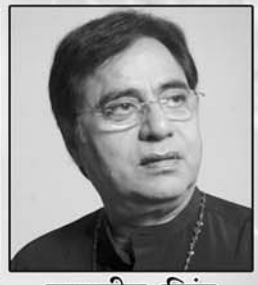

जगजीत सिंह
08 फरवरी 1941

मो० अजहरूद्दीन
08 फरवरी 1963

राहुल रॉय
09 फरवरी 1968

उदिता गोस्वामी
09 फरवरी 1984

कुमार विश्वास
10 फरवरी 1970

चौधरी अजीत सिंह
12 फरवरी 1939

स्व० सुषमा स्वराज
14 फरवरी 1952

टेकलाल महतो
15 फरवरी 1945

रणधीर कपूर
15 फरवरी 1947

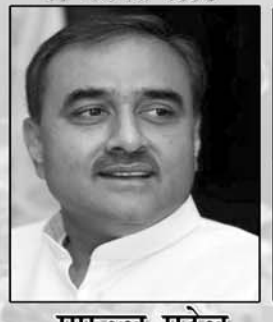

प्रफुल्ल पटेल
17 फरवरी 1957

स्व० जयललिता जयराम
24 फरवरी 1948

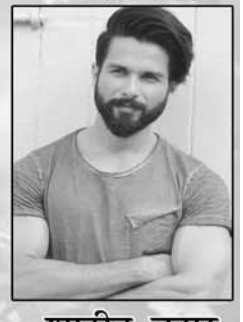

शाहीद कपूर
25 फरवरी 1981

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
COLOUR	Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
	Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
	Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
	Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
	Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
	Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
	Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & W	Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

सीबीआई बनाम बिहार

सीबीआई का बिहार से गहरा संबंध है और सीबीआई जांच के नाम से अब लागों को डर नहीं लगता बल्कि आरोपी खुश हो जाते हैं कि अब लंबे समय तक मुकदमा चलेगा और जुगाड़ के तहत उनका कानून ही सहायता प्रदान करेगी। वैसे तो कई मामले हैं लेकिन सीबीआई चारा घोटाला, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, बीपीएससी और 2026 में अब शंभू गर्ल्स होस्टल मामला को लेकर सुर्खियों में है। आवाम के बीच इस बात की चर्चा चहुंओर हैं कि सीबीआई के पास मामला जाने का मतलब ही है कि किसी न किसी रूप में मामले में राजनेता और राजनीति शामिल है। आईपीएस अमिताभ दास ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का खून जांच करने की मांग की है और यह भी कहा है कि मेरे पास सबूत है और उसी को देने के लिए सीबीआई जाना है। दास को पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। सवाल यह उठता है कि सीबीआई किसी भी उपरोक्त मामले में किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंची? आखिर क्या वजह है कि अब लोगों को सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं रहा? क्या सच में सीबीआई राजनेताओं की हांथ की कठपुतली मात्र है? क्या सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को भी सीबीआई की जांच पर शंका होती है? आखिर किसी जांच में कई दशक सीबीआई को क्यों लग जाते हैं? क्या छात्रा की हत्या का खुलासा हो पायेगा?

— — — — — — —

ब्रजेश मिश्र, संपादक
8340360961, 9431073769

सीबीआई से किसी मामले की जांच होगी की आदेश आते ही लोगों को यह लगने लगता था कि अब इस गंभीर मामले का उद्भेदन हो जायेगा परन्तु वक्त बदलते ही अब सीबीआई से जांच होगा तो अब लोग यह समझने लगे हैं कि किसी को बचाने एवं किसी को फंसाने का खेल शुरू है। ज्ञातव्य हो कि सीआईडी और सीबीआई दोनों की अपनी-अपनी खास खुफिया और जांच एजेंसियां स्थापित हैं, जिन्हें राज्य और केंद्रीय स्तर पर काम करना होता हैं, परन्तु राजनीति एवं प्रशानिक दृष्टिकोण से अति गंभीर और महाजटिल मामलों की जांच में सीबीआई को सीआईडी से ज्यादा लोग भरोसा करते हैं विशेषकर उन मामलों में जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनेता, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, विभिन्न क्षेत्र की हस्तियां, आदि जैसे प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत देश की सर्वोच्च जाँच एजेंसी के रूप में सीबीआई को 1963 में स्थापित किया था। लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में स्थापित सीबीआई निष्पक्ष और योग्य अंवेषण संस्था मानी जाती थी ताकि भारत देश के सबसे बड़े घपले एवं घोटालों की जाँच ईमानदारी से और त्वरित ढ़ंग से हो सके। ऐसे तो कोलगेट घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला, चारा घोटाले, जैन हवाला कांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस, सेंट किट्स जैसे मशहूर और राजनीतिक रूप से ज्वलंत मामलों में इसकी चर्चा होती रही है लेकिन इसी बीच में सीबीआई की विश्वसनीयता पर राजनीतिक दल सवाल उठाने लगे हैं बल्कि इसको सरकारी तोता की उपाधि से नवजा जाने लगा है। पक्ष एवं विपक्ष दोनों को जिसकी केन्द्र में सरकार रहती है उसको ही सीबीआई से मदद मिलता है लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से, सीबीआई देश की ऐसी संस्था है जिसके विश्वसनीयता पर बहुत सारे मामले टिके हुए हैं पर उसकी विश्वसनीयता पर अब आँच आने लगी है। पटना के एक निजी हॉस्टल में रह कर नीट परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत पर बिहार में हंगामा मचा हुआ है। छात्रा को न्याय दिलाने के लिए लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सारे घटनाक्रम को देखते हुए बिहार सरकार ने नीट छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी दी गई है जबकि छात्रा के घरवालों ने इसका विरोध किया था। मृतक छात्रा के परिवार ने न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने सीबीआई को चुना। बिहार में सीबीआई के पिछले कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों ने इस निर्णय पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सृजन घोटाला, जो 2017 में सबके सामने आया। सरकारी फंड को भागलपुर स्थित एक NGO सृजन महिला विकास सहयोग समिति (SMVSS) को धोखाधड़ी से ट्रांसफर किया गया था। यह घोटाला, जिसका अनुमानित मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक है, में 2004 और 2014 के बीच विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए रखे गए फंड की हेराफेरी शामिल थी। एक बड़े राजनीतिक हंगामे के बाद, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया जिसकी जांच अभी भी जारी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला 2018 में सामने आया जिसमें सरकारी शेल्टर होम में कई नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न शामिल था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की एक रिपोर्ट के माध्यम से मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच की। हालांकि मुख्य आरोपी, बृजेश ठाकुर, और कई अन्य को दोषी ठहराया गया था, विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि CBI जांच ने मामले से जुड़े प्रभावशाली लोगों को बचाया है। ज्ञात हो कि 2012 में मुजफ्फरपुर में अपने घर से 12 साल की लड़की नवरुणा अपहरण हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली। हालांकि, 13 साल बाद भी एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। बताते चलें कि 2021 में मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा पंडाल से 5 साल की बच्ची खुशी के अपहरण का मामला भी अभी तक सुलझा नहीं है। स्थानीय पुलिस के कोई सुराग न मिलने के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली। परिवार के सदस्यों के पॉलीग्राफ टेस्ट, संदिग्धों से पूछताछ और फोरेंसिक एनालिसिस सहित बड़े पैमाने पर जांच के बावजूद, पांच साल से ज्यादा समय बाद भी बच्ची का पता नहीं चल पाया है। सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह कहते हैं कि सीबीआई स्वतंत्र इसलिए भी नहीं है क्योंकि वह कानून मंत्रालय के आदेश पर चलती है। अटार्नी जनरल कहेंगे वह सीबीआई के लिए फाइनल है। सीबीआई के पूर्व अधिकारी एनके सिंह का कहना है कि सीबीआई के नेतृत्व की क्षमता उसके स्तर के लिए जिम्मेदार है और सरकार की मंशा भी नहीं है साथ ही ऊँचे पदाधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जाँच करना चाहती है तो नियमों के तहत उसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और वह अनुमति उसे नहीं मिलती। सीबीआई की जांच प्रक्रिया जटिल है या फिर राजनीतिक दवाब में जटिल बना दी जाती है जिसकी वजह से किसी भी मामले का उद्भेदन समय पर नहीं होता और वह जनता के विश्वास जितने में विफल हो जाती हैं, ऐसे में नीट छात्रा को न्याय मिलेगा, यक्ष प्रश्न ही बना हुआ है।

जनवरी 2026

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

गृहयुद्ध

ब्रजेश जी,

जनवरी 2026 अंक में आपने अपने संपादकीय ''कभी भी हो सकता है गृहयुद्ध'' में देश के भीतर चल रहे जातिय भेदभाव पर बहुत ही ज्वलंत एवं गंभीर विषय को समीक्षात्मक ढ़ंग से पाठकों के बीच रखा है ताकि यूजीसी के -40 की राजनीति को लोग आसानी से समझ सके। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से लेकर आज के समय में उनकी जगहसाई के खेल को भी बखूबी लिखा है। आरक्षण एक अभिश्राप है और इसको समाप्त करने के बजाय इसको और जटिल बनाने की कूटनीति को सटीक ढ़ंग से लिखा है।

✦मनीष मिश्रा, खेलगांव कॉलोनी, राँची, झा०

भव्य आयोजन

ब्रजेश जी,

मैं केवल सच पत्रिका का नियमित पाठक हूं और इसके सभी खबरों को पढ़ता हूं। केवल सच पत्रिका का दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का सभी चित्रण किया गया है जो पठनीय है। श्री गुरू गोविन्द सिंह के सम्मान में आयोजित यह विशेषांक वास्तव में गुरू जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। आपकी पत्रिका जात-धर्म से अलग हटकर महापुरूषों के योगदान की सटीक जानकारी युवा पीढ़ी को देने का काम करती है। एक से बढ़कर एक दिग्गजों ने इसमें भाग लिया और लोगों को सम्मानित किया गया। अच्छी खबर है।

✦हरप्रीत सिंह, सिटी चौक, करोलबाग, दिल्ली

नीतीश बनाम नितिन

मिश्रा जी,

केवल सच, पत्रिका के जनवरी 2026 अंक में अमित कुमार का आवरण कथा ''**मुख्यमंत्री नीतीश के बाद नितिन?**'' में बिहार की राजनीति से लेकर केन्द्र की कूटनीति के साथ बिहार का अगला मुख्यमंत्री की रूपरेखा पर उपयोगी खबर को प्राथमिकता के साथ लिखा गया है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का होना बड़ी बात है तथा बिहार में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को नितिन नवीन पर भरोसा जागृत हुआ है और ऐसा कयास लागया जा रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प नितिन नवीन में देखा जा रहा है। खबर की राजनीति गलियारें में काफी चर्चा हो रही है कि नविन पर अमित शाह की पैनी दृष्टि है।

✦ प्रेमशंकर प्रसाद, बाबू बजार, कोलकात्ता

एक से बढ़कर एक

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका के जनवरी 2026 अंक में यूपी के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पत्रकार अजय कुमार एवं संजय सक्सेना की खबरें सही मायने में भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। एसआईआर का भी बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा ठाकुर एवं ब्राह्म्णों के अलग-अलग राजनीतिक बैठकबाजी से योगी की सरकार को हैट्रिक लगाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। चर्चा है कि योगी के बढ़ते कद से भाजपा के भीतर भी काफी परेशानी है इसलिए ऐसी समस्या को जन्म दिया गया है। सही खबरों को समय पर दिया गया है।

✦ संजय सिन्हा, अस्सी घाट, बनारस, यूपी

संकट

संपादक जी,

आपकी केवल सच पत्रिका का खबर काफी जानकारीप्रद है और बिना लाग-लपेट का होता है। जनवरी 2026 अंक में अमित कुमार की खबर ''**कटघरे में लालू परिवार, संकट में राजद का अस्तित्व**'' में लालू परिवार एवं सीबीआई की कार्रवाई सहित राजद परिवार के भीतर के कलह को भी काफी बारीकी के साथ लिखा गया है। लालू यादव को चारा घोटाला एवं सीबीआई के बीच के प्रशासनिक युद्ध का राजनीतिक हस्तक्षेप पर उचित विश्लेषण इस आलेख में किया गया है और राजद के कमियों को भी उजागर किया गया है।

✦ सोहन यादव, शीतलपुर, सोनपुर, सारण

लूट का अड्डा

संपादक जी,

शशि रंजन सिंह एवं राजीव कुमार शुक्ला की खबर में केवल सच पत्रिका के जनवरी 2026 अंक में ''**लूट का अड्डा**'' राजभवन एवं शिक्षा विभाग के मिलीभगत से कुलपति डॉक्टर शाही ने मगध विश्वविद्यालय को बनाया लूट का अड्डा सही मायने में मगध विश्वविद्यालय में महालूट होता ही हैं। शाही बहुत खतरनाक आदमी है तथा इसका जुगाड़ और पकड़ भी तगड़ा है। सावधान रहना चाहिए पत्रकार भाईयों को अन्यथा कोई भी घटना को अंजाम दिलवा सकता है। इस अंक की सभी खबरों को पढ़ा और सब एक से बढ़कर एक खबर लगा।

✦ कौशल राय, जी.बी. रोड, गया बिहार

अन्दर के पन्नों में

ई-मेल पर बम धमकी..... 76

स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर बैठक.....96

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 20	अंक:- 237	माह:- फरवरी 2026	मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन) 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संतोष कुमार यादव 8210487516

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

कुमार अनिकेत 9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-		
(ग्रा०)	:-	मुकेश कुमार	9473038020
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-		
	:-		
गया (श०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9162664468
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-		
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-		
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

.....

.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र 7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

.....

संयुक्त संपादक

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाइईबासा		

● **अमित कुमार**

जब पेट खाली हो, भविष्य धुंधला, तब जाति का गर्व नहीं बल्कि रोटी की लड़ाई सबसे बड़ी होती है और आज केन्द्र की मोदी सरकार ने छात्रों को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां काबिलियत पर नहीं बल्कि पहचान पर लड़ने को मजबूर है। यूजीसी के जरिए जो जातिगत झुनझुना घुमाया गया है, उसपर यह सवाल उठता है कि क्या इसका मकसद सीधे तौर पर युवाओं की एकता को तोड़ना है, जो बीते सालों से पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ एक सुर में बोलने लगे थे। अंग्रेज भी ऐसे ही आए थे। आपस में लड़ा दिया था। लड़ते रहे। दो सौ साल उनके मजे में निकल गए, तो यह सवाल डाउट होता है कि अगर सारे युवा एक साथ मिलकर रोजगार मांगते तो प्रेशर तो आ ही रहा था। क्या इसीलिए जात की दीवार खड़ी कर दी गई कि हक मांगने के बजाय एक दूसरे की जात गिनाने में उलझ जाएं, और फिर साथ कभी नजर ना आएं। यूजीसी का इस्तेमाल आज उन संस्थानों को राजनीति का आखाड़ा बनाने के लिए किया गया है जो कभी अपनी मर्जी, आजादी से चलते थे। रिसर्च के विषयों से लेकर प्रोफेसरों की भर्ती तक हर चीज आज विचारधारा के ठप्पे पर है। शिक्षा के मंदिर को विचारधारा की फैक्टरी बना दिया गया है। जिन युवाओं को दुनिया के बाजार में काबिलियत दिखानी थी, अब कैंपस की गलियों में पहचान बचाने की लड़ाई में झोंक दिया गया है।

बहरहाल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा में समानता बढ़ाने के लिए नया इक्विटी कानून लागू किया गया है। इसके तुरंत बाद छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। क्या है यूजीसी का इक्विटी कानून और क्यों हो रहा इसका विरोध? उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए नए इक्विटी नियम अब देशभर में बहस और टकराव की वजह बनते जा रहे हैं। 13 जनवरी से लागू 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026' को जहां शैक्षणिक सुधार की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनरल

कैटेगरी के छात्रों के बीच इसे लेकर गहरी नाराजगी उभरकर सामने आ रही है। छात्रों का एक वर्ग आशंका जता रहा है कि यह नियम कहीं योग्यता, अवसर और निष्पक्षता के सिद्धांतों को प्रभावित न कर दे। युवा अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने इन नियमों को संविधान की समानता और समान अवसर की भावना के विरुद्ध बताया। शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जांच के नाम पर बनाए गए नियम किसी वर्ग विशेष को प्रभावित कर सकते हैं, जो न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकार के निर्णय बिना व्यापक संसदीय बहस और सामाजिक सहमति के लिए जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दरअसल इसमें खास बात यह है कि अब अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। नए नियम के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में समानता समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। समिति हर छः महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। इसके अलावा अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम अधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं। हर संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ होना अनिवार्य है, ताकि सभी के अधिकार सुरक्षित रहे। यूजीसी के नए रेगुलेशन लागू होने के बाद छात्रों के बीच असंतोष बढ़ गया है। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और छात्रों या शिक्षकों को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। इसी चिंता के चलते जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर 'सवर्ण समाज समन्वय समिति' का गठन किया है, ताकि रेगुलेशन के खिलाफ संगठित विरोध किया जा सके। यूजीसी ने नए ईक्विटी नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि जो भी कॉलेज या विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें संस्थान को यूजीसी की योजनाओं से बाहर करना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लगाना और संस्थान की मान्यता रद्द करना शामिल है। साथ ही यूजीसी के नए नियमों में जातिगत भेदभाव की शिकायत करने का तरीका भी बताया गया है। नियमों के अनुसार, कोई भी पीड़ित छात्र, शिक्षक या कर्मचारी हेल्पलाइन, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वह अपनी कंप्लेंट लिखित रूप में भी दे सकता है। अगर मामला गंभीर और आपराधिक है, तो उसे सीधे पुलिस के पास भेजा जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि अगर शिकायतकर्ता इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह एक महीने के भीतर कॉलेज या विश्वविद्यालय में बनाए गए ऑम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है। वहां तय समय में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, यूजीसी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों का रैंडम इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भी मांगेगा, ताकि नियम सही ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित किया जा सके।

गौरतलब है कि यूजीसी की गाइडलाइन्स के बाद देश में जनरल कैटेगरी नाराज थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन गलती सरकार की थी कि जब ये गाइडलाइन्स तैयार हो रही थी या जो इनको तैयार करवा रहे थे, उस पर सरकार की नजर क्यों नहीं थी? भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कर रहे थे? इसके साथ ही यह जानकर हैरानी होंगी कि यूजीसी की गाइडलाइन्स का ड्राफ्ट तैयार करवाने में एक अहम भूमिका निभाई हैं, इंदिरा जयसिंह नाम की लॉयर ने। जब इनके बारे में आप इतिहास जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये इंदिरा जयसिंह वही हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी को रोकने के लिए पिटीशन दायर करवाई थी कि उनकी फांसी रोक दी जाए। अफजल गुरु वही है जिसने 2001 में संसद पर हमला करवाया था। इंदिरा जयसिंह वही हैं, जो उस टीम में शामिल थी जो याकूब मेनन की फांसी भी रुकवाने के लिए आधी रात को अदालत खुलवा रहे थे। लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी। इंदिरा जयसिंह वही हैं जो निठारी कांड (जो बच्चों को मार के खा जाता था) का आरोपी था सुरेंदर कोहली। इसको छुड़वाने में भी रोल निभाया है। इंदिरा जयसिंह वही हैं, जो वर्तमान में कह रही हैं कि शारीरिक संबंध बनाने की जो उम्र है वो मिनिमम अठारह से घटाकर

धर्मेन्द्र प्रधान

के सोलह कर दी जाए। अगर ऐसा हो गया तो बड़े स्तर पर जो धर्मांतरण हो रहे हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इंदिरा जयसिंह वही हैं, जिन्होंने सेक्शन 377 लागू कराने में पूरी ताकत लगा दी। जिससे होमोसेक्सुअलिटी ज्यादा से ज्यादा इस देश में हो। इंदिरा जयसिंह ने तो निर्भया के आरोपियों को फांसी न हो जाए, उसका भी प्रयास किया था और निर्भया की मां से बोला था कि सोनिया गांधी से सीखते हुए आरोपियों को क्षमा कर दो, जिससे इन्हें फांसी न हो जाए। तब निर्भया के पेरेंट्स ने गुस्सा निकालते हुए कहा था कि इंदिरा जयसिंह ऐसा सजेशन दे रही हैं। निर्भया कांड तो हम सबने सुना है कि 2012 में किस तरह से दिल्ली की एक बस में तेईस साल की लड़की के साथ बर्बरता की गई थी, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। ऐसे आरोपियों की फांसी को भी बचाने का प्रयास कर रही थी इंदिरा जयसिंह और इंदिरा जयसिंह को तो सोनिया गांधी जैसे लोग भी पसंद करते थे। सोनिया गांधी ने इंदिरा जयसिंह को 2009 से 2014 तक एडिशनल सोलिसिटर जनरल बनाकर रखा था, फिर 2014 में मोदी सरकार ने हटाया था। इसके साथ ही इंदिरा जयसिंह एक एनजीओ भी चलाती हैं जिसका नाम है लॉयर्स कलेक्टिव। इस एनजीओ पर आरोप है कि 377 में भी भूमिका निभाई है। कई रोहिंग्या को सिटीजनशिप मिल जाए, इसमें भी भूमिका निभाई है और सीएए के तहत हमारे पड़ोसी देशों से आने वाले हिंदुओं को जो नागरिकता मिल रही थी, वो न मिले, इस पर भी कोशिश करी है और सबसे बड़ी बात, इस एनजीओ को 2007 से 2014 के बीच बत्तीस करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग प्राप्त हुई है और सबसे ज्यादा पैसा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो कि जॉर्ज सोरोस की है और फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त हुआ है। बाद में मोदी सरकार ने इनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया है, जिससे बाहर से फंडिंग प्राप्त ना हो। अब फंडिंग कहां से आ रही है, पता नहीं। इस तरह के लोग न सिर्फ न्यायिक व्यवस्था में हैं, बल्कि रोमिला थापर, इरफान हबीब के रूप में हमें गलत हिस्ट्री की बुक्स भी पढ़ाते आए हैं, जिससे हमारी थिंकिंग गुलामों जैसी ही रहे।

बताते चले कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने संस्थानों के अंदर एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी उस संस्थान के अंदर एससी/एसटी या ओबीसी कैटगरी के छात्रों, शिक्षकों या गैर शिक्षण कर्मियों के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी शिकायतें सुनेंगी और तय समय-सीमा में उसका निपटारा करेगी। देश भर का सवर्ण समाज यूजीसी के इस नियम का विरोध कर रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस संसदीय समिति की सिफारिश पर यूजीसी ने यह कानून बनाया है, उसके अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं। उनके साथ इस समिति में कुल 30 सदस्य हैं जो संसद के दोनों सदनों के हैं। इनमें कई भाजपा के सांसद हैं और सवर्ण समाज से आते हैं। दरअसल, यह सिफारिश शिक्षा, महिला, बच्चों, युवा और खेल पर संसद की स्थाई

इंदिरा जयसिंह

समिति ने की है। इस समिति में 21 लोकसभा और 9 राज्यसभा के सांसद हैं। कुछ नाम तो चौंकाने वाले हैं। दलगत संख्या और प्रतिनिधित्व की बात करें तो इस समिति में भाजपा के 16, कांग्रेस के 4, समाजवादी पार्टी के 3, तृणमूल के 2, सीपीएम के 1, डीएमके के 1, एनसीपी (अजीत गुट) के 1, एनसीपी (शरद गुट) के 1 और आम आदमी पार्टी की 1 पूर्व सदस्य हैं। इसे यूं कहें तो इस समिति में सत्ताधारी भाजपा के सदस्यों की संख्या 50 फीसदी से अधिक है। संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध नामों के मुताबिक इस समिति में राज्यसभा से दिग्विजय सिंह के अलावा भीम सिंह (भाजपा नेता, बिहार से राज्यसभा के सांसद) विकास रंजन भट्टाचार्य (सीपीएम नेता और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद), घनश्याम तिवारी (भाजपा नेता, राजस्थान कोटे से राज्यसभा सांसद), रेखा शर्मा (भाजपा नेता और हरियाणा से राज्यसभा सांसद और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष), सी. सदानंदन मास्टर (केरल भाजपा के उपाध्यक्ष और केरल से राज्यसभा सांसद), सिकंदर कुमार (भाजपा नेता, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद), सुनेत्रा पवार (एनसीपी नेता और अजीत पवार की पत्नी,

UGC के नए 'इक्विटी कमेटी' नियम: संसदीय समिति की संरचना और सिफारिशें

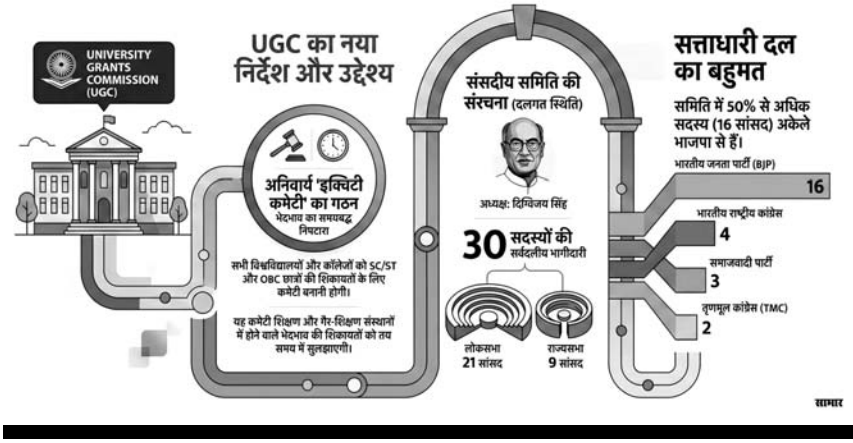

दिग्विजय सिंह

महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद) और स्वाती मालीवाल (आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और दिल्ली से राज्यसभा सांसद) हैं। इसके अलावे इस समिति में लोकसभा सांसदों में कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजित गंगोपाध्याय (भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल से सांसद), पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद, भाजपा नेता सह प्रवक्ता और ओडिशा की पुरी सीट से सांसद संबित पात्रा भी हैं। इनके अलावा बांसुरी स्वराज (भाजपा नेता और नई दिल्ली सीट से सांसद, अमर शरदराव काले (एनसीपी नेता, शरद पवार गुट), अंगोमचा बिमोल अकोईजाम (कांग्रेस पार्टी के नेता और मणिपुर से सांसद), बृजमोहन अग्रवाल (छत्तीसगढ़ से भाजपा के नेता और रायपुर लोकसभा सीट से सांसद), दग्गुबाती पूरनदेश्वरी (आंध्र प्रदेश में भाजपा की कद्दावर नेता और राजमुंद्र सीट से सांसद) दर्शन सिंह चौधरी (भाजपा नेता और मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट से सांसद) के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा अन्य सांसदों में डीएन कुरियाकोसे (कांग्रेस नेता और केरल की इडुक्की सीट से सांसद) वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (कांग्रेस नेता और मुंबई की उत्तर-मध्य सीट से सांसद), हेमांग जोशी (भाजपा नेता और गुजरात की वडोदरा सीट से सांसद), जितेंद्र कुमार दोहरे (समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की इटावा सीट से सांसद), जियाउर्रहमान बर्क (समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की संभल सीट से सांसद), राजीव राय (समाजवादी पार्टी के नेता, यूपी की घोसी सीट से सांसद), कालिपाड़ा सरेन खेरवाल (तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की झारग्राम सीट से सांसद), कामाख्या प्रसाद तासा (भाजपा नेता और असम की काजीरंगा सीट से सांसद), करण भूषण सिंह (भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से सांसद), रचना बनर्जी (टीएमसी नेता और पूर्व अभिनेत्री, पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से सांसद), शोभनाबेन महेंद्र सिंह बरैया (भाजपा नेता, गुजरात की साबरकांठा सीट से सांसद) और थमिझाची थंगापांडियन उर्फ टी. सुमथि. (तमिलनाडु में डीएमके नेता और चेन्नई दक्षिण सीट से सांसद) के नाम शामिल हैं।

बहरहाल, यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। देश की सबसे बड़ी अदालत में बड़े बड़े वकील मौजूद थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत वाली बेंच ने यूजीसी मामले की सुनवाई की। यानी सीजेआई खुद इस बेंच में थे। बेंच में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जोयमाल्या बागची भी थे। बेंच में याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन थे और जबकि याचिका के खिलाफ वकील इंदिरा जयसिंह दलील रख रही थीं। विष्णु शंकर जैन ने कहा, कोर्ट में हम यूजीसी की धारा 3 सी को चुनौती दे रहे हैं, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। नए नियम में यह संकीर्ण और असंवैधानिक है। माना गया है कि भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ होता है। यह बस धारणा है कि सामान्य वर्ग के छात्र के भेदभाव करते हैं। यह धारणा नए नियम का कोई तार्किक संबंध नहीं है। सीजेआई ने कहा, हम केवल संवैधानिकता और वैधता की शुरुआती जांच कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन ने कहा, संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, फिर जाति आधारित किसी नियम जैसे 3 सी को हटाया जाए, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। सीजेआई ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी छात्र ने अपमानजनक भाषा इस्तेमाल की, तो इस प्रावधान में क्या उसका कोई उपाय है? आजादी के 78 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से निकल नहीं पाया। हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? वकील इंदिरा जयसिंह खड़ी हुई। उन्होंने कहा, सवाल जाति या जनजाति पर केवल व्याख्या का है। जस्टिस बागची ने कहा, भारत की एकता शैक्षणिक

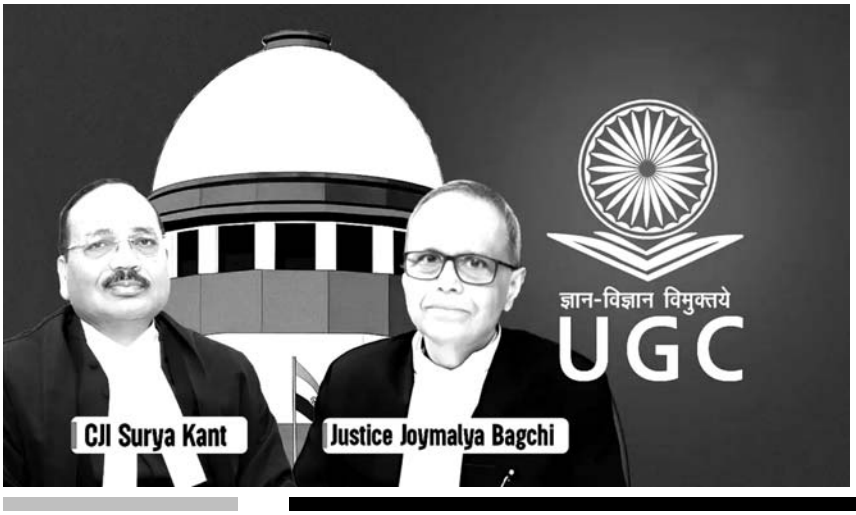

संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। अमेरिका की तरह अलग-अलग स्कूलों में छात्र न पहुंच जाएं, जहां श्वेत और अश्वेत अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। रेगुलेशंस में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि यह कैंपस में एक बहुत बड़ी समस्या है? दूसरे वकील खड़े हुए। उन्होंने कहा, इस पूरे नियम को रद्द किया जाना चाहिए। हम बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव देते हैं। यूजीसी के नए नियम साफ नहीं हैं और दुरुपयोग का अंदेशा रखते हैं। नियम सरकार और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। तब तक 2026 के यह नियम स्थगित रहेंगे और 2012 वाले पुराने नियम जारी रहेंगे। नए ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी गठित की जानी चाहिए, जिसमें दो तीन ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो सामाजिक मूल्य और समस्याएं समझते हों। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3 सी की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं और उनको टारगेट करने का मतलब है कि कहीं न कहीं आप राजनीति कर रहे हैं और 78 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे, हमारे देश में कहीं न कहीं एकजुट रहने की बात जो हमारा संविधान कहता है, उसको कहीं न कहीं उससे अलग है। तत्कालिक अंतरिम रोक लगा दी गई है और तब तक एक तिथि तय की गई है और पुराने नियम को ही तब तक लागू करने की बात हुई है। हम लोगों की जीत है। हालांकि यह जीत तक पूरी नहीं है। विदित हो कि विष्णु शंकर जैन को बहुत सी टीवी डिबेट्स में देखा होगा। वो नियमों के खिलाफ कोर्ट में थे। वकील विष्णु शंकर जैन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सवर्ण उन्हें यूजीसी के नए नियमों पर रोक का सूत्रधार बता रहे हैं। क्योंकि विष्णु जैन ने ही

कोर्ट में नियम रोकने की कड़ी दलीलें रखी हैं और विष्णु जैन के पिता हरि शंकर जैन भी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं और पिता पुत्र की जोड़ी हिंदू पक्ष के सौ से ज्यादा केस की पैरवी कर चुकी है। कहते हैं, विष्णु जैन ने हिंदुओं को उनके अधिकार दिलाने और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया है। तीस हिंदू और जैन मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें आक्रमणकारियों ने तोड़ा। बताया जाता है कि एक केस की फीस वैसे वो बारह से पंद्रह लाख रुपए लेते हैं, लेकिन दावा है कि मंदिरों से जुड़े मामलों में वो कोई फीस नहीं लेते। वैसे विष्णु शंकर जैन ने वकालत सोलह साल पहले शुरू की थी। पुणे के लॉ कॉलेज से डिग्री लेने के बाद वो पिता के साथ प्रैक्टिस करने लगे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा पास की और उसी साल पिता के साथ अयोध्या जन्मभूमि केस में दलीलें रखी। लेकिन पहली बार चर्चा में आए ज्ञानवापी मामले में। उन्होंने ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा पेश किया और संभल की जामा मस्जिद में भी हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। फिर सर्वे टीम के साथ जब वो मस्जिद जा रहे थे, तभी हिंसक झड़प हुई और बाद में खुलासा हुआ कि संभल में विष्णु जैन को मारने की भी साजिश थी। विष्णु जैन ही कोर्ट में दलीलें रख रहे थे। अब चूकि यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है।

सवाल यह है कि 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, लेकिन पूरे देश में इस पर बड़ा बवाल और प्रदर्शन हो चुका है। नियमों को लेकर यूजीसी के नए नियम आकर क्या हैं और उस पर बवाल क्यों हो रहा है? तो बता दें कि यूजीसी के नियम जाति आधारित भेदभाव की नई परिभाषा यूजीसी ने तय की। पहले ऐसे भेदभाव की शिकायत एससी, एसटी कर सकते थे। अब पीड़ितों की कैटेगरी में ओबीसी को और जोड़ दिया गया था। इस पर विरोध ये था कि सामान्य वर्ग को पीड़ित नहीं, बस आरोपी ही माना जा सकता है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग आरोपी ही होगा। उसके खिलाफ शिकायत करने वालों का दायरा और बढ़ जाएगा क्योंकि ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया। छोटी-छोटी बातों पर कोई भी सवर्णों को निशाना बना सकता है। सवर्णों के साथ कोई भेदभाव होगा तो वो आखिर क्या करेंगे? नियम में ऐसा है कि झूठी शिकायत पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। झूठी शिकायत पर पहले जुर्माना या सस्पेंड करने का नियम था, लेकिन कोई सजा न होने से झूठी शिकायत की आशंका बढ़ गई। सवर्णों को लगता है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा सकता है। झूठी शिकायत कर उनकी पढ़ाई को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि झूठी शिकायत करने वालों पर कोई नकेल नहीं होगी। नियम में यह था कि हर संस्थान में समानता समिति बनाया जाना जरूरी होगा और इस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्य जरूरी है। लेकिन सामान्य वर्ग का सदस्य हो न हो चलेगा। हो सकता है, विरोध में लोगों ने कहा, हो सकता है कि समिति में कोई भी सवर्ण न हो। ऐसे में शिकायत पर फैसला एकतरफा हो सकता है। सवर्णों को जानबूझकर दोषी ठहराया जा सकता है। नियम में था कि समानता समिति को पुलिस जैसा अधिकार होगा। शिकायत पर यह चौबीस घंटे के अंदर कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई ना होने पर यूजीसी मान्यता तक रद्द कर सकती है। संस्थानों में ऐसी समिति की सिफारिश की बाध्यता नहीं। चौबीस घंटे में कार्रवाई के दबाव में गलत फैसले होने लगेंगे। बिना पूरी जांच पड़ताल के समिति किसी को भी दोषी बना सकती है। संस्थान आर्थिक मदद या मान्यता के डर से फैसले ले सकती है। अब बड़ा बुनियादी सवाल है कि आखिर नियमों में क्या होना चाहिए, सुधार कैसे होने चाहिए? यूजीसी को क्या करना चाहिए? उच्च शिक्षा में सुधार की जरूरत हर कोई महसूस कर रहा है, यह सच है। सवर्णों का आरोप है कि सुधार के नाम पर बेतुके बदलाव न हों। कोई भी नियम बनाते समय संविधान और समाज का ख्याल रखा जाए। जैसे संविधान सभी की समानता यानी बराबरी की बात करता है, तो फिर उच्च शिक्षा में यूजीसी ऐसे भेदभाव वाले नियम क्यों बना रहा है? जबकि शिक्षा का असली मतलब ही भेदभाव मिटाकर आगे बढ़ना। सामान्य वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं कि नियम सबके लिए एक जैसे हो। जातिगत भेदभाव तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी इसके लिए पीड़ित हो सकता है तो फिर सबको शिकायत करने जैसा अधिकार मिले। नए नियम में झूठी शिकायत पर सजा या जुर्माने का प्रावधान नहीं है। नए नियम से समाज में भेदभाव का दायरा और बढ़ सकता है। हर नियम कानून के दायरे होते हैं तो झूठी शिकायत पर कड़ा प्रावधान जरूरी है ताकि बिना

रोहित वेमुला और डॉ. पायल तडवी एवं इनसेट में डॉ. पायल तडवी की माँ

तथ्य के कोई बेवजह दूसरे छात्रों को निशाना ना बना सके। जिस समिति का नाम समानता है, उसमें सबकी बराबरी की बात नहीं है। उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की तरह सवर्णों का जिक्र क्यों नहीं है? अगर वो समानता समिति है तो फिर वर्गों को बराबरी का हक भी मिलना चाहिए। यह है सुधार की दलीलें और गुंजाइश। इन पर वकीलों की मांग थी कि सेक्शन 3सी को अनकास्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यह जो कानून है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा था। आज हमारी बात को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं हैं, आप इसे और विद्वानों से अदर एकेडमिक से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं, उनको करें। यह आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल में और सही तरीके से कह पाएंगे।

गौरतलब है कि यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर चल रहे विवाद पर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इन नियमों को लेकर की जा रही आलोचना हैरान करने वाली और गलत है, क्योंकि ऐसे रेगुलेशंस 2012 से लागू हैं और इन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बेहतर बनाया गया है। इंदिरा जयसिंह के मुताबिक, नए नियम पहले से ज्यादा मजबूत हैं और कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 की भावना के अनुरूप हैं। इस पर एडवोकेट नीरज सिंह का कहना है कि यूजीसी द्वारा किया गया ये वर्गीकरण भेदभाव वाला है। उनके मुताबिक यह नियम एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के साथ दुश्मनी पूर्ण और उन्हें बाहर करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ है। इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट से ये मांग की है कि यूजीसी के नियमों की धारा 3 को असंवैधानिक घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएं। उसी आदेश के तहत यूजीसी ने ये नए नियम बनाए हैं। वही इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्हें इस आलोचना पर हैरानी हो रही है, क्योंकि ऐसे नियम 2012 से ही मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 2019 में दो माताएं कोर्ट गई थीं, जिनका कहना था कि पुराने नियम एससी/एसटी छात्रों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तब से सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे

पर नजर बनाए हुए है। उनके मुताबिक नए नियम 2013 के पुराने नियमों से बेहतर हैं, और इन्हें कोर्ट की निगरानी में तैयार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो सोच और रुख है, वही इन नए नियमों में भी दिखाई देता है। इंदिरा जयसिंह ने साफ कहा कि उन्हें इसमें शिकायत की कोई वजह नजर नहीं आती बल्कि उल्टा, कुछ याचिकाकर्ता तो यह कह रहे हैं कि नियम अब भी एससी/एसटी को पूरी तरह सुरक्षित नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि अब इन नियमों का दायरा बढ़ाकर निजी विश्वविद्यालयों तक कर दिया गया है। उनके अनुसार, ये नियम संविधान के अनुच्छेद 15 की सामान्य भावना और आदेश के अनुरूप हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियमों की जो आलोचना हो रही है, वह पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। जब उनसे पूछा गया कि राजनीतिक विवाद को अलग रखते हुए क्या इन गाइडलाइंस को अब कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि कुछ याचिकाएं पहले ही दाखिल हो चुकी हैं। साथ ही, ये गाइडलाइंस खुद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बनाई गई हैं। इस पर इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक, सभी मुद्दों पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं में बहस हो रही है। जो भी कहना है, वो उन्हीं याचिकाओं में कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये अकेला मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक कोऑर्डिनेट बेंच उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या के मामलों पर भी सुनवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जब पूरा डेटा सामने आएगा तो यह साफ हो जाएगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों, खासकर IITs में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले अनुपात से कहीं ज्यादा हैं। अगर पूरे हालात को एक साथ देखा जाए तो यह साफ होता है कि इन समुदायों के पास यह कहने की पर्याप्त वजह है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है।

बहरहाल, यूजीसी की नई गाइडलाइन देखने के बाद दावा किया जा रहा है कि चाल चलने के मामले में केंद्र सरकार भारतीय शतरंज के माहीर डी. गुकेश से कहीं आगे है। मतलब एक तरफ तो बीजेपी सरकार हिंदुओं से आह्वान करती है कि बंटोगे, तो कटोगे और दूसरी तरफ इस तरह की गाइडलाइन लाकर हिंदुओं को ही जाति के आधार पर और बांटने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इससे पहले कि हम नियमों को लाने के पीछे की राजनीतिक मंशा पर बात करें, पहले ये समझ लेते हैं कि नए नियम क्यों बने? बता दें कि रोहित वेमुला और डॉ. पायल तडवी की

माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2025 में यूजीसी को फटकार लगाते हुए कहा था कि 2012 के पुराने नियम भेदभाव रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी इस बारे में सिफारिशें की थीं। उन्हीं में से कुछ सिफारिशें विवाद की वजह बनी हैं। इस नियम के तहत अगर झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, जबकि पहले ये था। कमेटी का मानना था कि झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान छात्रों को डराने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। अब इस पर भी सवर्ण छात्रों का कहना है कि इससे तो झूठी शिकायत करने वाले के मन में कोई डर ही नहीं रहेगा। वो तो किसी पर भी कैसा भी इल्जाम लगा सकते हैं और दोष सिद्ध न होने पर भी बेफिक्र घूम सकते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी शिकायत है कि नए नियमों में सवर्ण छात्रों को शिकायत का अधिकार ही नहीं दिया गया। मतलब उनके साथ अगर किसी तरह का भेदभाव होता है, तो उनके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो इसकी शिकायत कमेटी को कर सकें। वो सिर्फ पुराने सामान्य नियमों, जैसे कि छात्र शिकायत निवारण नियमावली या एंटी-रैगिंग नियमों का सहारा ले सकते हैं। उनके लिए जातिगत भेदभाव के खिलाफ कोई विशेष सुरक्षा कवच इन नए नियमों में नहीं है, जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) सभी नागरिकों को समान सुरक्षा देता है। ऐसे में केवल कुछ वर्गों के लिए विशेष भेदभाव- विरोधी नियम बनाना और सवर्णों को इससे बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। इसी तरह एससी-एसटी एक्ट में भी 68 से 75 फीसदी मामलों में कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाता। बहुत सी शिकायतें सिर्फ आपसी झगड़े में या द्वेष की भावना से करवा दी जाती हैं। क्या हम नहीं जानते कि विष्णु तिवारी जी के साथ क्या हुआ। किस तरह एससी- एसटी एक्ट में झूठे केस में उन्हें 20 साल तक जेल में रहना पड़ा। इस दौरान उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका केस लड़ने के चक्कर में घरवालों की जमीन बिक गई और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इन नियमों के बाद सवर्ण जाति के लोगों में बीजेपी को लेकर खासतौर पर गुस्सा है। उनका कहना है कि एक तरफ तो बीजेपी मुसलमानों का हवाला देते हुए कहती है कि बंटोगे, तो कटोगे। लेकिन वही बीजेपी बाद में इस तरह के प्रावधान लाकर हिंदुओं के बीच फूट डालती है। एक तरफ संघ हिंदुओं से कहता है कि अपनी जाति छोड़ो और खुद को सिर्फ हिंदू मानो। दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे फूट डालने वाले नियम लाकर हिंदुओं के बीच जातिगत भेदभाव को और पुख्ता करती है और क्यों? क्योंकि हर पार्टी की तरह बीजेपी भी अंततः ये देख रही है कि उसके लिए बड़ा वोट बैंक कौन-सा है। ओबीसी, एससी, एसटी का कुल वोट बैंक टोटल वोट बैंक के दो-तिहाई से ज्यादा हैं। सवर्णों की गिनती इसके मुकाबले कहीं नहीं होती। 2024 के चुनावों में कुछ पार्टियों ने ये नैरेटिव गढ़ दिया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इसके बाद इस वर्ग में उसे लेकर संदेह है। ऐसे में बीजेपी को लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि हम दिखा पाएं कि हम तुम्हारे सबसे बड़े सगे हैं। जानकारों का मानना है कि नए नियमों को लाने के पीछे की सारी सोच इसी घोर राजनीतिक नफे-नुकसान से उपजी है और इसी बात का सवर्ण वोट बैंक को सबसे ज्यादा गिला और गुस्सा है। मतलब जिस बीजेपी को कल तक सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, जिन सवर्णों ने एकमुश्त वोट देकर बीजेपी को उसके पांवों पर खड़ा किया, उसे लगता है कि आज सत्ता में पैर जमाने के बाद वही बीजेपी ऐसे नियमों के जरिए सवर्णों पर ही जुल्म ढा रही है। बीजेपी ने उसे एक टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। अब इस वर्ग का गुस्सा चुनावों में किस रूप में दिखाई देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हां, गुस्सा तो है। यह स्थिति तब है जब आप देखें कि सामान्य वर्ग, वो वर्ग है जो भर भर के बीजेपी को वोट देता है। जनरल कैटेगरी अपना कलेजा इनके लिए निकाल कर दे देती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हिंदू जनरल कास्ट ने 53% वोट दिया था। मतलब आधे से ज्यादा जनरल कास्ट के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और 2019 में भी यही था। लेकिन हिंदू अपर ओबीसी ने 39% दिया था और हिंदू लोअर ओबीसी ने 49% वोट किया था। अगर आप 2019 के चुनाव से कंपेयर कीजिएगा तो अपर ओबीसी ने 41% वोट दिया था, यानी माइनस टू परसेंट हो गया। 2024 में हिंदू लोअर ओबीसी ने 48% वोट दिया था बीजेपी को, जो बढ़कर 49% हुआ। ये लोकनीति सीएसडीएस के आंकड़े हैं, तो अगर आप कंपेयर भी कीजिएगा तो जनरल कास्ट आपके साथ हमेशा खड़ा मिलता है और इसलिए उसको नाराजगी लग रही है कि जब यहां सब एक होकर वोट देते हैं तो आप क्यों जनरल कास्ट को अलग करके देख रहे हैं।

विष्णु तिवारी

गौरतलब है कि अपने ही पदाधिकारियों और अफसरों के इस्तीफे का मार झेल रही बीजेपी के भीतर भारी संकट का माहौल है। ताबूत में यूजीसी का यह काला कानून

अब आखिरी कील साबित होने जा रहा है। यूजीसी के नाम पर मेरिट की हत्या, सवर्ण छात्रों के गले में फांसी का फंदा डालने वाली मोदी सरकार का असली और डरावना चेहरा बेनकाब हो चुका है। सवर्ण खुले कह रहे हैं कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। सवर्णों के वोट को घर की खेती और खैरात समझने वाली बीजेपी को ऐसा झटका देने की तैयारी की जा चुकी है, कि सारा गुमान गोते खाकर सर छुपा लेगा। विश्वगुरु बनने का ढोंग करने वाली बीजेपी सरकार का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। यूजीसी के नाम पर नफरती बीज बोने वाली सरकार को यूपी ने करारा जवाब दिया है। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वालों ने सवर्ण समाज के विनाश की पटकथा लिख दी है। यह जो यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया है, यह कोई साधारण नियम नहीं है। यह जनरल कैटेगरी के छात्रों के गले की फांसी का फंदा है, जिसे खुद मोदी सरकार ने तैयार किया है। बीजेपी को लगता था कि सवर्ण तो उनका बंधुआ मजदूर है, वह कहां जाएगा? लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस काले कानून की एक-एक धारा सवर्ण विरोधी मानसिकता की गवाही दे रही है। यूजीसी के नए नियम कहते हैं कि कॉलेजों में इक्विटी सेल बनेगा। यह सेल असल में सवर्ण छात्रों को प्रताड़ित करने का सरकारी अड्डा होगा। ओबीसी को आरक्षण था, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उन्हें एट्रोसिटी एक्ट जैसा हथियार थमा दिया गया है। अगर अब क्लास में किसी सवर्ण छात्र ने अपनी मेधा या मेरिट की बात कर दी तो उसे जेल भेजने की तैयारी होगी। यह कानून सीधे तौर पर मेरिट की हत्या है। बीजेपी सरकार ने शिक्षा के मंदिरों को जातिगत नफरत का अखाड़ा बना दिया है। यह वही लोग हैं जो कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते थे। आज बीजेपी तुष्टिकरण के मामले में कांग्रेस की भी बाप बन गई है। सिर्फ कुछ ओबीसी वोटों के लालच में बीजेपी ने अपने मूल वोटर के पेट पर लात मार दिया है। क्या जनरल कैटेगरी का छात्र इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? इस बिल ने साबित कर दिया कि बीजेपी के लिए हिंदू एकता सिर्फ एक चुनावी जुमला है। जब वोट चाहिए तो हिंदू एक हो जाता है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो सवर्णों को दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो जो हो रहा है, वह सिर्फ बीजेपी के लिए ट्रेलर है। बीजेपी के अपने ही घर में आग लग चुकी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के 11 पदाधिकारियों का इस्तीफा कोई छोटी घटना नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी अब अपनी ही सरकार से घिन करने लगा है। बख्शी का तालाब के मंडल महामंत्री आलोक तिवारी ने जो इस्तीफा दिया, वह सवर्ण समाज की चीख है। आलोक तिवारी ने साफ कर दिया कि वह ऐसी पार्टी की गुलामी नहीं कर सकते, जो उनके बच्चों का भविष्य रौंद रही हो। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि उसके राज में उसके अपने पदाधिकारी अपमानित महसूस कर रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। एक पीसीएस अधिकारी अपनी नौकरी को लात मार रहा है, क्योंकि उसे अपना धर्म और समाज प्यारा है। अलंकार अग्निहोत्री ने साफ कहा कि शंकराचार्य का अपमान और यूजीसी के काले नियम उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। बीजेपी जो खुद को धर्म के ठेकेदार बताती है, आज उसी के राज में संत समाज और सवर्ण रो रहे हैं। शंकराचार्यों का अपमान करना और फिर रामराज्य की बात करना बीजेपी का सबसे बड़ा पाखंड बन चुका है। यह पार्टी दोमुंही है, जो राम का नाम लेती है लेकिन काम रावण जैसा कर रही है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को डराने के लिए यह नियम लाया गया, ताकि वह कभी सवाल न पूछ सकें, ताकि वह हमेशा दबे कुचले रहें। क्या यही है बीजेपी का न्यू इंडिया? जहां योग्यता को अपराध माना जाएगा और जाति को योग्यता से ऊपर रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर आईटी सेल के लोग चाहे जितना बचाव कर लें, सच नहीं छिप सकता। सच यह है कि बीजेपी अब सवर्ण मुक्त भारत बनाना चाहती है। उसे लगता है कि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन पर जितना चाहे जुल्म कर लो। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी का यह घमंड चकनाचूर कर देगा। गांव-गांव में विरोध के सुर उठने लगे हैं। सवर्ण समाज अब नोटा दबाने या विपक्ष को वोट देने की तैयारी कर रहा है। यह बिल जातियों को बांटने वाला बिल है। क्लासरूम में अब छात्र पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे की जाति देखकर बात करेंगे। प्रोफेसर भी डरेंगे कि कहीं किसी छात्र को डांट दिया तो इक्विटी सेल में शिकायत हो जाएगी। यह शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की सोची समझी साजिश है। बीजेपी ने सवर्णों के साथ गद्दारी की

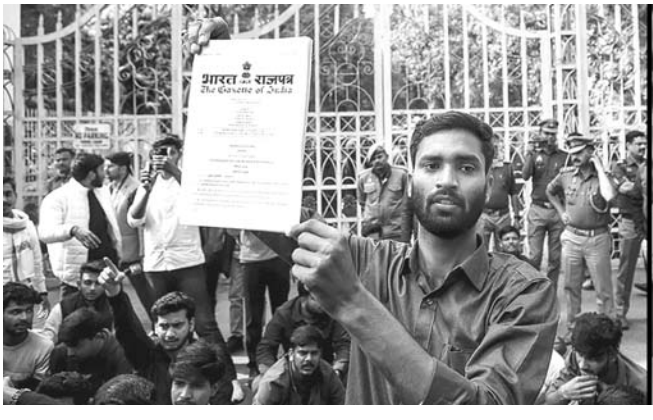

भारतीय जनता पार्टी

अंकित तिवारी

सेवा में,
माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी,
जिला– लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

यू0जी0सी0 कानून के विरोध में

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं अंकित तिवारी वर्तमान मण्डल महामंत्री, कुम्हरावां, भारतीय जनता पार्टी, 169 विधान सभा, कल्ली का तालाब, अपने समस्त पदों से इस्तीफा देता हूँ क्योंकि जो हमारे प्रेरणा श्रोत आदरणीय प0 दीन दायल उपाध्याय जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया था उस पद से पार्टी भटक रही है पार्टी के श्रेष्ठ पदाधिकारीयों के द्वारा यू0जी0सी0 कानून लागू करके हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है जिसको देखते हुये मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ और पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नही हुगाँ। और मेरे साथ कुछ पदाधिकारीगण अपना सामुहिक इस्तीफा दे रहे है जिनके नाम नीचे दिये गये है।

पदाधिकारी के नाम	पद	हस्ताक्षर
1. आलोक सिंह	मण्डल उपाध्यक्ष	
2. महावीर सिंह	मण्डल मंत्री	
3. मोहित मिश्रा	शक्ति केन्द्र संयोजक	
4. नेत्र प्रकाश सिंह	शक्ति केन्द्र संयोजक	
5. नीरज पाण्डेय	शक्ति केन्द्र संयोजक	
6. अनूप सिंह	युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष	
7. राज विक्रम सिंह	युवा मोर्चा मण्डल महामंत्री	
8. अभिषेक अवस्थी	पूर्व मण्डल मंत्री	
9. विवेक सिंह	बूथ अध्यक्ष	
10. कमल सिंह	पूर्व सेक्टर संयोजक	

भवदीय
अंकित तिवारी
मण्डल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी
कुम्हरावां मण्डल

है। जिस विश्वास के साथ 2014 और 2019 में वोट दिया गया, उस विश्वास की हत्या हुई है। आज सवर्ण छात्र खुद को ठका हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि आरक्षण की आग कम थी, जब यह नया कानून थोप दिया गया। इस कानून का दुरुपयोग होगा, यह बात सरकार भी जानती है। जैसे दहेज और एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, वैसे ही अब इक्विटी सेल का भी दुरुपयोग होगा। हजारों बेगुनाह छात्रों का करियर बर्बाद होगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी होगी। जो पार्टी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर घूमती है, उसने राष्ट्र की नींव को ही कमजोर कर दिया है। जातिवाद का जहर घोलकर कोई भी देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। बीजेपी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए समाज के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं। आलोक तिवारी और अलंकार अग्निहोत्री तो बस शुरुआत है। अभी तो पूरी बीजेपी खाली हो जाएगी, अगर यही हाल रहा तो, सवर्ण समाज का गुस्सा अब सड़कों पर और दिखेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ नियमों की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज सवर्ण समाज चुप रहा तो कल उसके बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने मान लिया है कि सवर्ण कायर हैं, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि सवर्ण जब अपनी पर आता है तो सल्तनत हिला देता है। यूपी का चुनाव बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस काले कानून की कीमत बीजेपी को सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ेगी। ढकोसला करने वाली पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। इसके लिए विकास का मतलब सिर्फ अपने चहेते वोट बैंक को खुश करना है, बाकी जनता भाड़ में जाए। इक्विटी रेगुलेशन 2026 सवर्णों के खिलाफ एक अघोषित युद्ध की तरह है और इस युद्ध का ऐलान खुद मोदी सरकार ने किया है। अब जवाब देने की बारी समाज की है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा जो पार्टी हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। यूजीसी का यह बिल वापस लेना ही होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि सवर्ण समाज अब जाग चुका है।

विदित हो कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सवर्ण समाज में उबाल नहीं थम रहा। एक नहीं, तीन पॉइंट पर उठ रहे सवाल हैं। इतना कहे कि अब तो योगी भी हो गए हैं यूजीसी को लेकर परेशान। यूजीसी को ढाल बनाकर केन्द्र ने चाल चली चुपचाप। सवर्णों ने मोर्चा संभाला तब जाकर थमी बवाल की आंच। यह कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि जब सवर्ण समाज के लोगों ने हुंकार भरी तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी और केन्द्र से जवाब तलब किया, लेकिन अभी भी यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि बाहर से भले ही हालात सामान्य दिख रहे हों, लेकिन अंदरखाने बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। कहीं मिठाइयां बंटी तो कहीं यह कहा गया कि यह खुशी अभी अधूरी है। सवाल यही है कि क्या यह फैसला अस्थायी रहता है या फिर यह सिर्फ एक सांस लेने का मौका है। क्योंकि अदालत ने नियमों को रद्द नहीं किया, सिर्फ रोक लगाई है और सरकार से जवाब मांगा है। यही बात सवर्ण समाज की चिंता को खत्म नहीं होने दे रहा। फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में जश्न का माहौल जरूर दिखा, लखनऊ, गोरखपुर जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आये। लड्डू, पेड़ा बांटे गए और इसे न्याय की जीत बताया गया। साधु संत, छात्र संगठन खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन इस जश्न के बीच एक डर भी तैर रहा था। लोग कह रहे थे, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है और तब तस्वीर बदल भी सकती है। यही वजह है कि खुशी के साथ साथ सावधानी भी नजर आई। असल मुद्दा यूजीसी के उन नियमों से जुड़ा है, जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों के लिए लाए गए थे। सरकार का कहना था, इससे कमजोर वर्ग को सुरक्षा मिलेगी। लेकिन सवर्ण समाज का कहना था कि नियम बहुत खुले हैं और कोई भी झूठी शिकायत करके किसी को फंसा सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी खटकती है। कोर्ट ने कहा कि नियम पहली नजर में साफ नहीं और इनके गलत इस्तेमाल की आशंका है। जब मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि ''क्या हम फिर से पीछे जा रहे हैं', तो स्वर्ण समाज को लगा कि उनकी बात सुनी गई है। इस विवाद ने राजनीति को भी झकझोर दिया। विरोध सिर्फ सड़क तक नहीं रुका, बल्कि बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गया। नारे लगे, पोस्टर लगे, वोट न देने की बातें सामने आई। कई सांसद और मंत्री कैमरे के सामने बोलने से बचते दिखे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस आंदोलन में नेताओं से ज्यादा साधु, संत और धार्मिक चेहरे आगे दिखे। बागेश्वर धाम से लेकर बड़े संतों तक ने कहा कि ऐसे नियम समाज को बांट सकते हैं। विपक्ष ने भी संतुलन की बात कही। अब इस पूरे मामले में तीन बड़े सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सवर्ण समाज का गुस्सा सच में ठंडा हो जाएगा या यह सिर्फ कुछ दिनों की शांति है?

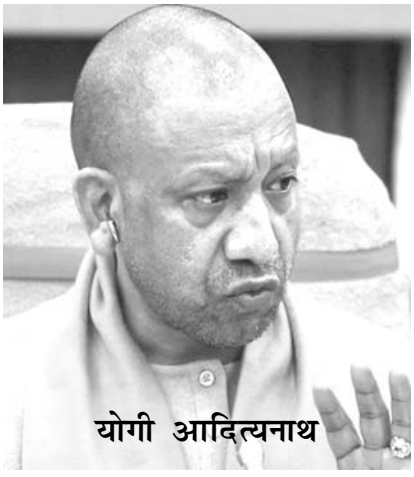
योगी आदित्यनाथ

दूसरा सवाल यह कि जिन नियमों को रोका गया, उनसे जुड़े पिछड़े और वंचित वर्ग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। तीसरा सवाल सरकार की चुप्पी को लेकर है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोई भी तीखा बचाव नहीं दिखा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार पहले से समझ चुकी थी मामला संवेदनशील है, इसलिए टकराव से बचा गया। अब नजर 19 मार्च पर टिकी है, तब तक 2012 का पुराना नियम लागू रहेगा और नया ढांचा ठंडे बस्ते में रहेगा, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया पर गुस्सा अब भी दिख रहा है। कोई कह रहा है कि यह जीत है तो कोई कह रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। सवाल यह भी है कि क्या आने वाले चुनावों में इस मुद्दे का इस्तेमाल जातीय समीकरण साधने के लिए किया जाएगा। योगी सरकार के सामने भी चुनौती साफ है। संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि कोई वर्ग नाराज न हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन विवाद अभी जिंदा है और अगली सुनवाई तक सियासत और समाज दोनों में हलचल बनी रहने वाली है।

गौरतलब है कि यूजीसी को लेकर इस विरोध की तस्वीरों के बीच एक सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को हिला कर रख दिया है। यूजीसी एक्ट को लेकर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, इस नाराजगी का। इस सर्वे ने जो दावा किया है, उसने संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश छोड़िए, देश में उसका नुकसान किस हद तक उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के हाथ से उत्तर प्रदेश की सत्ता खिसकना लगभग तय है और अगर यह विवाद शांत नहीं हुआ, अगर कदम पीछे नहीं खींचे तो फिर बीजेपी की नैया डूबना तय है! सबसे पहले कुछ आंकड़े हैं। अब ये आंकड़े ऐसे क्या हैं, जो पार्टी को हिला देंगे? हम पहले इन आंकड़ों पर ही आते हैं। सीधा उत्तर प्रदेश की सियासी कहानी को कैसे ये विरोध की तस्वीरें गड़बड़ा रही हैं? अंदर ही अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है और कैसे ये खतरे की घंटी बन रही हैं। सी वोटर लेटेस्ट सर्वे में जनता से सीधा सवाल पूछा गया था, इसी एक्ट को लेकर कि भाई आपको क्या लगता है? यूजीसी के नए नियम सवर्णों के खिलाफ हैं क्या? इस सवाल को लेकर सौ में से 65% लोगों ने कहा कि हां, बिल्कुल ये गलत है और वही ऐसा नहीं कहने वाले महज 31% लोग थे। अब सर्वे में एक और सवाल पूछा जाता है। सवाल ये कि क्या नियमों से यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत तनाव पैदा होगा? मतलब कि क्या जातिगत तनाव पैदा होगा इस एक्ट से। तब आंकड़ा आया 66% लोगों ने कहा कि हां, बिल्कुल छात्रों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी, कैंपस में जातिगत हिंसा होगी और वहीं दूसरी तरफ 32%, का जवाब था नहीं। लेकिन हां

सीजेआई सूर्यकांत

बोलने वाले यहां भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अब जो तीसरा सवाल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि राजनीतिक लिहाज से इसी सवाल ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। पूछा गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को देखते हुए ये आंकड़ा काफी अहम है। सवाल था क्या इसका असर पड़ेगा? 60% लोगों ने कहा कि हां, बिल्कुल। नियमों से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को चुनाव में नुकसान होगा, वोट नहीं करेंगे। यानी 60% ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। वही 35% लोगों ने कहा कि नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये आंकड़ा गहराई से समझिए। क्यों यूजीसी का यह विवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दोधारी तलवार बन गया है? अब ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को तो अब स्टैंड लेना है। कर्णी सेना हो, अखिल भारतीय

क्षेत्रीय महासभा है, ब्राह्मण महासभा है, परशुराम सेना है। ये सब सड़कों पर है। उन्होंने सड़कों पर उतरकर आंदोलन खत्म नहीं किया। सोशल मीडिया पर एक अलग लड़ाई चल रही है और तैयारी हो रही है एक बड़े आंदोलन की। जो आक्रोश सर्वे में दिखाई दे रहा है, सड़कों पर दिखाई दे रहा है, वो वोट की चोट में भी तब्दील हो सकता है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा केंद्र है इस पूरे विरोध का। अगर आप गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर नाराजगी नहीं होती तो बीजेपी नेता, पदाधिकारी एक साथ ग्यारह-ग्यारह, दस-दस इस्तीफे क्यों देते? क्यों इस तरह प्रदर्शन हो रहा होता? वो तस्वीरें याद करिए जो थी हापुड़ की, जहां पर नारे लग रहे थे कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं।

कभी आपने सुना बीजेपी का कार्यालय घेर कर बीजेपी के ही कार्यकर्ता नारे लगा रहे हों। यानि सुप्रीम कोर्ट का स्टे। उसके बावजूद बीजेपी के लिए कैसे मुसीबत? यूजीसी के नए नियमों को अगर बीजेपी सही बताती है, तो सवर्णों की नाराजगी झेलनी होगी। पहली बात, सवर्ण संगठन 19 मार्च तक अपने आंदोलन को खत्म करने को तैयार नहीं है। सवर्ण संगठनों ने साफ तौर पर चाहे वो राजपूत समाज हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कायस्थ हो या फिर इसके साथ साथ खत्री समाज। इतना ही नहीं मुसलमानों के जो स्वर्ण जाति के संगठन हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए। सरकार नियमों को वापस लेने का कदम अगर उठाती है तो एससी, एसटी, ओबीसी इसका विरोध करेगा, यानी दोनों तरफ विरोध। ऐसे में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी उस दोराहे पर खड़ी हो गई है जहां पर सवर्ण जो उसका अपना परंपरागत वोट, जो वोट की गारंटी थी, उससे खिसक गया और दूसरी तरफ दलित, ओबीसी वो अब चुनौती दे सकता है। यानी सियासी बैलेंस बनाना अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए। अब सामाजिक आधार पर सवर्ण जाति के जो वोटर हैं, बीजेपी को यह सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो जो उसके अपने वोटर हैं, वही खिसक जाएं और यही आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और यह विरोध प्रदर्शन का नुकसान बीजेपी अब झेलने को तैयार है या नहीं। यह एक बड़ा सवाल है। वही सीएसडीएस लोकनीति का एक सर्वे है और सर्वे में यह बात निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री को युवा किस-किस तादाद में वोट कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन अनपढ़ या कम पढ़े लिखे युवाओं की तुलना में पढ़े लिखे वर्ग में अधिक था। 2014 में 66% युवाओं ने एकमुश्त वोट किया। 18 से 25 साल के युवाओं का वोट प्रतिशत 70% तक था। बीजेपी को 34% युवाओं ने वोट किया था, जबकि कांग्रेस

को महज 19% पढ़े-लिखे वोटर्स ने वोट किया था। यानी कि युवाओं ने मोदी को भर-भर के वोट किया। मगर अब वही युवा और वही यूजीसी को लेकर सवर्ण जाति नियमों के विरोध में, यूजीसी के नियमों के विरोध में सड़कों पर है और बीजेपी इसे संभाल पाने में अभी तक तो नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके अपने नेता इस्तीफा दे रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। अब यहां पर सियासी गणित को समझना होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातियों पर आधारित है। यूजीसी विवाद की जो नई लकीर खींची है, चाहे वह ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, वैश्य हों। इनका आंकड़ा है 22%, 22% और यह 22% अगर वोट भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया और जो आक्रोश दिखाई दे रहा है और जो कहा जा रहा है कि भैया हम वोट नहीं करेंगे आपको। ऐसे में ब्राह्मण पहले से नाराज हैं यूजीसी विवाद से, अब ठाकुर भी नाराज, कायस्थ भी नाराज हैं। अब सवर्ण समाज की नाराजगी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बात सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रही है। राजनीतिक लिहाज से अगर हम देखें और समझें तो पूर्वांचल और अवध का क्षेत्र, 10 से 15 फीसदी अगर वोट यहां से खिसक गया तो फिर सत्ता खिसक गई। क्योंकि यही वोटर बीजेपी को सत्ता में लेकर आता है। कैसे? 2022 के चुनाव को याद करिए। ब्राह्मण वोटरों ने 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाई। ठाकुर वोटरों ने 45 सीटों पर एक साथ जीत दिलवाई। अब यही अगर 2027 में दांव उल्टा पड़ गया तो बताइए कि बीजेपी या फिर यूं कहिए कि योगी सत्ता में आएंगे तो आएंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी के अंदरखाने भी नुकसान को लेकर चर्चा हो रही है। कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं और खुद बृजभूषण जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने विरोध किया। उनके बेटे प्रतीक भूषण ने विरोध किया। बीजेपी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने विरोध किया। डॉक्टर संजय सिंह उनका विरोध रहा, तो यूजीसी के नए नियम का विरोध भारतीय जनता पार्टी के घर के भीतर से हो रहा है और यह सब कुछ सामान्य नहीं है। यह बात बीजेपी भी समझ रही है। यह आंकड़े उसी की तरफ तस्दीक करते हैं, जो सी वोटर का आंकड़ा हमने आपको बताया। तो क्या लगता है कि यह विरोध अब बीजेपी अगर कदम पीछे नहीं खींचती तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं? उत्तर प्रदेश में सत्ता हिल भी सकती है। क्या यह सर्वे इस बात की ओर तस्दीक करती हैं? आपको भी यही लगता है या फिर कहानी कुछ और है पर्दे के पीछे? जैसे आरोप लगाए गए कि योगी के सिंहासन को हिलाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। ऐसा भी है क्या?

बहरहाल, राजनीति में बेशर्मी की भी हद होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सत्ता के गलियारों में जो नंगा नाच हुआ, उसने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम उसी गद्दारी की बात करेंगे, जिसने सवर्ण समाज के युवाओं की पीठ

में खंजर घोंपने का काम किया। यह कहानी उन डरपोक नेताओं की है, जो कल तक बिल में छिपे बैठे थे और शेर की खाल ओढ़कर अब बाहर आ गए। देश जल रहा था और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर था, लेकिन ये तमाशा देख रहे थे। जब यूजीसी का काला कानून आया तो पूरे देश में आग लग गई। हर तरफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे। सवर्ण समाज का युवा खून के आंसू रो रहा था। माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डर से कांप रहे थे। उन्हें डर था कि उनका बच्चा कॉलेज डिग्री लेने जा रहा है या बर्बाद होने। लेकिन इस शोर के बीच एक जगह मुर्दा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो जगह थी सत्ता में बैठे उन नेताओं के दफ्तर। सरकार में बैठे सवर्ण समाज के विधायक और सांसद ऐसे खामोश थे, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। इनके मुंह में दही नहीं बल्कि सत्ता का ऐसा लोभ जमा था, जिसने इनकी जुबान सिल दी थी। ये वही नेता हैं, जो चुनाव के समय घर आकर अपनी जाति और धर्म की दुहाई देते हैं। लेकिन जब आपकी गर्दन पर तलवार लटकी तो ये सब दुम दबाकर बैठ गए। इन्हें ऊपर से आदेश था कि अगर मुंह खोला तो पार्टी से बाहर निकाल दिए जाओगे। इन्हें उन सवर्णों की चिंता नहीं थी, इन्हें अपनी कुर्सी प्यारी थी। यूजीसी का यह नया नियम कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि सवर्ण छात्रों को बर्बाद करने के लिए तैयार हुआ था। इधर कुआं, उधर खाई। लेकिन हमारे रीढ़विहीन नेता चुपचाप यह सब होने दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका वोट बैंक तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए उनकी बलि चढ़ा दो। लेकिन तभी इस खेल में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस इरादे को मिट्टी में मिला दिया। जैसे ही कोर्ट का हथौड़ा चला, सरकार की सारी हेकड़ी निकल गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने सरकार को ऐसी फटकार लगाई, जो इतिहास में याद रखी जाएगी। अब असली तमाशा देखिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, वैसे ही बीजेपी के कुछ नेता दांत निपोरते हुए बाहर आ गए। जो नेता कल तक खामोश थे, उनकी जुबान अब कैंची की तरह चलने लगी। निशिकांत दुबे हों या गिरिराज सिंह, सबने रंग बदल लिया। ये लोग आकर कहने लगे कि देखा हमने कहा था ना कि मोदी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अरे शर्म करो पाखंडियों! इसमें मोदी सरकार का रत्ती भर भी हाथ नहीं है। यह बिल किसी विदेशी ने नहीं, बल्कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ही तैयार किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो मोदी सरकार तो इस पूरे मामले को कैश करने के लिए ही तैयार बैठी थी। उन्हें तो बस एक खास वर्ग का वोट चाहिए था, चाहे उसके लिए सवर्ण युवाओं की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। ये नेता वैसे दिखा रहे हैं जैसे ये रोक उन्होंने लगवाई हो। सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक सरकार की अच्छी नीयत देखकर नहीं, बल्कि सरकार की नाकामी और गलत इरादों को देखकर लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इसके प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने माना कि यह कानून खतरनाक है, लेकिन इन नेताओं को झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आई। ये वो सौदागर हैं, जो अपने जज्बातों का सौदा करते हैं। इन पाखंडी नेताओं ने यह नहीं बताया कि अगर कानून पास हो जाता तो निर्दोष बच्चों का करियर बर्बाद हो जाता। उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि झूठे केस में फंसा कोई छात्र आत्महत्या कर ले। उन्हें बस अपनी राजनीति चमकानी थी। ये अब भी भीड़ के सामने सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन भीड़ के हटते ही फिर से समाज को बांटने की साजिश रचते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपके हक की लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ेगा, चाहे वह आपकी जाति का क्यों न हो। जब तक पार्टी हाईकमान का चाबुक चलेगा, ये नेता गूंगे बने रहेंगे। शुक्र मनाइए कि देश में न्यायपालिका अभी जिंदा है, जिसने तुगलकी फरमान पर ब्रेक लगा दिया। नहीं तो इन नेताओं ने आपको बेचने का पूरा इंतजाम कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने

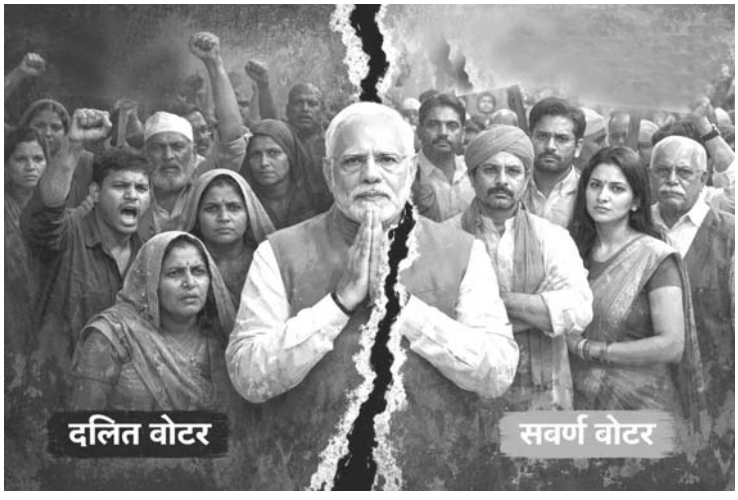

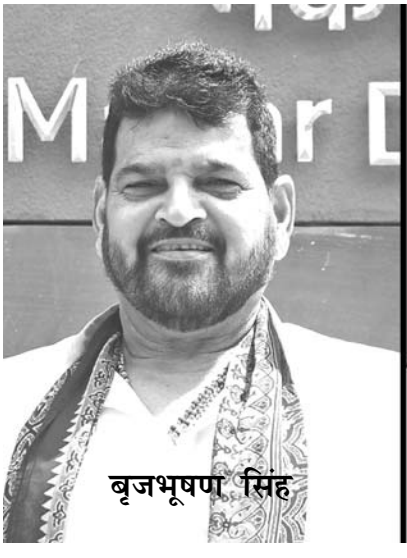

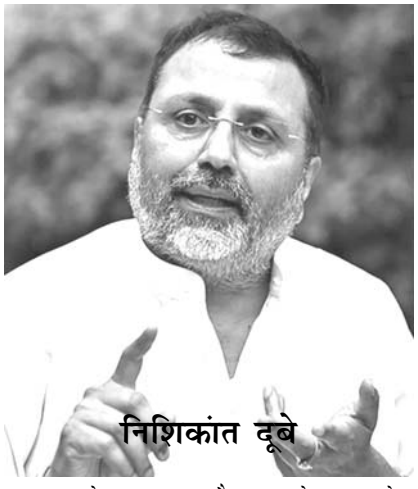
निशिकांत दूबे

गिरिराज सिंह

प्रियंका चतुर्वेदी

सरकार को नया ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यह सरकार फिर से कोई पैंतरा लेकर आ सकती है। ये नेता फिर से आपको मीठी-मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार इनका असली चेहरा पहचान लीजिए। ये आपके सगे नहीं हैं, ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। आज सवर्ण समाज को यह सवाल पूछना होगा कि जब हमें जरूरत थी, तब आप कहां थे? जब हमारे बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकी थी, तब आपकी जुबान क्यों सिली हुई थी? यह जीत किसी नेता की नहीं, बल्कि उस डर की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मन में पैदा किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि वोट बैंक के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी है। इन बहुरूपी नेताओं के झांसे में मत आइए। अपनी आवाज खुद बुलंद कीजिए, क्योंकि समाज चुप रहता है तो उसे राजनीति के भेड़ियों नोच कर खाते हैं। आगे जब भी ये नेता आपके पास आएं और कहें कि हमने अन्याय रोका है, तो इनसे पूछिएगा कि उस वक्त आपके मुंह में दही क्यों जमा था। इनसे पूछिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे से पहले आपकी अंतरात्मा कहां सो रही थी? यह लड़ाई अभी लंबी है और हमें जागते रहना होगा।

गौरतलब है कि बीजेपी को तो मुखर होकर सामान्य वर्ग के मामले में बोलना चाहिए, लेकिन जिसे बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा। बाकी लोग बोल रहे हैं। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है, लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए? यह सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में भेदभाव की। झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? भेदभाव को कैसे परिभाषित कीजिएगा? शब्दों से, कार्यों से, धारणाओं से कैसे? यूजीसी की यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या फिर उसमें जरूरी संशोधन किए जाएँ। बीजेपी की तरफ से कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। नेता हर हर महादेव के नारे लगा के निकल लिए। और बीजेपी के जो सांसद बोल भी रहे हैं उनमें एक नाम है निशिकांत दुबे का। पहले तो वो नए नियमों का समर्थन कर रहे थे, फिर उनको सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू किया, विरोध तेज होने लगा तो अब वो बदलाव और संशोधन की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। मगर कौन सी भ्रांति है? लोगों को नहीं समझ में आ रही है। अगर भ्रांति है तो आपके मिनिस्टर हर हर महादेव बोलकर क्यों चले गए? भ्रांति बताते हैं, दूर करते हैं। लाखों हिंदुओं को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है या हिंदी पढ़ने नहीं आती है, जो भ्रांति है, बताइए कौन सी है? संविधान के आर्टिकल 14, 15 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। यही तो सब कह रहे हैं। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को पीएम मोदी की वजह से मिला है। 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद सभी पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय सिर्फ मोदी सरकार ने दिया। इंतजार करिए यूजीसी की भ्रांतियाँ भी खत्म होंगी, तो भाई भ्रांतियाँ खत्म होंगी तो कर दीजिए। बता दीजिए क्या भ्रांति हैं और कुछ गलती है तो उसको ठीक कर लीजिए। नरेंद्र मोदी ने इस देश में काम किया है, इसीलिए लोगों को नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो इसको ठीक कर लेंगे। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी के फैन और नरेंद्र मोदी के फैन में यही फर्क है। नरेंद्र मोदी के फैन जो है वो विरोध करने लग जाते हैं तुरंत, राहुल गांधी वाले नहीं करते। राहुल गांधी के फैन हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मेरा परिवार है। हैशटैग मोदी का परिवार। तो परिवार के लोग खुद बताते हैं। जब ये पता लगने लगता है कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें घर में आग लग जाएगी, तो परिवार का ही आदमी बताता है। फैन का क्या है? यहां लटका है, कल वहां लटकेगा। परिवार के लोगों को चिंता होती है कि घर में आग न लग जाए और इसलिए वो नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, बीजेपी की सरकार को बता रहे हैं और ये कोई भेदभाव की बात नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी के साथ समान में भेदभाव हुआ है, इसको कोई नहीं नकार सकता। लेकिन किसी एक को आगे लाने के लिए दूसरे को कोहनी मार के पीछे कर देना रास्ता नहीं होता है। कम से कम अगर आप उनको सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके साथ गलत ना हो, तो ये प्रोविजन तो कर दीजिए कि कोई झूठी शिकायत करेगा, तो उस पर ऐसा एक्शन होगा कि झूठी शिकायत करने वाले की रूह कांप जाए। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करने वाले भी खुलकर आ चुके हैं। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन कर दिया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अगर कोई इसे बदलने की कोशिश करेगा तो 85% बहुजन समाज सरकार को हिला देगा। रावण ने अपनी रैली में कहा था ''प्यारे साथियों, अभी-अभी

सत्यमेव जयते
शिक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
EDUCATION

यूजीसी के नए नियम आए हैं। बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है, जो जाति के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पर फैसला वापस हुआ, तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर कर सरकार को बताने का काम करेंगे''। यानी जिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी मुश्किल से जो हिंदू जातियों को एकजुट किया। अब यूजीसी का नया नियम उसे ही बेजातियों में बांट दे रहा है और लोग आ गए लाइन में लगकर, उसका फायदा लेने। देखिए यह बात तो सबको पता है कि अगर शिकायतों में सुरक्षा नहीं मिलेगी तो नियमों का दुरुपयोग होगा ही। सामान्य वर्ग का जो डर है वो आप एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग के आरोपों से समझ सकते हैं। 2023 में पार्लिमेंटरी पैनल की रिपोर्ट, जो की लोकसभा में पेश की गई, उसके मुताबिक पाँच साल में दिल्ली में एससी/एसटी एक्ट का कन्विक्शन रेट सिर्फ 1.02% था। 2018 और 31 मार्च 2023 के बीच 488 मामलों में सिर्फ पाँच में कन्विक्शन हुआ। 65 मामलों में आरोपी दोषमुक्त साबित हुए। हम यह नहीं कह रहे कि सभी आरोप गलत-गलत ही होते हैं। बहुत से जेनुइन आरोप भी होते हैं। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता है और यह बड़ी-बड़ी अदालतों में कहा जा चुका है, तो आप कैसे उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा? इसलिए सवाल उठ रहा है कि इसके बारे में क्यों मौजूदा सरकार नहीं सोचे? जो नरेंद्र मोदी लगातार सनातन के लिए काम किए हैं, हिंदुओं के लिए काम किए हैं। एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिए हैं, वो जरूर इसके बारे में सोचेगे। क्योंकि ये किसी एक के घर की बात नहीं है। ये भेदभाव अगर होने लगा, ये दिक्कतें आने लगी, तो कौन-कौन बचेगा, ये बड़ा प्रश्न है और सिर्फ दो बात कही जा रही है कि जनरल को भी उसमें शामिल कर दीजिए अगर उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है। दूसरी बात कि भाई कोई झूठी शिकायत करेगा तो ऐसा कड़ा प्रावधान रखिए, वो सबके लिए कर दीजिए।

विदित है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो हलचल थी, अब वह सीधे बीजेपी के भीतर की लड़ाई बनती दिख रही है और इस लड़ाई की अगुआई ब्रजभूषण शरण सिंह करते नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह का नाम आते ही सियासत में हलचल तेज हो जाती है। क्योंकि वो जब बोलते हैं तो सीधा असर ऊपर तक दिखता है। कलराज मिश्र के बाद जब ब्रजभूषण सामने आए तो बीजेपी खेमा दो हिस्सों में बंटता नजर आया। एक तरफ वो नेता जो चुप हैं और दूसरी तरफ वो आवाज जो खुलकर सरकार को आंख दिखा रही है। ब्रजभूषण ने साफ कर दिया है कि यूजीसी का यह कानून समाज को जोड़ने वाला नहीं बल्कि फाड़ने वाला है और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो सड़क पर उतरना तय है। यह बयान सवर्ण समाज के लिए संकेत है कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। ब्रजभूषण ने सोशल मीडिया पर सामने आकर जिस तरह अपनी बात रखी, उसने सियासत की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे समाज को शक की नजर से देखना गलत है। खासकर सवर्ण समाज को कठघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि इस कानून से सवर्ण समाज में डर और असमंजस फैल रहा है। लोग सोचने लगे हैं कि कहीं हर घटना का जिम्मेदार उन्हें ही न बना दिया जाए। यही डर इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी है और यही वजह है कि ब्रजभूषण अब खुलकर सामने आए हैं। यह सिर्फ कानून का विरोध नहीं बल्कि सवर्ण समाज की चिंता की आवाज है अपनी बात को जमीन से जोड़ते हुए ब्रजभूषण ने गांव की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि समाज दफ्तरों में नहीं, गांव में चलता है। गांव में आज भी बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं। कोई यह नहीं पूछता कि कौन सवर्ण है, कौन दलित, कौन पिछड़ा है। यह सब कानून से नहीं बल्कि सनातन परम्परा से चलता आया है। उन्होंने कहा कि यह नियम बच्चों के मन में जाति का डर भर देगा, जो अब तक नहीं था और यही डर समाज को अंदर से कमजोर कर देगा। सवर्ण समाज को लग रहा है कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और यही भावना अब गुस्से में बदल रही है। ब्रजभूषण ने सनातन परम्परा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमेशा जोड़ने वाली रही है, तोड़ने की नहीं। कमजोर को ऊपर उठाने की बात करती है, ना कि किसी एक समाज को दोषी ठहराने की। उन्होंने साफ कहा कि अपराध करने वाला कोई भी हो, सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे समाज पर शक करना गलत होगा। उन्होंने चेताया कि अगर ऐसे कानून चलते रहे तो आने वाले वक्त में समाज में इतनी कड़वाहट आ जाएगी कि लोग एक दूसरे के घर जाने से भी कतराएंगे। यह हालात देश के लिए ठीक नहीं होंगे और इसका सबसे बड़ा असर सामाजिक तानेबाने पर पड़ेगा यहीं से ब्रजभूषण शरण सिंह सवर्ण समाज के साथ खुलकर खड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो आंदोलन होगा और यह आंदोलन सिर्फ सवर्ण समाज का नहीं होगा। इसमें हर वर्ग, हर समाज शामिल होगा, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक जाति की नहीं बल्कि पूरे समाज को टूटने से बचाने की है।

बताते चले कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले जिस आवाज ने सियासी गलियारों में हलचल मचाई, वह ब्रजभूषण शरण सिंह ही थे। क्योंकि उन्होंने बिना घुमाए फिराए साफ कहा कि कोर्ट ने समय रहते देश को बड़े खतरे से बचा लिया। उनका कहना था कि अगर यूजीसी के नए नियम लागू हो जाते तो हालात बेकाबू हो सकते थे और पूरा समाज दो हिस्सों में बंटने की कगार पर पहुंच जाता। यही बयान इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत एंट्री पॉइंट बन गया। क्योंकि इसके बाद साफ हो गया कि मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि सियासत और सामाजिक संतुलन का भी है। कोर्ट के फैसले और ब्रजभूषण के बयान ने

बृजभूषण सिंह

कलराज मिश्र एव बृजभूषण सिंह

मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया, जिसने सरकार को सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जबकि सवर्ण समाज ब्रजभूषण के बयान से खुश दिखा, तो वहीं बीजेपी नेता दबदबे वाले नेताजी के बयान से घबराते हुए दिखाई दिए। क्योंकि ब्रजभूषण ने बिना लाग लपेट के न सिर्फ सवर्णों का खुलकर साथ दिया, बल्कि यूजीसी पर अपने तेवरों से भौकाल जमा दिया, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। कुछ लोग तो सीधा-सीधा मोदी शाह के खिलाफ उनके बयान को दर्शा रहे हैं, क्योंकि वह पहले काफी समय से खामोश थे, लेकिन जब बोले तो हंगामा खड़ा हो गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर यह भी साफ कर दिया कि नियमों की भाषा ही सबसे बड़ा खतरा थी। अदालत ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं और जब नियम साफ नहीं होते तो उनका गलत इस्तेमाल होना तय माना जाता है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आजादी के 78 साल बाद भी अगर देश जातिगत भेदभाव से बाहर नहीं निकल पाया तो यह गंभीर चिंता का विषय है। सबसे अहम बात यह रही कि अदालत ने अमेरिका जैसे हालात का जिक्र किया और इशारों में चेताया कि कहीं ऐसा न हो कि समाज में अलगाव की दीवारें खड़ी हो जाएं। यह टिप्पणी साधारण नहीं थी, बल्कि एक सख्त चेतावनी थी, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा राहत उन छात्रों को मिली जो लंबे समय से यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे थे। सवर्ण छात्रों का आरोप था कि नए नियम उनके साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं। कई यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुए, कई जगह कैंपस बंद रहे और सरकार से मांग की गई कि नियम वापस लिए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद वही छात्र कह रहे हैं कि उनकी आवाज आखिरकार सुनी गई और यह फैसला उनके संघर्ष की जीत है। यहीं से राजनीति ने इस मुद्दे को और तेज कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलकर कहा कि अगर कोर्ट बीच में नहीं आती तो यह मुद्दा देशव्यापी आंदोलन बन जाता। उन्होंने साफ कहा कि यूजीसी के नए नियम समाज का ताना बाना बिगाड़ सकते थे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती। उनका यह बयान सीधे सरकार पर निशाना था। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे फैसले बिना व्यापक चर्चा के नहीं लेने चाहिए। जब एक बड़ा नेता इस तरह खुलकर बोलता है तो यह साफ संकेत होता है कि अंदर खाने में भी बेचैनी है। ब्रजभूषण के बाद उनके परिवार से जुड़े नेताओं ने भी इसी लाइन को आगे बढ़ाया। प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि नियमों में जाति से जुड़ी बातें साफ नहीं थी और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता था। उनका कहना था कि ऐसे नियम समाज में कटुता बढ़ाने का काम करते हैं। इससे पहले भी सरकार को आगाह किया गया था कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या सरकार ने राजनीतिक गणित के चक्कर में सामाजिक संतुलन को नजरअंदाज कर दिया? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे की राह क्या होगी? क्या सरकार यूजीसी के नियमों में बदलाव करेगी या फिर यह मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा? क्या मिशन 2027 से पहले यह मुद्दा और बड़ा सियासी हथियार बनेगा? फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक और ब्रजभूषण शरण सिंह के तीखे बयान ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है।

एक पुरानी कहावत है-''सौ सुनार की तो एक लुहार की'', इस बात को फिर सच कर दिखाया बृजभूषण शरण सिंह ने। जिनके तेवरों ने देश की सियासत को भी हिला कर रख दिया। एक ओर जहां चंद्रशेखर यूजीसी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बृजभूषण ने खुलकर यूजीसी पर सवर्णों का साथ देकर न सिर्फ हुंकार भरी बल्कि कलराज मिश्र का आशीर्वाद लेकर बीजेपी को भी चोट दे दी। जिसके बाद बीजेपी के दबदबे वाले नेता जी यानी बृजभूषण की चर्चा चारों ओर होने लगी। क्योंकि सवर्णों के लिए खुलकर लड़ने वाले बृजभूषण ने साफ यह बात कही कि आप और हम बयान न देते तो सरकार पीछे न हटती। इस एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। दरअसल कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जब वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के आवास पहुंचे तो सिर्फ शिष्टाचार नहीं दिखा बल्कि एक साफ संदेश भी दे दिया। पैर छूकर आशीर्वाद लिया, अंगवस्त्र और बुके भेंट किया और खुले मंच से कह दिया कि आपके हमारे बयान के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। यह वही यूजीसी बिल है, जिसने देश की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया। बृजभूषण ने साफ कहा कि यूजीसी बिल को लेकर सरकार की तरफ से कोर्ट में मजबूती नहीं दिखाई गई। सॉलिसिटर जनरल ने विरोध नहीं किया और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी। आपको बता दें, बृजभूषण ने इसे देश के लिए अच्छा बताया और कहा कि माहौल खराब हो रहा था। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कलराज मिश्र ने उन्हें 1991 में सांसद का टिकट दिलाया था और उससे पहले 1989 में विधानसभा परिषद का टिकट भी बिना मांगे मिला था। ये बातें सिर्फ यादें नहीं थी, बल्कि यह दिखाने की कोशिश थी कि सियासत में पुराने रिश्ते और भरोसा आज भी काम करते हैं। बृजभूषण ने यह साफ कर दिया कि लड़ाई किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि समाज की समरसता के लिए है। यूजीसी पर बृजभूषण पहले भी खुलकर बोल चुके हैं। कलराज मिश्र का यूजीसी बिल पर दिया गया

बयान भी इस पूरे घटनाक्रम की बड़ी वजह बना। उन्होंने कहा था कि किसी एक वर्ग को हमेशा संदेह के दायरे में रखना संविधान की भावना के खिलाफ है। शिक्षण संस्थानों में समानता और न्याय जरूरी है, लेकिन निगरानी और अनुशासन के नाम पर डर का माहौल बनाना खतरनाक है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2012 के नियमों में शिकायत निवारण की व्यवस्था सभी के लिए बराबर थी। बृजभूषण ने इसी बयान के लिए कलराज मिश्र का धन्यवाद दिया और कहा कि इससे सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह संकेत मिला कि सरकार के भीतर भी यूजीसी बिल को लेकर एक राय नहीं है। इधर दूसरी तरफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी यूजीसी के खिलाफ 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी हल्ला बोल का आयोजन किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक तरफ सवर्ण समाज की आवाज तेज हो रही है तो दूसरी तरफ दलित और पिछड़े वर्ग आंदोलन की राह पर है। बृजभूषण के बयान और मुलाकात से चंद्रशेखर की राजनीति पर भी दबाव बढ़ता दिख रहा है। यूपी की सियासत अब साफ तौर पर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है और दोनों ही सड़क पर उतरने को तैयार दिख रहे हैं। इधर ब्रजभूषण जब आंदोलन की बात करते हैं तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार क्या करेगी।

बहरहाल, आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का यूजीसी बिल पर बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगी। लेकिन लोगों ने कहा कि कानून आपकी देखरेख में बना, रूल आपकी देखरेख में बना और आपको यह दिखाई नहीं दिया कि यह कितना विभाजनकारी और कॉलेज में आप क्या चाहते हैं। इनकी खूब जबरदस्त ट्रोलिंग हुई। कम्युनिटी नोट इनके उसके

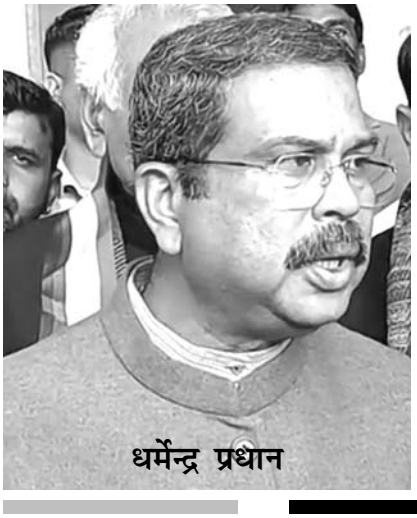
धर्मेन्द्र प्रधान

धीरेन्द्र शास्त्री

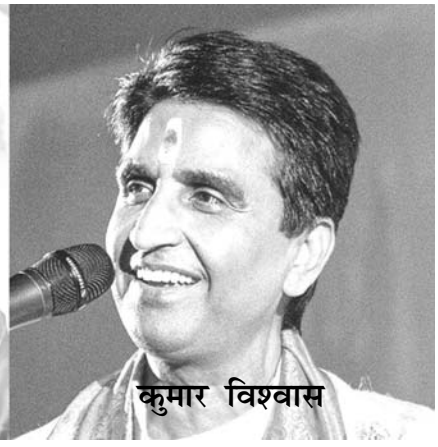
कुमार विश्वास

ऊपर भाषण के ऊपर लग गया। धीरे- धीरे पूरा कास्ट को लेकर के बवाल मचना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना शुरू हुआ। सरकार के विरोध में जहां तहां विरोध होने लगे। लोग कहने लगे कि हमने सरकार को वोट देकर गलती कर दी। जनरल कास्ट की तरफ से विशेष रूप से और समाज के वो लोग जो चाहते हैं कि हिंदू एक रहे उन सब ने सरकार को ट्रोल करना, कोसना शुरू कर दिया कि साहब आपकी सरकार तानाशाही करी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देश को आप तोड़ेंगे। इस बात को देखते हुए एक दो जगह ऐसी चीजें भी सुनने को मिली कि सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बागेश्वर सरकार बाहर निकल कर आते हैं। वह बयान देते हैं कि सरकार देश को तोड़ो मत। कवि कुमार विश्वास बाहर निकल कर आते हैं कि सरकार देश को तोड़ो मत और तो और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि कसाब को तो पहले जांच किया गया फिर सजा दी गई और सवर्ण को पहले सजा दी जाएगी, फिर जांच की जाएगी। तो क्या सवर्ण जो है वह कसाब से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है? देश में एक काफी बड़ा माहौल बना। हद तब हुई जब राष्ट्रपति महोदया द्वारा अपने 26 जनवरी के भाषण में जब इन्होंने सब की बातें रखी। लेकिन जनरल कास्ट शब्द यूज नहीं किया तो फिर से कम्युनिटी नोट इनके भाषण पर भी लग गया कि आपके द्वारा देश के अंदर देश के नागरिक बोलने से क्या बिगड़ जाता। देश के नागरिक क्या महिला, बच्चे, दलित यह सब नहीं है। आप जनरल को छोड़कर सबको देश का नागरिक कैसे मान रहे हैं। खैर, खूब तरह से सरकार के विरोध में प्रदर्शन देश के विभिन्न कोनों में हुए। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के सामने पीआईएल पहुंची और सुप्रीम कोर्ट जो है वह इस पर अपनी बात को रख देती है। कहती है कि हमने जातिविहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि जातिविहीन पहले तो सरकार चाहती थी कि विभेद ना हो, इसके प्रयास के लिए शिक्षा को आगे लाया गया। लेकिन अब शिक्षा के केंद्रों में ही अब जाति के आधार पर अगर लोगों को लड़ाना शुरू कर देंगे तो फिर कैसे हम जातिविहीन समाज की कल्पना कर पाएंगे? कोर्ट में न्यायाधिशों ने इस बात को रखा। सरकार के सामने एडवोकेट्स ने जजेस के सामने अपनी बात रखी, जिसमें इस बात को कहा गया कि आप डिस्क्रिमिनेशन में एससी, एसटी और ओबीसी की बात कर रहे हैं लेकिन कोई छात्र दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो क्या कीजिएगा? कहीं पर रैगिंग हो रही है वहां डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तब क्या कीजिएगा? मतलब कुल मिलाकर के तमाम प्रकार के भेदभाव समाज में व्याप्त हैं उनको आप कैसे आंसर करेंगे? आप जाति के आधार पर कैसे लड़ा सकते हैं? कुल मिलाकर वकीलों की दलीलें काम आई। सुप्रीम कोर्ट ने सबको ध्यान से सुना और केंद्र को नोटिस जारी करके कहा कि 19 मार्च को फिर से सुनवाई करेंगे लेकिन तब तक के लिए इस मामले को रोक दिया गया है। हमने इसकी जानकारी आपको ट्वीट करके भी दे दी थी और कहा कि यह प्रावधान अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग की ज्यादा संभावना है। ऐसे में इन नियमों को दोबारा से ड्राफ्ट करें। तब तक के लिए इनका एग्जीक्यूशन स्थगित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके चलते शोसल प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड करने लग गया। बीजेपी के एक नेता जो कि पहले भी इस कारण से ट्रोल हो रहे थे, जब वह यह कह रहे थे कि इसी सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया था, भूल जाओगे। तो लोगों ने कहा कि आप पिछले काम को आज के काम से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। लोगों ने इनको इस पर पकड़ लिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, सांसद महोदय आपकी सुन रही है? ऐसे में खैर सत्तापक्ष के साथ-साथ समझदारी

मायावती

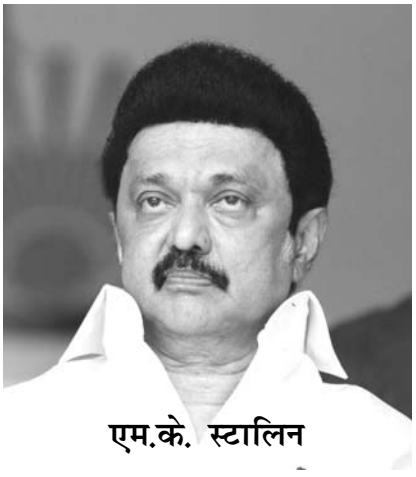
एम.के. स्टालिन

मनोज तिवारी

विपक्ष की भी कही जाएगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी इस पर खुद निकल कर आगे आई और उन्होंने अपनी तरफ से लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला लिया। मतलब यह पहला ऐसा मसला था जहां पर विपक्ष के नेता भी सत्तापक्ष के साथ दिखाई दिए। टीएमसी के जो सांसद हैं वह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए नजर आए कि हां आपने अच्छा किया। वही दलित नेता के रूप में जानी जाने वाली मायावती जी इस पर बाहर आई और उन्होंने कहा कि यूजीसी पर आपको पहले से ही सोचना चाहिए था कि समाज में किसी प्रकार का विभाजन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वह अच्छा किया। कुल मिलाकर के देश के नेताओं में एक सकारात्मक भूमिका निभाई कि समाज को तोड़ने वाले विभाजनकारी नियम ना हो। खैर, दक्षिण के नेता एम.के. स्टालिन हैं, उन्होंने फिर से इन नियमों का विरोध किया है। उनकी राजनीति दलित वोट के आधार पर ज्यादा अच्छे से चल रही होगी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर जो फिलहाल नियम दिए, इनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सवाल सबसे बड़ा है कि यह स्थिति आती ही क्यों है। आपके नियमों को आपने कहा, फिर आपने लागू किया और फिर पलट दिया। आपने फिर इस तरह की स्थिति बनाई। कल को आप प्रेशर में काम करने लगेंगे। वही आपने अरावली की परिभाषा दी थी। जब जनता का प्रेशर बढ़ने लगा, आप फिर पलट गए। आपने दिल्ली के प्रदूषण, उन्नाव के सेंगर का जो मामला था, इस मामले में भी कोर्ट को पलटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट यही रहेगी समस्त भारतीयों की कि कृपया करके न्याय केवल शब्दों में ना हो, होता हुआ दिखे। समस्त भारतीय आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके आप जब गाइडलाइंस बनाएं या जो भी आपकी तरफ से समाज को प्रभावित करने वाले नियम हैं, उनको प्रॉपर तरीके से। आपके पास विद्वान लोगों की पूरी फौज है। उनसे उनका अध्ययन करवाएं ताकि किसी प्रकार से देश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़े ना। देश की एकता ना बिगड़े। देश संयुक्त रूप से देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने में मदद मिले। दिगर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि हमने कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं दिया है, जिसमें ओबीसी और एससी, एसटी को अलग कर दिया जाए और जनरल को अलग कर दिया जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से समाचार मीडिया के माध्यम से सरकार के जो रिप्रजेंटेटिव आ रहे थे, वो बार-बार कह रहे थे कि यह पूरा सुप्रीम कोर्ट की दिशा-दिशा निर्देश के अनुसार हो रहा है। ऑनरबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्पॉडेंट की तरफ से अपीयर होते हैं, उनसे कह दिया कि हमारी गाइडलाइन में दिखाइए कि कहां हमने कहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी को अलग कर दीजिए और जनरल को अलग कर दीजिए। 'डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर' हमने कहा ही नहीं है। किसी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो तो वह कमेटी के पास जा सके, चाहे वह जनरल का बच्चा ही हो।

गौरतलब है कि यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बीजेपी के कई नेताओं के

मनोज झा

बयान सामने आने शुरू हो गये हैं। इसी क्रम में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा नीति है और सबसे बड़ा जो हमारा फिलॉसफी है-वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास; और सबके प्रयास से यूजीसी पर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। लेकिन यूजीसी का यह रूल संसद ने नहीं बनाया। एक डिपार्टमेंट ने अपना कुछ नॉर्म्स बनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि रोक लगा ही दिया है, उसकी समीक्षा हो रही है और जो चीजें सामाजिक एकता को और सौहार्द को बिगाड़ती हैं, उसको ठीक कर लिया जाएगा। मैं बारह साल से नरेन्द्र मोदी जी के साथ काम कर रहा हूं। जिसने इस देश में 370 हटाया हो, जिसने इस देश में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया हो, जिसने करोड़ों लोगों को अनाज, इलाज, सड़क, पुलिया, पुल, बड़े-बड़े हाईवेज और यहां तक कि ईडब्ल्यूएस तक का रिजर्वेशन दिया हो, उनके ऊपर संदेह करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। रही बात यूजीसी के जो नॉर्म्स में एक दो लोगों को आपत्तियां थी, तो जैसे एक आपत्ति है कि भाई कोई झूठा आरोप लगा दे तो उस पर भी केस होना चाहिए। वह चाहे उस रूल में लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन इस देश में जो भी झूठा आरोप लगाता है और वह सिद्ध हो गया तो उसको सजा होनी ही होनी है। यह हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है। कोई भी झूठा आरोप किसी पर नहीं लगा सकता। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों का तर्क था कि वहीं लिखा होना चाहिए, वह भी हो जाएगा। थोड़ा सा संयम रखा जाए। दूसरी तरफ यूजीसी पर अन्य दलों के नेताओं की अपनी राय है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक्स पर लिखा है, इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि 'न्यायिक तटस्थता' अक्सर एक मिथ होती है; असली महत्व इस बात का है कि कानून किस 'यथास्थिति' को संरक्षण देना चुनता है''। सुप्रीम

जॉन ब्रिटास

अखिलेश यादव

कोर्ट के फैसले पर सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि 'यूजीसी की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आई थी, सरकार ने इसे कमजोर कर दिया। सरकार को इस गाइडलाइन का दायरा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन यह विवाद खड़ा किया गया है और यह बीजेपी का मुद्दा है। इसकी वजह से छात्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए'। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि 'देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए यूजीसी की ओर से लागू किए गए नए नियम से सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है'। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 'बात सिर्फ नियम नहीं, नीयत की भी होती है। न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय। न किसी पर जुल्म और ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी'। उन्होंने कहा कि कानून की भाषा और भाव, दोनों 'साफ' होने चाहिए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के भेदभाव संबंधी नियम पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने को 'बड़ी राहत' बताया। गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा कि 'यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है'। सबसे दिलचस्प है कि गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रति आभार जताया है।

विदित हो कि आज तक इन सभी नेताओं ने जिन्होंने आरक्षण प्राप्त किया है, इनको आरक्षण क्यों चाहिए? इसका पैमाना कैसे निर्धारित होगा? यह बोलते हैं कि हमारा शोषण हुआ। शोषण उन पेशवाओं का हुआ है पिछले सौ सालों से। 82 पेशवाओं में से 74 पेशवा युद्धभूमि में मारे गए। 14 हजार ब्राह्मण मध्यप्रदेश को स्वतंत्र कराने में मारे गये। 75 हजार ब्राह्मण पानीपत में अब्दाली को रोकने में मारा गया। 7 लाख से ज्यादा ब्राह्मण 1857 की क्रांति में कटनी से लेकर, मध्यप्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में मारा गया। इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है? इसका हिसाब कौन लेगा? इस देश में शोषण की परिभाषा नियत करने का समय अब आ गया है। शोषण की परिभाषा निर्धारित करने की मांग करिए। इस तरह से वैकल्पिक या मनमर्जी शोषण की परिभाषाएं नहीं चलेंगी। आज ब्राह्मणों के लिए, उनकी गरीबी के लिए, उनके बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और दसवीं में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नापने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सी परियोजना जारी की है या कौन सी कमेटी बैठाई है? वही एक मुसीबत कम थी क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि अब एक और मुसीबत निकल कर सामने आ गई है। मोदी सरकार के यूजीसी कानून का विरोध ब्राह्मण समाज के जरिए लगातार किया जा रहा

योगी आदित्यनाथ एवं नरेन्द्र मोदी

है। इस लेवल तक, इस हद तक कर दिया गया है कि अब सीधे राष्ट्रपति को खून से लिखा हुआ छात्रों ने खत भेज दिया है। यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे मोदी और योगी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बैठकर जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर अब ब्राह्मण समाज ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल लिया है। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इन तमाम मामलों पर संज्ञान लेंगी, क्योंकि सरकार तो चुप है। सरकार जिस तरीके से चुप्पी बड़े संवेदनशील मामले में अख्तियार कर लेती है, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि लोगों का क्या बुरा हाल हो जाता है। लोग कैसे अपनी बातों को रखने के लिए, मनवाने के लिए कितना जद्दोजहद करते हैं, लोगों की जाने तक गई। आपको याद होगा किसान आंदोलन, ये वो आंदोलन है जहां पर कई किसानों की जान चली गई और फिर एक-डेढ़ साल बाद सरकार को याद आया कि अच्छा ठीक है उनसे गलती हो गई। तो क्या यूजीसी कानून जो सरकार के जरिए लाया गया है, जो कि सवर्णों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उस पर सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है। देश में इस वक्त शिक्षा को लेकर सड़कों पर गुस्सा है, सवाल है और चेतावनियां हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों के खिलाफ विरोध अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि राष्ट्रपति को खून से लिखे पत्र तक जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने खून से लिखा हुआ पत्र दिया है। यह कदम जितना भावनात्मक है, उतना ही गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। क्या देश की शिक्षा नीति को लेकर लोगों की बात सुनने के लिए उन्हें अपनी जान और खून का सहारा लेना पड़ेगा? यूजीसी के खिलाफ उठ रही यह आवाज सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। खून से लिखा पत्र सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन इससे उठता सवाल बेहद साफ है कि जब शिक्षा की बात आती है तो क्या सरकार सिर्फ कागज देखेगी या जमीन पर उबलते गुस्से को भी सुनेगी? यह जो हो रहा है देश में, यह सही नहीं हो रहा है और इसको लेकर भयंकर तरीके से लोग अब अपनी आवाजें बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार हमें हमारे साथ अन्याय कर रही है और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। दरअसल, यूजीसी के नए नियम आने से जातिगत भेदभाव 118.4% बढ़ गए हैं, तो विरोध क्यों हो रहा है इसे लेकर भी

रूचि पांडेय

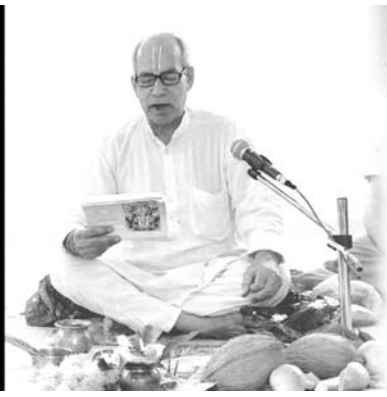

मृतक पंडित इंद्रभान द्विवेदी

एक विश्लेषण किया गया है। कहा जा रहा है कि यूजीसी के जिस नियम पर बवाल मचा है उसको आखिर क्यों लाया गया है? क्या देश के विश्वविद्यालय और कॉलेज में जातिगत भेदभाव की शिकायत तेजी से बढ़ रही है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी द्वारा नए सख्त नियम जारी किए जाने से पहले इसकी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि पिछले पाँच सालों में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतें और 118.4% की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई थी। यूजीसी ने यह आंकड़ा एक पार्लियामेंट्री पैनल और सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपा था। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 2020 में जातिगत भेदभाव की 173 शिकायतें दर्ज हुई थीं। 2023 से 2024 तक यह संख्या बढ़कर 378 तक पहुंच गई। यानी पाँच साल में 118.4% की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर इन पाँच सालों में 1118 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। इनमें से 90 से ज्यादा करीब 1052 सुलझा दिए गए हैं, लेकिन लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई। लंबित मामला जैसे 2019 से 2020 और 2020 से बढ़कर 18% से बढ़कर, जो है सीधे 2023 से 2024 में 108% हो गए। यह आंकड़ा यूजीसी ने संसद की समिती और सुप्रीम कोर्ट को भी पहुंचाया है। शिकायत बढ़ने का सीधा मतलब तो भेदभाव का बढ़ना है और कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि छात्रों में जागरूकता बढ़ी है, इसलिए शिकायतें बढ़ी हैं। अब वो एससी-एसटी सेल और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के बारे में ज्यादा जानते हैं और शिकायत दर्ज करा देते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेसरों का कहना है कि यह बढ़ोतरी असल में भेदभाव बढ़ने की निशानी है। 2012 के नियमों में जातिगत भेदभाव की साफ परिभाषा नहीं थी। खासकर अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को ठीक से कवर किया गया था। इसके साथ ही शिकायतों पर कार्रवाई में देरी होती थी और सेल की स्वतंत्रता कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जाति आधारित डाटा मांगा था।

गौरतलब है कि देश में जातीय भेदभाव का आंकड़ा यूजीसी आने से पहले का जिस प्रकार बताया गया तो आप अंदाजा लगा लिजीए की यूजीसी 2026 के नये नियम से इसके आंकड़े कहां तक जायेंगे। बिडम्बना देखिए कि यूजीसी ने समाज को दो भागों में बांट दिया-अगड़ी और पिछड़ी जाती में। ऐसे में सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को लेकर शुरू हो गया है। ब्राह्मण देश छोड़ों के नारे लगाये जा रहे हैं, ब्राह्मण बेटियों को पीटा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटने तक की बात कही जा रही है, ब्राह्मणों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। वर्षों से अगड़ी-पिछड़ी जातियों में जात विभेद का द्वेष धधक रहा

था, ऐसे में यूजीसी बिल ने उस आग में घी का काम कर दिया। हैवानियत ऐसी की ब्राह्मण बेटी रूचि तिवारी, जो एक यूट्यूबर पत्रकार है को जात पूछकर ब्राह्मण जानते हुए सैकड़ों लोगों ने मॉब लिचिंग की कोशिश की गई। वे कौन थे, कहने की जरूरत नहीं। दिल्ली की यह घटना समाज को शर्मसार कर गई, क्योंकि रूचि ब्राह्मण जाति के साथ ही एक महिला भी थी। उस लड़की के साथ ऐसा होता देख दिल्ली प्रशासन भी मूकदर्शक ही बनी रही और खबर लिखे जाने तक उसे इंसाफ नहीं मिल सका, क्योंकि वह ब्राह्मण थी। अगर यह कोई पिछड़े समाज से होती तो शायद इनको कुछ साबित भी नहीं करना पड़ता। इन सब पर एससी/एसटी लग चुका होता, सारे अंदर होते हैं। अभी तो इनको साबित करना पड़ रहा है। उक्त घटना पर एक चैनल के डिबेट् पर रूचि कहती हैं कि जेएनयू में प्रोटेट के दौरान वह कवरेज कर रही थी, इसी बीच वहां मौजूद अन्य जो पत्रकार है, वो खुलेआम बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर एससी/एसटी एक्ट लगा दूंगा। इसके बाद वो लगाएगा। ये खुलेआम अपनी वीडियो में वो बोल रहा है लगातार कि मैं इसके ऊपर जो एससी एसटी एक्ट लगाऊंगा लड़की (रूचि तिवारी) के ऊपर। इसने मुझे जातिसूचक शब्द बोले हैं। ये वो वीडियो प्रूफ दिखाए। जेएनयू में जो नारा लग रहा है वो क्या है? 'ब्राह्मणवाद हो बर्बाद', 'ठाकुरवाद हो बर्बाद' उसके बाद, 'हिंदू राष्ट्र हो बर्बाद'। ये आप उनको सुनिए तो समझ में आएगा। इस देश के संविधान निर्माताओं ने जो किया और हमारे नेताओं की विफलता है। यूजीसी का जो नियम है, वो बेहद घटिया है। सरकार में बैठे जिन लोगों ने भी इसको लागू किया, उनको सामान्य समझ नहीं है या उनके भीतर कोई गहरी कुंठा है। ये जब एससी/एसटी की बात होती है तो एकदम दुरुस्त बात है। ये इसको कोई नकार नहीं सकता कि एक वर्ग है, जिसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी और एससी/एसटी कोई जाति तो है नहीं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है यानी अनुसूचित जाति जनजाति है। अगर सरकार को लग रहा है समाज का कोई हिस्सा वो पिछड़ा है, आप उसमें उसको डाल दीजिए। ये जो अलग से ओबीसी की लड़ाई शुरू हुई, यह कितना विचित्र लगता है कि आप एक ही टीवी डिबेट में बैठे हो। भारत का संविधान है, लोकतंत्र है और हम किसी को कह रहे हैं, अगड़े से आते हैं, ये पिछड़े से आते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम पिछड़ी जाति से आते हैं। कोई कहता है हम अगड़े जाति से आते हैं, सवर्ण और ये मतलब समझ में नहीं आता और जब आप आजादी के 78 वर्ष बीत गए, हम जहां खड़े हैं तो दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो जाति है, जाति तो कभी बनी ही नहीं, वो तो वर्ण था। अगर आप मनुस्मृति की बात कहेंगे तो उसमें वर्ण था, उसमें जाति का तो जिक्र नहीं। देश

मनुस्मृति से नहीं चल रहा है। ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद भी नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो सोसाइटी के भीतर वो कैसे ठीक होगा? जब आप दोनों तरफ से चीजें दुरुस्त करेंगे। एससी/एसटी एक्ट में सिर्फ ब्राह्मण या ठाकुर तो फंस नहीं रहा। एससी एसटी एक्ट में तो जिसको ओबीसी कहा जाता है, वो भी फंसता है और सोशल मीडिया पर आप देखिए। राह चलते कोई भी कह रहा है कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए, ठाकुर की बेटी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? हिंदू सभ्यता, संस्कृति में समाज में कोई ऐसा बटवारा नहीं है और जो बटवारा है, उसको ठीक संविधान के जरिए हम कर लें। लेकिन ये जो ढ़ोल बजाने वाला गैंग है, ये जो आयातित है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो तो भारत विरोधी है! उसमें कोई अदिति मिश्रा ब्राह्मण नाम लगा हुआ है। सीताराम येचुरी अब नहीं रहे, लेकिन वो ब्राह्मण थे। पूरे कम्युनिस्ट, ये ब्राह्मण, ठाकुर, दलित इसकी लड़ाई नहीं है। ये भारत के संस्कृति संस्कार के साथ खड़े लोगों की और दूसरे जो देश को ध्वस्त करना चाहते हैं। ये जितने जेएनयू के लोग जो ढ़ोल बजाकर, नारे लगाकर सुर्खिया बंटोर रहे हैं, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कि कौन इसका आयोजक था, जो ''ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, आरएसएस को चीर कर, बीजेपी को चीर कर बिरसा मुंडा, अंबेडकर, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, बीजेपी की छाती पर, आरएसएस की छाती पर.....।'' इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से देश चलना चाहिए और आज का कानून है मोदी जी का, गृह मंत्री का। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कंप्लेंटबाजी चल रही है, अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था। इनको समझ में आने लगा देश कहाँ जा रहा है।

वही एक दूसरी घटना की बात करें जिसमें एक पुजारी ब्राह्मण की निमर्म हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए की वह ब्राह्मण थे। मध्य प्रदेश के सिधि जिले के रहने वाले पुजारी पंडित इंद्रभान द्विवेदी को महाशिवरात्री के दिन लाला केवट नाम का ब्राह्मणविरोधी अपराधी ने आठ बार तेजधार हथियार से वार कर सर धर से अलग कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। ज्ञात हो कि बिहार राज्य में 90 का दशक इसी जातीय रण में खून से पटा परा था। कम्युनिष्टों और सवर्णों के बीच खूनी जंग में कई निर्दोषों की हत्या कर दी गई थी। अब यूजीसी को लाकर केन्द्र सरकार पुन: पीछले दौर में ले जाने को तैयार दिख रही है। सनद् रहे कि जिस तरह से सरकार कार्य कर रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई तो ये सारे हिंदू ही थे, एक भी थे और अब बट भी रहे हैं, कट भी रहे हैं। सरकार अपने मकसद में कामयाब हो गई है। बड़े शर्म की बात है कि आज ट्रम्प लगा हुआ है पेट्रोल बेचने में, रूस हथियार बेचने में, चाइना

राष्ट्रवाद का झोला टांग
मैं स्वर्ण आबारा हूं।
मुसलमानों से यदि बच जाऊं
तो दलितों का चारा हूं।
कांग्रेस ने दर्द दिया,
तब हमने कमल का फूल चुना।
यूं ही जेल में डाल रहे हैं
हमें कोई पड़ताल बिना।
इतना दिन तक भक्ति किया,
फिर भी मोदी का मारा हूं।
वोट बैंक की राजनीति में
मैं स्वर्ण बेचारा हूं।
भरोसा किया अपने नेताओं पे,
यूं ही नहीं हारा हूं।
अब भी चुप्पी रखा मैंने
तो मैं ही बड़ा नालायक हूं।
वोट बैंक की राजनीति को
मैं स्वर्ण बेचारा हूं।

व्यापार करने में और हम बटोगे-कटोगे, हिंदू एक हो जाओ में लगे हैं।

बहरहाल, यूजीसी नियम के खिलाफ जो विरोध शुरू हुआ था, वो अब आंदोलन का रूप ले चुका है और इस बार ब्राह्मण समाज ने ऐसा प्रण लिया, जिसने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। जबकि योगी भी देखकर हैरान हैं, क्योंकि पहली बार हिंदू एकता का ऐसा विरोध होगा, जिससे ना सिर्फ एक सख्त मैसेज जाएगा बल्कि उम्मीद है कि यूजीसी पर होने वाला यह विरोध सरकार के नेताओं की कुर्सियां भी हिला सकता है। क्योंकि खबर है कि सवर्ण समाज समन्वय समिति के साथ जुड़े चालीस से ज्यादा संगठनों ने साफ कर दिया है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मदन मोहन मालवीय मिशन स्मृति भवन से जो आवाज उठी, उसने दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने मंच से ऐलान कर दिया कि अगर सरकार ने यूजीसी नियम वापस नहीं लिया तो 8 मार्च 2026 को रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन होगा। यह सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि चेतावनी है। 1 फरवरी को देशव्यापी बंद के समर्थन के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में इस मुद्दे की चर्चा शुरू हो चुकी है और लोग कह रहे हैं कि अब बात आर-पार की है। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि यह नियम समाज को जोड़ने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की रोक से बात खत्म नहीं होती, क्योंकि असली फैसला संसद को लेना होगा। जब तक संसद इस नियम को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अलग-अलग संगठनों के नेताओं ने भी एक सुर में यही बात कही। करणी सेना से लेकर भीम सेना तक और हिंदू महासभा से लेकर कायस्थ महासभा तक, सभी ने सरकार को सीधा संदेश दे दिया है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ शिक्षा का नियम नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी से जुड़ा सवाल है। यही वजह है कि इस बार विरोध सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। तैयारी जमीन पर दिख रही है। लोग अपने-अपने स्तर पर जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चुप रहने का वक्त निकल चुका है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि अब डर खत्म होता दिख रहा है। पहले लोग सोचते थे कि कोर्ट देख लेगा या सरकार समझ जाएगी, लेकिन अब भरोसा टूट चुका है। यही वजह है कि तलवार और मशाल जैसे शब्द खुलेआम बोले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर बात नहीं सुनी गई तो सड़क से संसद तक दबाव बनेगा। दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर बैठकों तक एक ही बात चल रही है कि यूजीसी नियम वापस होना चाहिए। गांव में चौपालों पर और शहरों में सभाओं में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किसके दबाव में यह नियम लाया गया? आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ सवर्ण समाज का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल है। क्योंकि जब शिक्षा में असंतुलन आएगा तो उसका असर हर घर पर पड़ेगा। अब सरकार के सामने चुनौती साफ है। एक तरफ कोर्ट की प्रतिक्रिया, दूसरी तरफ सड़क पर उतरता जन दबाव। अगर समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। 8 मार्च 2026 की तारीख अब हर चर्चा का केंद्र बन चुकी है। लोग इसे आंदोलन का निर्णायक दिन बता रहे हैं। रामलीला मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की परीक्षा का मैदान बनेगा। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी है और पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अब हर आंख दिल्ली पर टिकी है। सवाल सिर्फ इतना कि सरकार सुनेगी या टकराव बढ़ेगा? एक बात तय है कि यूजीसी नियम को लेकर जो तूफान उठा, वह आसानी से शांत होने वाला नहीं। अगर अनदेखी हुई तो आने वाले दिन सियासत और समाज दोनों को हिला के रख देंगे।●

योगी के बजट से 2027 की बिसात

आंकड़ों के सहारे सियासी दांव

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट केवल अगले वित्त वर्ष की आय-व्यय योजना नहीं है, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की सबसे ठोस राजनीतिक पटकथा के रूप में देखा जा रहा है। 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये के इस बजट के जरिए सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि वह चुनाव से पहले विकास, सुरक्षा और कल्याण तीनों मोर्चों पर अपने दावों को आंकड़ों के साथ जमीन पर उतारकर पेश करना चाहती है। पिछले बजट के मुकाबले करीब 12.9 प्रतिशत बढ़े इस आकार को सत्ता पक्ष "विश्वास का बजट" बता रहा है, जबकि इसके भीतर छिपा राजनीतिक संदेश यह है कि सरकार न तो संसाधनों की कमी से जूझ रही है और न ही चुनाव से पहले खर्च बढ़ाने से पीछे हट रही है।

सरकार ने सबसे पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपने मजबूत पक्ष के रूप में सामने रखा है। 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार 30.25 लाख करोड़ रुपये की जीएसडीपी और 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर यह दिखाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या वाला राज्य नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन चुका है। 2016-17 में जहां जीएसडीपी करीब 12.75 लाख करोड़ रुपये थी, वहीं आठ-नौ वर्षों में इसके ढाई गुना से अधिक होने को सरकार स्थिर शासन और निवेश के अनुकूल माहौल का नतीजा बता रही है। 2027 के चुनाव में यह आंकड़ा खासतौर पर शहरी मतदाताओं, कारोबारियों और निवेश से जुड़े वर्गों के सामने रखा जाएगा, ताकि यह संदेश जाए कि सत्ता में बदलाव विकास की रफ्तार को रोक सकता है। प्रति व्यक्ति आय को लेकर दिए गए आंकड़े भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। 2016-17 में 54,564 रुपये रही प्रति व्यक्ति आय के 2024-25 में बढ़कर 1,09,844 रुपये होने और 2025-26 में इसके 1,20,000 रुपये तक पहुंचने के अनुमान को सरकार आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर पेश कर रही है। यह संदेश खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए है, जो महंगाई, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य खर्च को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। सरकार का दावा है कि आय बढ़ने का मतलब सिर्फ आंकड़ों में सुधार नहीं, बल्कि उपभोग और जीवन स्तर में बदलाव है।

गरीबी के मोर्चे पर 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का दावा 2027 के लिहाज से सबसे बड़ा सामाजिक कार्ड माना जा रहा है। मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत कार्ड, शौचालय और बिजली कनेक्शन जैसी योजनाओं से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों को एक साथ रखकर सरकार यह दिखाना चाहती है कि गरीब सिर्फ योजनाओं का नाम नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति का केंद्र है। चुनावी रणनीति में यह वर्ग इसलिए अहम है क्योंकि यह सीधे सरकार से जुड़ाव महसूस करता है और उसके फैसले अक्सर स्थिर रहते हैं।

रोजगार को लेकर बजट में पेश किए गए आंकड़े विपक्ष के सबसे मजबूत मुद्दे का जवाब माने जा रहे हैं। बेरोजगारी दर 2.24 प्रतिशत बताकर सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश में रोजगार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। पुलिस विभाग में 2017 से अब तक 2 लाख 19 हजार से अधिक भर्तियां, 1 लाख 58 हजार पदोन्नतियां, 60 हजार से ज्यादा प्रशिक्षणाधीन जवान और 83 हजार से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को एक साथ जोड़कर सरकार यह दिखाना चाहती है कि सरकारी नौकरियां सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहीं। शिक्षा क्षेत्र में 34 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी दिशा में रखा गया कदम है, क्योंकि शिक्षक समुदाय ग्रामीण और कस्बाई राजनीति में राय बनाने की अहम भूमिका निभाता है। युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की रणनीति भी बजट में साफ दिखती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना गारंटी और बिना ब्याज ऋण देकर हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका राजनीतिक मतलब यह है कि सरकार उन युवाओं को भी साधना चाहती है, जिन्हें सरकारी नौकरी की सीमित सीटों से निराशा हुई है। अगर यह योजना आंशिक रूप से भी सफल होती है, तो 2027 तक लाखों परिवार सीधे इससे जुड़ सकते हैं।

कृषि क्षेत्र के आंकड़े ग्रामीण राजनीति को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। 3 लाख 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र में सरकार का सबसे मजबूत चुनावी हथियार माना जा रहा है। गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से करीब 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभ का दावा किसानों को यह याद दिलाने के लिए है कि भुगतान सीधे खाते में पहुंचा है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की लाखों मीट्रिक टन खरीद और हजारों करोड़ रुपये के भुगतान के आंकड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश हैं। नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था ग्रामीण मतदाताओं के लिए सीधा संदेश है कि सिंचाई लागत सरकार उठाने को तैयार है। महिलाओं को लेकर बजट में दिए गए आंकड़े 2022 के चुनावी अनुभव से निकले हुए माने जा रहे हैं, जहां महिला मतदाताओं का झुकाव निर्णायक साबित हुआ था। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बालिकाओं को लाभ, सेफ सिटी परियोजना, महिला पुलिस बीट, सीसीटीवी नेटवर्क और वर्किंग वूमेन हॉस्टल जैसे प्रावधान यह दिखाते हैं कि सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान को केवल कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दा मानती है। महिला मतदाता भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों आधारों पर निर्णय करती हैं, और बजट में यह संदेश उसी दिशा में जाता है।

कानून-व्यवस्था से जुड़े आंकड़े भी 2027 की चुनावी कहानी का अहम हिस्सा हैं। डकैती, लूट, हत्या और अपहरण जैसे अपराधों में 40 से 80 प्रतिशत तक कमी के दावे के जरिए सरकार यह स्थापित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश अब पहले जैसा असुरक्षित नहीं है। पुलिस भवनों, आवास और संसाधनों पर हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। यह संदेश शहरी मतदाताओं, व्यापारियों और महिलाओं के लिए खास तौर पर अहम है। कुल मिलाकर 2026-27 का बजट एक ऐसा दस्तावेज बनकर सामने आया है, जिसमें हर बड़ा आंकड़ा 2027 के मतदाता को ध्यान में रखकर चुना गया है। विकास, कल्याण, सुरक्षा और पहचान चारों को जोड़कर सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि सत्ता की निरंतरता ही स्थिरता की गारंटी है। आने वाले महीनों में यही बजट गांव-गांव, शहर-शहर होने वाली राजनीतिक बहसों का आधार बनेगा, जहां सरकार इन आंकड़ों के सहारे भरोसा मांगेगी और विपक्ष इन्हीं आंकड़ों को चुनौती देने की कोशिश करेगा।●

बीस साल बाद फिर मायावती का दलित-ब्राह्मण-मुस्लिम गठजोड़ फार्मूला

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी करीब 15 सालों से सत्ता से बाहर है। 2007 से 2012 तक सत्ता में रही बसपा को पिछले तीन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान तीन लोकसभा चुनाव में भी बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसके बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में यह धारणा आम तौर पर बनने लगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का कालखंड खत्म हो चुका है। ऐसा इस लिये भी कहा जा रहा था क्योंकि मायावती ने चुनाव प्रचार से भी काफी हद तक किनारा कर लिया था। बात अंतिम बार 2007 में विधानसभा चुनाव जीती बसपा की उस समय की चुनावी रणनीति की की जाये तो 2007 का चुनाव मायावती सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से जीती थी। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने राजनीतिक इतिहास रच दिया। 2007 में मायावती ने सामाजिक समीकरण साधकर 403 सीटों में से 206 सीटों पर कब्जा जमाया और कुल 30.43 प्रतिशत वोट हासिल किए। बसपा सुप्रीमो की यह जीत दलितों के परंपरागत वोट बैंक के अलावा ब्राह्मणों और कुछ गैर-यादव पिछड़ी जातियों तथा मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से संभव हुई थी। यह और बात है कि इसके बाद मायावती का यह फार्मूला दोबारा परवान नहीं चढ़ पाया।

बहरहाल, अबकी करीब 20 सालों के बाद एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिये बसपा के पक्ष में दलितों के साथ ब्राह्मणों एवं मुसलमानों के वोटों की गोलबंदी देखी जा रही है। ब्राह्मणों और मुसलमानों के एक बार फिर बसपा की तरफ रुख करने की वजह में जाया जाए तो ऐसा लगता है कि योगी राज में ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनके साथ यह सरकार नाइंसाफी कर रही है। नौकरशाही से लेकर सरकार तक में महत्वपूर्ण पदों से ब्राह्मणों को दूर रखा गया है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में ब्राह्मण नेताओं का प्रवेश अधिक देखा गया है। जनवरी 2026 में अंबेडकर नगर से भाजपा के दिग्गज नेता राधेश्याम पांडे 51-100 ब्राह्मण समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हुए। उन्होंने मायावती से मुलाकात कर पार्टी जॉइन की। दिसंबर 2025 में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता जैसे जितेंद्र मिश्रा, दीपक द्विवेदी, नीरज पांडे, विशाल मिश्रा, वैभव दुबे, अनुराग शुक्ला, मोहित शर्मा भाजपा से बसपा में शामिल हुए। यह 2027 चुनाव से पहले भाजपा को झटका था। जनवरी 2026 में एक अन्य बड़े ब्राह्मण नेता ने मायावती से मुलाकात कर बसपा जॉइन की। वहीं मुसलमान इसलिये बसपा की तरफ फिर से मुड़ता दिख रहा है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों से वोट तो लेती है, लेकिन उनका (मुसलमानों का) हक उन्हें नहीं दिया जाता है। इसी तरह से मुसीबत के समय भी अखिलेश मुसलमानों से दूरी बना लेते हैं। पार्टी

के दिग्गज नेता आजम खान को अकेला छोड़ देना इसकी सबसे बड़ी मिसाल बताते हैं। बाहुबली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की भी मौत के लिये मुस्लिम समाज कहीं न कहीं अखिलेश यादव को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अतीक और मुख्तार को लेकर उकसाया नहीं होता तो आज वह जिंदा होते। दलित वोटरों ने बसपा को पूर्ण समर्थन दिया। जाटव समुदाय के 86 प्रतिशत मतदाताओं ने मायावती को चुना, जबकि वाल्मीकि जाति के 71 प्रतिशत ने पार्टी को तरजीह दी। पासी समुदाय से 53 प्रतिशत और अन्य अनुसूचित जातियों से 58 प्रतिशत वोट बसपा के खाते में आए। इन दलित उपजातियों की मजबूत पकड़ ने पार्टी को आधार प्रदान किया, क्योंकि दलित उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 21 प्रतिशत हैं। ऊपरी जातियों में ब्राह्मणों का 16 प्रतिशत समर्थन मिला, जो निर्णायक साबित हुआ। बसपा ने 51 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 20 जीते, लेकिन यह जीत मुख्यत: निचली जातियों के वोटों से आई। ठाकुरों और अन्य ऊपरी जातियों ने भी सीमित लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पिछड़ी जातियों ने भी बसपा की ओर रुख किया। गैर-यादव और गैर-कुर्मी अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 प्रतिशत मतदाताओं ने पार्टी चुनी। कुल पिछड़ा वर्ग के कई खंडों से वोट उमड़े, जिसने सामाजिक समीकरण को मजबूत बनाया। बसपा ने 110 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार मैदान में उतारे। यह समर्थन समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से छिटके वोटरों का परिणाम था, जो विकास और सुशासन के वादों से प्रभावित हुए। मुस्लिम मतदाताओं का योगदान सबसे चमत्कारिक रहा। 2007 में बसपा को कुल वोटों में मुस्लिम वोट 10 प्रतिशत से अधिक थे। एक सर्वे के अनुसार 17 प्रतिशत मुस्लिमों ने पार्टी को समर्थन दिया। पार्टी ने 61 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 29 विधायक बने। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19 प्रतिशत होने के बावजूद यह समर्थन बहुमत के लिए

जरूरी साबित हुआ। समाजवादी पार्टी से नाराज मुस्लिमों ने बसपा को मौका दिया, क्योंकि मायावती ने अल्पसंख्यक कल्याण के वादे किए। मायावती की रणनीति ने जातिगत बंधनों को तोड़ा। दलित-ब्राह्मण गठजोड़ की बात भले ही प्रचारित हुई, लेकिन वास्तव में जाटव, वाल्मीकि, पासी जैसे दलितों के साथ अन्य अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्ग के 30 प्रतिशत, ब्राह्मणों के 16 प्रतिशत और मुस्लिमों के 17 प्रतिशत वोटों ने चमत्कार रचा। बसपा का वोट प्रतिशत 2002 के 23 से बढ़कर 30 हो गया। पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों से ऊपरी जातियों को लुभाया, जबकि मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया। यह जीत सामाजिक न्याय की मिसाल बनी। मायावती ने सत्ता में आकर अपराध पर अंकुश लगाया और विकास कार्य तेज किए। लेकिन जातिगत समीकरण की बारीकी ने राजनीति को नया आयाम दिया। दलितों का कोर वोट 80-86 प्रतिशत तक रहा, ऊपरी जातियों से 16-20 उम्मीदवार जीते, पिछड़ों से 30 प्रतिशत समर्थन और मुस्लिमों के 17 प्रतिशत ने पूर्ण बहुमत सुनिश्चित किया।

बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरह से पंडित कार्ड खेल रही हैं, इसका ताजा उदाहरण यह बताता है कि उनका ब्राह्मणों के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है। मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नये नियमों को लेकर सवर्णों, विशेषकर ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद से चल रही राजनीति पर और इसके बाद बॉलीवुड फिल्म 'घूसखोर पंडित' के खिलाफ ब्राह्मणों के पक्ष में बयान देने में देरी नहीं की। इससे पहले यूजीसी के नये नियम पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा था कि इस नये कानून से किसी को बिना वजह प्रताड़ित नहीं किया जाये। देश भर में 'घूसखोर पंडित' फिल्म

के विरोध के बीच बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। वहीं यूजीसी प्रकरण में असहज हुई भाजपा भी अब फिल्म के मुद्दे पर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है।

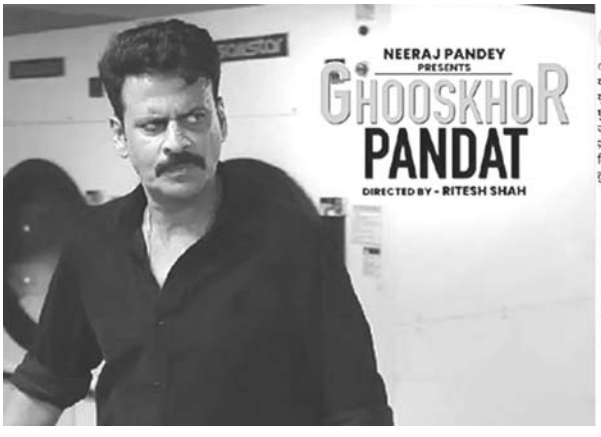

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म पर एफआईआर के निर्देश देकर इस वर्ग के साथ का संदेश दिया। बसपा प्रमुख ने इस मामले में 06 फरवरी को एक्स पर लिखा, 'यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं, बल्कि अब तो फिल्मों में भी 'पंडित' को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस जातिसूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, यह बसपा की मांग है।' वर्ष 2007 में बसपा ने ब्राह्मणों के साथ सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला था और बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार भी बसपा उसी फार्मूले पर चुनावी तैयारी में जुटी है और पार्टी प्रमुख के एक्स पोस्ट को उसी रणनीति को आगे बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है।●

शंकराचार्य के बहाने हिंदू धर्म पर चोट

● संजीव कुमार झा

माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज स्थित संगम नोज में स्नान के लिए जा रहे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज समेत ब्राह्मणों के साथ संगम तट पर जो कुछ हुआ, वह इतिहास की चंद पुरानी घटनाओं की याद दिलाता है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि एक ब्राह्मण का अपमान करके जो महान गलती धनानंद ने भी की थी, उसके कारण उसे अपना साम्राज्य तक गंवाना पड़ गया था। इतिहास से इतर अगर अध्यात्म की ओर ही वापस लौटें, तो दक्ष की सभा तो सबको याद होगी, जहां शंकर जी का अपमान होने पर क्या हुआ था! दक्ष ने भगवान शंकर को तुच्छ समझते हुए उन्हें अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। परिणाम? देवी सती ने आत्मदाह किया, और क्रोधित शिव ने वीरभद्र को भेजा, पूरा यज्ञ नष्ट हो गया, दक्ष का सिर कट गया, देवताओं की सेना तहस-नहस हो गई। वह अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि धर्म और आस्था का था, और उसका अंत विनाशकारी था। उसी तरह की कुछ घिनौनी और निंदनीय गलती उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने दोहराई है। सत्ता के मद में अंधी हो चुकी इन सरकारों की आंखों में अब बस कुर्सी का लोभ शेष है। इनके लिए धर्म और सनातन की इज्जत का कोई मोल नहीं बचा है। तभी तो ब्राह्मणों को

अपमानित करके ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और, इतिहास गवाह है कि ऐसे कृत्य करने वालों की सत्ता स्थायी नहीं होती है।

दरअसल, माघ मेले में जो कुछ हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुलिस-प्रशासन ने ब्राह्मणों की पवित्र शिखा, जो ब्राह्मण की पहचान और सनातन धर्म का प्रतीक है, उसे पकड़कर लाठियां बरसाईं। ब्राह्मणों को कुत्तों की तरह पीटा गया और उनके सम्मान को रौंदा गया। और, ऊपर से आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा के चलशंकर, जिन्हें पूजनीय माना जाता है, उन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी पालकी का छत्रप तोड़ दिया गया और उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया। यह घटना इसलिए भी ज्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद भगवाधारी हैं और खुद को 'योगी' कहते हैं, लेकिन उनकी सरकार एवं उनके प्रसासन के इस घोर निंदनीय कृत्य के बाद उन्हें खुद को शुद्ध 'राजनीतिक व्यक्ति' घोषित कर वह भगवा चोला उतार देना चाहिए, जिसे पहनकर वह खुद को 'संत' कहते हैं। हद तो तब हो गई, जब इन्होंने ठीक उसी तर्ज पर इस घटना के बारे में भी झूठ बोला जैसे काशी में तोड़े गए मंदिरों पर

प्रशासन और पक्ष-विपक्ष

शंकराचार्य विवाद मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसरों और मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने न केवल सफाई दी है, बल्कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों का जवाब भी दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उनको शंकराचार्य का प्रोटोकॉल देने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे पहले भी उन्हें माघ मेले में कभी भी शंकराचार्य के रूप में सुविधा नहीं दी गई है। जबकि शंकराचार्य अपने लिए प्रोटोकॉल और अपने शिष्यों के लिए विशेष सुविधाएं मांग रहे थे। प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल का कहना है कि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दो वाहनों की अनुमति मांगी थी, लेकिन मेला प्रशासन ने अत्यधिक भीड़ और सुरक्षा का हवाला देते हुए इसके लिए मना कर दिया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिष्यों के साथ पालकी में सवार होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम नोज तक पहुंच गए, जहां मेला प्रशासन ने इनके काफिले को रोक दिया जिससे बहस बढ़ गई। जहां तक अविमुक्तेश्वरानंद का उनके शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट के अलावा उनके साथ गलत व्यवहार करने या अपमान करने का आरोप है, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी जांच की जाएगी और अगर प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।

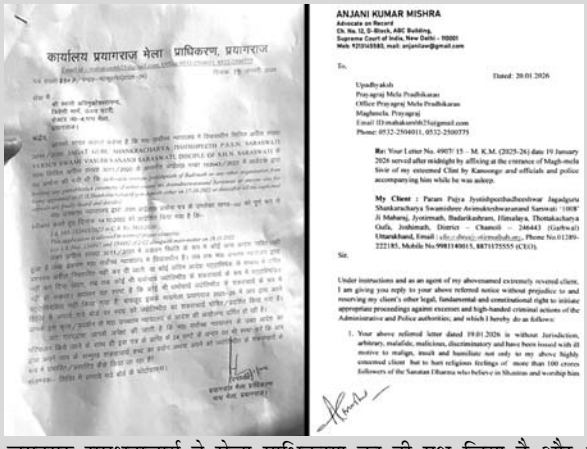

बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मेला प्राधिकरण ने कानूनी नोटिस भेजकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से उनके 'शंकराचार्य' होने का प्रमाण भी मांगा है। प्रशासन द्वारा शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शंकराचार्य ने मेला प्राधिकरण के नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना और असंवैधानिक बताया है। साथ ही

कार्यालय प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज

ANJANI KUMAR MISHRA
Advocate on Record
Ch. No. 12, D-Block, ABC Building,
Supreme Court of India, New Delhi - 110001

To,

Dated: 20.01.2026

Upadhyaksh
Prayagraj Mela Pradhikaran
Office Prayagraj Mela Pradhikaran
Maghmela, Prayagraj

Sir,

Under instructions and as an agent of my abovenamed extremely revered client, I am giving you reply to your above referred notice without prejudice to and reserving my client's other legal, fundamental and constitutional right to initiate appropriate proceedings against excesses and high-handed criminal actions of the Administrative and Police authorities; and which I hereby do as follows:

1. Your above referred letter dated 19.01.2026 is without Jurisdiction, arbitrary, malafide, malicious, discriminatory and have been issued with ill motive to malign, insult and humiliate not only to my above highly esteemed client but to hurt religious feelings of more than 100 crores followers of the Sanatan Dharma who believe in Shastras and worship him

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण को 8 पन्नों में अंग्रेजी में जवाब भेजते हुए स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने जीवनकाल में ही उन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि शंकराचार्य पद को लेकर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। इधर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मेला प्राधिकरण का ही पक्ष लिया है और अविमुक्तेश्वरानंद के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि पालकी पर स्नान शास्त्रों के विरुद्ध है। वह यहां तक कहते हैं कि जो भी व्यक्ति या व्यवस्था शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करती है, उसे न सुख मिलता है, न शांति और न ही सद्गति। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शंकराचार्य को रथ या पालकी में चढ़कर स्नान करने नहीं जाना चाहिए था। जबकि, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से फोन पर बातचीत करने के साथ ही एक्स पर ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रशासन द्वारा शंकराचार्य से प्रमाण मांगने को लेकर सवाल भी उठाए हैं। सपा इस मामले में खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में आ गई है। ऐसे में कोई दो राय नहीं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के आने वाले समय में और ज्यादा गहराने की आशंका है, क्योंकि इस घटनाक्रम के बहाने राजनीति और धर्म के बीच के संबंधों और उभरते विवाद को और तूल मिलने की संभावना है।

मीडिया में झूठ बोला था। काशी के वे पवित्र मंदिर, जो सदियों से खड़े थे, उन्हें तोड़कर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्या साबित करना चाहती है? और, अब वैसे ही प्रयागराज के माघ मेले में हुई मारपीट पर भी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि सारा दोष शंकराचार्य का है। मेला प्रशासन ने केवल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। यहां कि साधु-संतो के साथ मारपीट का जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, वह भी एआई जनरेटेड है और पूरी तरह से फर्जी है। दरअसल, संगम पर जो हुआ, वह किसी अफवाह या सुनी-सुनाई बात जैसा नहीं लगता। घटना के बारे में बताते चलें कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान के दिन सुबह करीब 9 बजे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने लगभग सौ संतों, शिष्यों और भक्तों के साथ पुल नंबर-2 से संगम नोज की ओर बढ़ रहे थे। वह पुल सामान्य तौर पर बंद था, लेकिन शिष्यों के आग्रह पर उसे शंकराचार्य के लिए खोल दिया गया। काफिला आगे बढ़ा और संगम पहुंचा, जहां चारों ओर स्वागत और श्रद्धा का माहौल था। इसके बाद पालकी आगे बढ़ी। शंकराचार्य संगम स्नान के लिए आगे जाना चाहते थे। लेकिन, यहीं पर प्रशासन और शिष्यों के बीच मतभेद शुरू हो गया। भीड़ का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि, 'पालकी को संगम पुलिस चौकी के पास रोक दीजिए, आगे सिर्फ पैदल चलिए।' जबकि, आगे और पीछे की दूरी सिर्फ 40-50 मीटर ही थी, लेकिन इसी छोटी दूरी ने हालात बिगाड़ दिए। शिष्यों ने आगे जाने की जिद की। बात बहस में बदली और बहस ने जल्द ही धक्का-मुक्की का रूप ले लिया। प्रत्याक्षदर्शियों की मानें तो पुलिस ने एक-एक कर साधुओं और शिष्यों को पकड़ना शुरू किया। किसी को घसीटा गया, किसी को जमीन पर गिराया गया। एक शिष्य के साथ तो कथित तौर पर अधनंगा कर बाल पकड़कर मारपीट की गई। धीरे-धीरे सभी शिष्यों को अलग कर लिया गया। ऐसे में शंकराचार्य अकेले रह गए। उनके चारों ओर उत्तर प्रदेश पुलिस,

रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बल का घेरा बना दिया गया। करीब तीन घंटे तक बहस चलती रही। शंकराचार्य का रुख साफ था, 'जब तक उनके लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें सम्मानपूर्वक संगम स्नान नहीं कराया जाएगा, तब तक वे लौटने को तैयार नहीं हैं।' कुछ देर बाद पुलिस ने शिष्यों को छोड़ा। पालकी फिर आगे बढ़ी, लेकिन स्थिति फिर वही हो गई। संगम की ओर जाने से दोबारा रोका गया। फिर ध क्का-मुक्की हुई। और इस बार सभी शिष्यों को खींचकर संगम पुलिस चौकी के अंदर बंद कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। कुछ लोगों ने पालकी को जोर से धक्का देते हुए संगम से करीब 500 मीटर दूर ले जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान शंकराचार्य की पालकी का वह छत्रप टूट गया, जो छत्रप सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि गरिमा, परंपरा और सम्मान का प्रतीक होता है। शंकराचार्य बार-बार पूछते रहे, 'आप लोग कौन हैं?' लेकिन किसी ने कोई पहचान नहीं बताई। सभी सादी वर्दी में थे। शंकराचार्य का दावा है कि वे प्रशासन से जुड़े लोग थे। अंततः शंकराचार्य को अक्षय वट पर अकेला छोड़ दिया गया, जिसके कारण उन्हें बिना संगम स्नान के लौटना पड़ा। इसी के साथ उनके शिष्यों को भी पुलिस वाहनों में बैठाकर सीधे उनके आश्रम छोड़ दिया गया।

अब प्रत्यक्षदर्शी की बातों पर भरोसा करना और उसे सही या गलत मानना या ठहराना हर व्यक्ति के अपने विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन यहां सवाल जरूर खड़ा होता है कि 'क्या हिंदू धर्म के इतने बड़े धर्मगुरु के साथ ऐसा होना चाहिए था?' सोचने की बात यह है कि जो खुद को 'हिंदुत्व का ठेकेदार' और श्सनातन का रक्षकश कहते हों और 'बंटोगे तो कटोगे' का नारा बुलंद करते हों, 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देते हों, लेकिन, मस्जिदों और चर्चों में तोड़फोड़ के साथ ही वहां जिनके गुर्गे हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हों, वही जब अपनी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सवाल उठाने वाले शंकराचार्य जैसे संत को 'राजनीतिक' करार देकर अपमानित करते हों, तो उनकी नीयत और नीति पर संदेह होना लाजिमी है। क्या इनकी सरकार इतनी कमजोर है कि सत्य की आवाज सहन नहीं कर पाती है? दरअसल, यह अपमान सिर्फ जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और सनातन की जड़ पर गहरा आघात है! उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की इस हरकत ने साबित कर दिया कि भाजपा का हिंदुत्व सिर्फ चुनावी जुमला है और असली भक्ति से इनका दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है! धर्म के इन कथित ठेकेदारों का असली कर्म 'धर्म की चुनावी राजनीति' करना है। सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह का अपमान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का किया गया, क्या दलाई लामा, पोप या खलीफा के साथ वैसा ही अपमान, वैसी ही मारपीट, वैसी ही रोक-टोक उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार कर सकती है? इसका सीधा

जवाब है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इनके साथ ऐसा करने की जुर्रत भी की गई, तो इनकी दुनिया में तूफान आ जाएगा! पूरी दुनिया चीख-चीखकर निंदा करेगी, मीडिया में आग लग जाएगी, अंतरराष्ट्रीय दबाव बनेगा और इनकी सरकारों की चूलें हिल जाएंगी।

दरअसल, आज हिंदुत्व के नाम पर सत्ता की कुर्सी पर बैठे सरकार ने जो कृत्य किया है, वह किसी साधारण मनुष्य का अपमान नहीं, बल्कि साक्षात् चल शंकर, भगवान शिव के जीवंत स्वरूप का घोर अपमान है। किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए के यह देश हिंदुत्व की भूमि है, जहां शंकराचार्य जैसे महान संतों को देवतुल्य माना जाता है, न कि उन्हें सियासी और चुनावी रैलियों का मोहरा। शंकराचार्य कोई मामूली व्यक्तित्व नहीं हैं। वह आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के वाहक हैं, जो खुद भगवान शंकर का अवतार माने जाते हैं। उनकी वाणी वेदों की तरह पवित्र और उनकी उपस्थिति शिवलिंग की तरह दिव्य मानी जाती है। ऐसे में शंकराचार्य का अपमान करके क्या अहंकारी सरकार ने हिंदुत्व को बेच दिया है? राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में संतों को ही कुचल दिया?●

कौन हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

भारत में चार प्रमुख मठख्र गुजरात के द्वारका स्थित शारदा मठ, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ज्योतिर्मठ, ओडिशा के पुरी में स्थित गोवर्धन मठ और कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले के तुंगा नदी के किनारे स्थित शृंगेरी मठ हैं। देश के चारों दिशाओं में इन मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी।

उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित ज्योतिर्मठ के वर्तमान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संस्कृत व्याकरण, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, आयुर्वेद और शास्त्रों की गहन शिक्षा के बाद 1990 के दशक में संन्यास लिया। स्वामी करपात्री जी के अस्वस्थ होने पर वह उनकी सेवा में जुट गए और अंतिम समय तक उनके साथ रहे। इसी दौरान उनका संपर्क ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुआ। 15 अप्रैल, 2003 को उन्हें दंड संन्यास की दीक्षा दी गई और तभी उन्हें नाम मिला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। लेकिन, इनके शंकराचार्य को लेकर विवाद बना हुआ है। हालांकि, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दो मठ का समर्थन पहले से प्राप्त है, अब तक केवल एक मठ ही इनके पक्ष में नहीं था। लेकिन, बहुत जल्द दिल्ली में एक बड़ा धार्मिक आंदोलन होने वाला है जिसमें चारों शंकराचार्य जुटने वाले हैं। उसमें तीसरे मठ का समर्थन भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिलने वाला है जिससे असली या नकली शंकराचार्य का विवाद स्वतः हल्का पड़ जाएगा। हालांकि, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। कहा जाता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु, यानी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उनको कभी भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। सितंबर 2022 में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद खुद ही अविमुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य घोषित कर लिया। इसी को लेकर विवाद बना हुआ है, जिस पर मेला प्राधिकरण ने इन्हें नोटिस भेजा है।

सपा-कांग्रेस को ओवैसी के चलते मुस्लिम वोटों के बंटवारे की चिंता

● **संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता सदैव निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी एकजुटता और रणनीतिक वोटिंग ने कई चुनावों के परिणाम बदल दिए हैं। प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब बीस प्रतिशत है, जो सवा चार सौ विधानसभा क्षेत्रों में से सवा सौ से अधिक पर अपना प्रभाव डालती है। इनमें सत्तर क्षेत्र ऐसे हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत तीस से अधिक रहता है। कभी कांग्रेस का मजबूत आधार रहे ये मतदाता अब हवा के रुख के अनुसार अपना पाला बदल लेते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा उन दलों को सत्ता से दूर रखना रहता है, जो हिंदू हितों की बात प्रमुखता से करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के कमजोर पड़ने के साथ मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख करने में जरा भी गुरेज नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अधिकांश मुस्लिम वोट मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी कुछ हिस्सा हाथ लगा। बीते निकाय चुनावों में यह पैटर्न बदला, जब मुस्लिम मतदाताओं ने एक दल के पीछे न जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छोटे दलों के मुस्लिम प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अधिक समर्थन मिला। इस बदलाव ने राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मुस्लिम नेताओं ने अपनी अलग पार्टियां बनाकर इन मतों को लुभाने की कोशिश की। मुस्लिम लीग और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जैसे पुराने संगठनों के बाद पीस पार्टी तथा उलेमा काउंसिल ने मैदान संभाला। 2022 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ने राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के साथ गठबंधन कर कई प्रत्याशी उतारे, लेकिन सफलता सीमित रही। इन प्रयासों से मुस्लिम वोटों में कुछ बिखराव तो हुआ, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया।

अब सबसे अधिक चिंता का विषय है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उभार। बिहार चुनावों में पांच सीटें जीतने के बाद ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पर नजरें टिका ली हैं। पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए सौ सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी और अब 2027 के चुनावों के लिए ओवैसी की पार्टी ने 200 क्षेत्रों को चार भागों में बांटकर चुनाव लड़ने की तैयारी

तेज कर दी है। इसकी वजह भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और बरेली में पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। निकाय चुनावों में यहां उसके प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। ओवैसी का यह उभार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सभी की नींद उड़ा रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक में भी मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर चिंता जताई गई। बिहार और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के उदाहरण देते हुए सपा नेताओं द्वारा यहां तक कहा गया कि ओवैसी के बिना गठबंधन से नुकसान हो सकता है। कुछ सांसदों ने गठबंधन का सुझाव दिया, हालांकि शिवपाल यादव ने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया। फिर भी मिशन 2027 की रणनीति पर विचार चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की चिंता भी सामने आ चुकी है। संसद भवन परिसर में सांसद इमरान मसूद से बातचीत का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने हैदराबादी परेशानी को उत्तर प्रदेश में घुसने से रोकने की बात कही। सभी इसे ओवैसी पर तंज मान रहे हैं। खरगे ने चेतावनी दी कि ऐसा होने पर सभी को नुकसान होगा। यह वीडियो राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ चुका है।

बहरहाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता किसके साथ खड़े होंगे, यह सवाल सभी को कुरेद रहा है।

यदि पैटर्न पुराना रहा तो अधिकांश वोट समाजवादी पार्टी को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। लेकिन ओवैसी के बढ़ते प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 70 से अधिक क्षेत्रों में वोट बंट सकते हैं। यहां मुस्लिम युवाओं में असंतोष है और ओवैसी मुस्लिम हितों पर सीधी बात करते हैं। बिहार की तर्ज पर यदि वे पांच से दस सीटें जीत लेते हैं, तो समाजवादी पार्टी का नुकसान बढ़ सकता है। कांग्रेस का आधार पहले से कमजोर है, इसलिए उसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। खरगे की चिंता इसी का संकेत है। उधर, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बसपा मुस्लिम वोट खो चुकी है, क्योंकि उसकी रणनीति अब ब्राह्मणों पर केंद्रित है। यदि समाजवादी पार्टी ने ओवैसी से गठबंधन किया, तो मुस्लिम वोट एकजुट रह सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पिछड़े वोट बैंक में दरार और मुस्लिम वोटों के जरिये ओवैसी अपने लिए नई जमीन मजबूत कर सकते हैं। बिना गठबंधन के ओवैसी स्वतंत्र लड़ेंगे, तो मुस्लिम वोट तीन भागों में बंटेंगे, जिससे भाजपा को फायदा होगा।

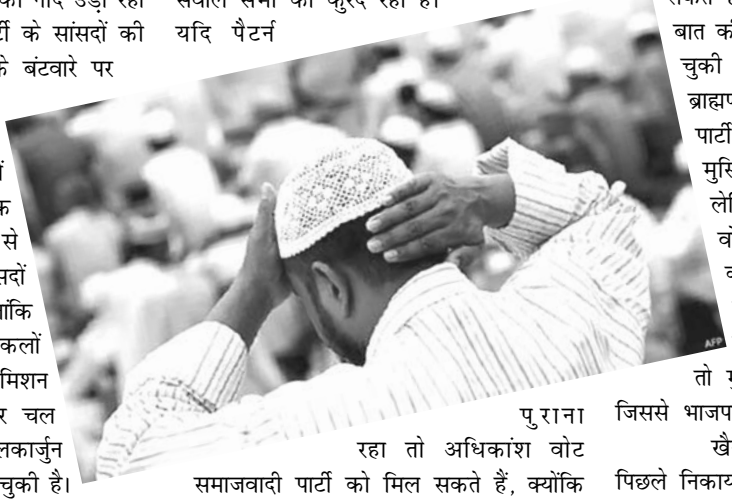

खैर, कहा यह भी जा रहा है कि पिछले निकाय चुनावों से साफ हो गया है कि मुस्लिम मतदाता अब विवेकपूर्ण हो गए हैं। वे एक दल के पीछे नहीं भागते, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर फैसला लेते हैं। 2027 में आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी और विकास के साथ धार्मिक ध्रुवीकरण भी भूमिका निभाएंगे। यदि भाजपा ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे, जैसा कुंदरकी उपचुनाव में हुआ, तो वहां भी सेंध लग सकती है। कुल मिलाकर मुस्लिम वोट का अधिकांश भाग समाजवादी पार्टी या ओवैसी के साथ रहेगा, लेकिन बिखराव भाजपा के हित में होगा। यह चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। ओवैसी यदि जनाधार मजबूत रखे, तो मुस्लिम राजनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा। समाजवादी पार्टी को रणनीति बदलनी पड़ेगी, ताकि वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस को तो मुस्लिम समर्थन वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।●

मुख्यमंत्री के मानस पुत्र के संरक्षण में कुलपति शाही ने मगध विश्वविद्यालय को बनाया कोठा

शिक्षा का मंदिर या भ्रष्टाचार का अड्डा?

मगध विश्वविद्यालय : एक ऐतिहासिक संस्थान का सुनियोजित पतन

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

वह भारत जिसने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना कर समूचे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिखाया था, जिस बिहार की धरती ने आचार्य चाणक्य, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, कवि विद्यापति, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, साहित्यकार देवकीनंदन खत्री, फणीश्वर नाथ रेणु और बाबा नागार्जुन जैसे दिग्गजों को जन्म दिया, आज उसी बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। आज बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रसार के अपने मूल ध्येय से भटककर निजी कॉलेजों की संबद्धता में दलाली, परीक्षाओं में धांधली, फर्जी डिग्री के व्यापार और विश्वविद्यालय की चल-अचल संपत्ति के अवैध दोहन में लिप्त हो गए हैं। सिंडिकेट बैठकों में छात्रों के भविष्य की योजनाएँ गौण हो गई हैं और निजी स्वार्थ की योजनाएँ प्राथमिक। राज्यपाल भवन से कुलपतियों की नियुक्ति में पैसे लेने के आरोप बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस संपूर्ण संकट के केंद्र में है-बोधगया स्थित प्रतिष्ठित **''मगध विश्वविद्यालय''** और उसके विवादास्पद कुलपति **''शशि प्रताप शाही''**, जो मुख्यमंत्री के मानस पुत्र और वरिष्ठ मंत्री अशोक कुमार चौधरी के गुरु होने का लाभ उठाकर एक ऐतिहासिक संस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देने के गंभीर आरोपों से घिरे हैं।

❖ **सामाजिक सरोकार : यह केवल एक विश्वविद्यालय का मामला नहीं**

यह आलेख केवल एक कुलपति की कहानी नहीं है। यह उन लाखों छात्रों की कहानी है जो बिहार के सुदूर गाँवों से, गरीब परिवारों से, पिछड़े समाजों से उच्च शिक्षा का सपना लेकर आते हैं और जिनकी परीक्षा शुल्क, उनकी मेहनत और उनके भविष्य का पैसा कुलपति की विलासिता पर खर्च कर दिया जाता है। यह उन महिलाओं की कहानी है जो शिक्षा को अपनी मुक्ति का माध्यम मानती हैं, उन दलितों-पिछड़ों की कहानी है जो संविधान की गारंटी पर आरक्षण पाकर विश्वविद्यालय आते हैं, लेकिन वहाँ उनका स्वागत फर्जी डिग्रियों और भ्रष्ट प्रशासन से होता है। यह उन किसानों की कहानी है जिन्होंने 1962 में श्रद्धा से मगध विश्वविद्यालय को जमीन दान की थी और वह जमीन आज भू-माफिया

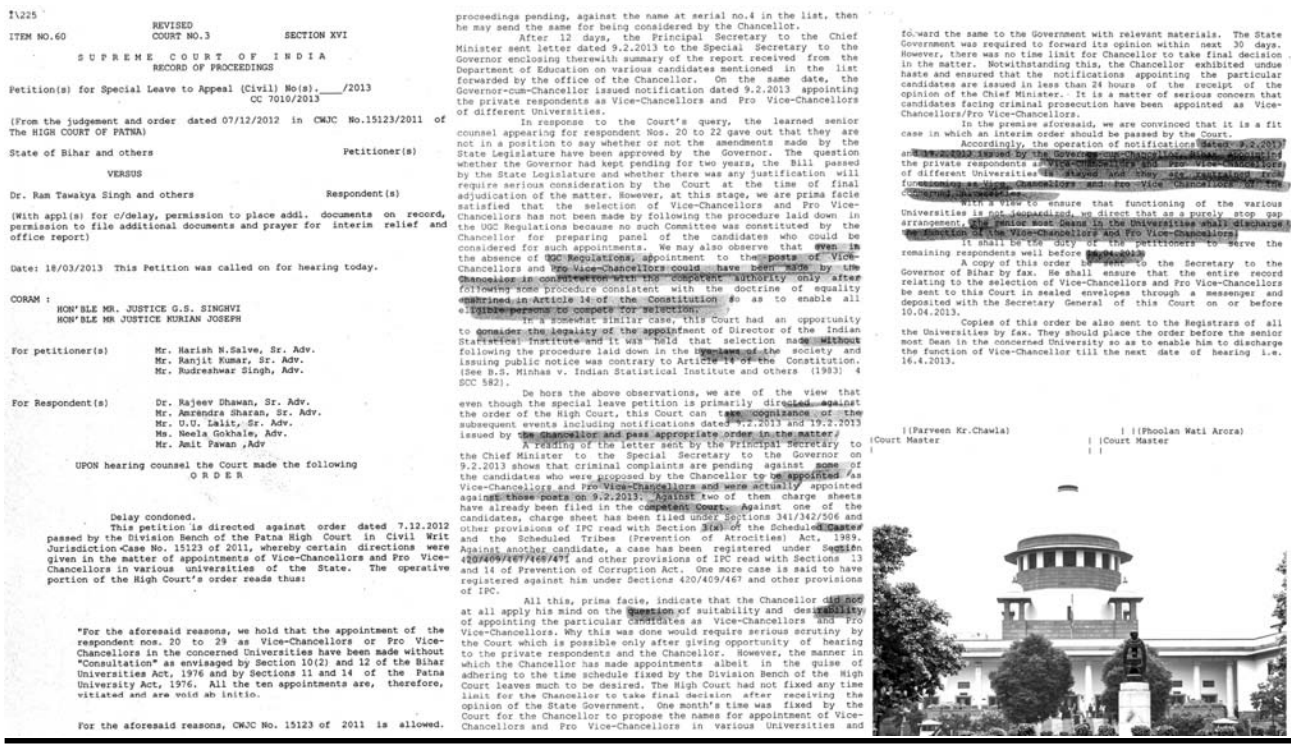

I\225

ITEM NO.60 REVISED COURT NO.3 SECTION XVI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Civil) No(s).____/2013
CC 7010/2013

(From the judgement and order dated 07/12/2012 in CWJC No.15123/2011 of The HIGH COURT OF PATNA)

State of Bihar and others Petitioner(s)

VERSUS

Dr. Ram Tawakya Singh and others Respondent(s)

(With appl(s) for c/delay, permission to place addl. documents on record, permission to file additional documents and prayer for interim relief and office report)

Date: 18/03/2013 This Petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE G.S. SINGHVI
HON'BLE MR JUSTICE KURIAN JOSEPH

For petitioner(s) Mr. Harish N.Salve, Sr. Adv.
Mr. Ranjit Kumar, Sr. Adv.
Mr. Rudreshwar Singh, Adv.

For Respondent(s) Dr. Rajeev Dhawan, Sr. Adv.
Mr. Amrendra Sharan, Sr. Adv.
Mr. U.U. Lalit, Sr. Adv.
Ms. Neela Gokhale, Adv.
Mr. Amit Pawan ,Adv

UPON hearing counsel the Court made the following
O R D E R

Delay condoned.

This petition is directed against order dated 7.12.2012 passed by the Division Bench of the Patna High Court in Civil Writ Jurisdiction Case No. 15123 of 2011, whereby certain directions were given in the matter of appointments of Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors in various universities of the State. The operative portion of the High Court's order reads thus:

"For the aforesaid reasons, we hold that the appointment of the respondent nos. 20 to 29 as Vice-Chancellors or Pro Vice-Chancellors in the concerned Universities have been made without "Consultation" as envisaged by Section 10(2) and 12 of the Bihar Universities Act, 1976 and by Sections 11 and 14 of the Patna University Act, 1976. All the ten appointments are, therefore, vitiated and are void ab initio.

For the aforesaid reasons, CWJC No. 15123 of 2011 is allowed.

proceedings pending, against the name at serial no.4 in the list, then he may send the same for being considered by the Chancellot.

After 12 days, the Principal Secretary to the Chief Minister sent letter dated 9.2.2013 to the Special Secretary to the Governor enclosing therewith summary of the report received from the Department of Education on various candidates mentioned in the list forwarded by the office of the Chancellor. On the same date, the Governor-cum-Chancellor issued notification dated 9.2.2013 appointing the private respondents as Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors of different Universities.

In response to the Court's query, the learned senior counsel appearing for respondent Nos. 20 to 22 gave out that they are not in a position to say whether or not the amendments made by the State Legislature have been approved by the Governor. The question whether the Governor had kept pending for two years, the Bill passed by the State Legislature and whether there was any justification will require serious consideration by the Court at the time of final adjudication of the matter. However, at this stage, we are prima facie satisfied that the selection of Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors has not been made by following the procedure laid down in the UGC Regulations because no such Committee was constituted by the Chancellor for preparing panel of the candidates who could be considered for such appointments. We may also observe that even in the absence of UGC Regulations, appointment to the posts of Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors could have been made by the Chancellor in consultation with the competent authority only after following some procedure consistent with the doctrine of equality enshrined in Article 14 of the Constitution so as to enable all eligible persons to compete for selection.

In a somewhat similar case, this Court had an opportunity to consider the legality of the appointment of Director of the Indian Statistical Institute and it was held that selection made without following the procedure laid down in the bye-laws of the society and issuing public notice was contrary to Article 14 of the Constitution. (See B.S. Minhas v. Indian Statistical Institute and others (1983) 4 SCC 582).

De hors the above observations, we are of the view that even though the special leave petition is primarily directed against the order of the High Court, this Court can take cognizance of the subsequent events including notifications dated 9.2.2013 and 19.2.2013 issued by the Chancellor and pass appropriate order in the matter.

A reading of the letter sent by the Principal Secretary to the Chief Minister to the Special Secretary to the Governor on 9.2.2013 shows that criminal complaints are pending against some of the candidates who were proposed by the Chancellor to be appointed as Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors and were actually appointed against those posts on 9.2.2013. Against two of them charge sheets have already been filed in the competent Court. Against one of the candidates, charge sheet has been filed under Sections 341/342/506 and other provisions of IPC read with Section 3(x) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. Against another candidate, a case has been registered under Section 420/409/467/468/471 and other provisions of IPC read with Sections 13 and 14 of Prevention of Corruption Act. One more case is said to have registered against him under Sections 420/409/467 and other provisions of IPC.

All this, prima facie, indicate that the Chancellor did not at all apply his mind on the question of suitability and desirability of appointing the particular candidates as Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors. Why this was done would require serious scrutiny by the Court which is possible only after giving opportunity of hearing to the private respondents and the Chancellor. However, the manner in which the Chancellor has made appointments albeit in the guise of adhering to the time schedule fixed by the Division Bench of the High Court leaves much to be desired. The High Court had not fixed any time limit for the Chancellor to take final decision after receiving the opinion of the State Government. One month's time was fixed by the Court for the Chancellor to propose the names for appointment of Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors in various Universities and forward the same to the Government with relevant materials. The State Government was required to forward its opinion within next 30 days. However, there was no time limit for Chancellor to take final decision in the matter. Notwithstanding this, the Chancellor exhibited undue haste and ensured that the notifications appointing the particular candidates are issued in less than 24 hours of the receipt of the opinion of the Chief Minister. It is a matter of serious concern that candidates facing criminal prosecution have been appointed as Vice-Chancellors/Pro Vice-Chancellors.

In the premise aforesaid, we are convinced that it is a fit case in which an interim order should be passed by the Court.

Accordingly, the operation of notifications dated 9.2.2013 and 19.2.2013 issued by the Governor-cum-Chancellor, Bihar, appointing the private respondents as Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors of different Universities is stayed and they are restrained from functioning as Vice Chancellors and Pro Vice Chancellors of the concerned Universities.

With a view to ensure that functioning of the various Universities is not jeopardized, we direct that as a purely stop gap arrangement, the senior most Deans in the Universities shall discharge the function of the Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors.

It shall be the duty of the petitioners to serve the remaining respondents well before 16.04.2013.

A copy of this order be sent to the Secretary to the Governor of Bihar by fax. He shall ensure that the entire record relating to the selection of Vice-Chancellors and Pro Vice-Chancellors be sent to this Court in sealed envelopes through a messenger and deposited with the Secretary General of this Court on or before 10.04.2013.

Copies of this order be also sent to the Registrars of all the Universities by fax. They should place the order before the senior most Dean in the concerned University so as to enable him to discharge the function of Vice-Chancellor till the next date of hearing i.e. 16.4.2013.

|(Parveen Kr.Chawla) |Court Master

| |(Phoolan Wati Arora) | |Court Master

के पास है।

''केवल सच'' सामाजिक सरोकार और अपनी जिम्मेदारियों को जानते हुए सरकार को इस आलेख के माध्यम से सुझाव देना चाहती है कि महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति महोदय का पद अलग-अलग होना चाहिए, ताकि राजभवन की महिमा कलंकित होने से बची रहे।

मगध विश्वविद्यालय, गया के कुलपति के रूप में शशि प्रताप शाही की नियुक्ति ही विवादों से शुरू हुई। पूर्व राज्यपाल फागू चौहान ने **UGC** के नियम **7.3.0** Clause 7.3.0 : Vice-Chancellor Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellors.

The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a university system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

The selection of Vice-Chancellor should be through proper identification of a panel of 3-5 names by a Search Committee through a public notification or nomination or a talent search process or in combination.

The members of the above Search Committee shall be persons of eminence in the sphere of higher education and shall not be connected in any manner with the university concerned or its colleges.

While preparing the panel, the Search Committee must give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and abroad, and adequate experience in academic and administrative governance to be given in writing along with the panel to be submitted to the Visitor/Chancellor.

The constitution of the Search Committee could be as per the Act/Statutes of the concerned university.

The Visitor/Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor out of the panel of names recommended by the Search Committee. के स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध, एक विश्वविद्यालय से स्थानांतरण के उपरांत 'पिछले दरवाजे' से उन्हें मगध विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया था। UGC का नियम स्पष्ट है- कुलपति वही व्यक्ति हो सकता है जो उच्चतम स्तर की योग्यता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता का धनी हो; जिसके पास किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव हो। नियुक्ति एक सर्च कमेटी द्वारा सार्वजनिक प्रक्रिया से 3-5 नामों के पैनल के आधार पर होनी चाहिए।

वर्तमान राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने उच्चतम न्यायालय के स्पेशल लीव अपील सिविल नंबर CC-7010/2013 के स्पष्ट आदेश की अनदेखी करते हुए दिनांक 10 फरवरी 2026 को शशि प्रताप शाही को अनंत काल के लिए

मगध विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय का आदेश यह था कि कुलपति का पद रिक्त होने पर केवल विश्वविद्यालय के वरीय प्रोफेसर को ही तात्कालिक प्रभार दिया जाए, लेकिन 10 फरवरी 2026 को पद रिक्त भी नहीं था, फिर यह 'सेवा विस्तार' किस नियम के तहत?

इस पूरी कहानी को समझने के लिए राजनीतिक धागे को पकड़ना जरूरी है। शशि प्रताप शाही बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक कुमार चौधरी के गुरु रहे हैं, जो स्वयं मुख्यमंत्री के मानस पुत्र कहलाते हैं। यह संरक्षण का जो त्रिभुज है-मुख्यमंत्री, मंत्री और कुलपति, यही वह ढ़ाल है जिसके पीछे छुपकर मगध विश्वविद्यालय में वर्षों से लूट का तंत्र चलता रहा।

इस संरक्षण का सबसे शर्मनाक उदाहरण है, समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी का मामला। शांभवी चौधरी मंत्री अशोक कुमार चौधरी की पुत्री हैं। कुलपति शाही ने बिना एक दिन भी विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए उन्हें मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी करा दी। जबकि पीएचडी की मुख्य शर्तों में चार महीने विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन करना अनिवार्य है। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उन हजारों छात्रों के साथ घोर अन्याय है जो वर्षों परिश्रम कर वैध पीएचडी की उपाधि अर्जित करते हैं। 12 दिसंबर 2025 को राजभवन ने स्पष्ट आदेश

दिया कि स्थानांतरण, नियुक्ति, निविदा और नीतिगत निर्णय न किए जाएँ, लेकिन कुलपति शाही ने इस आदेश की भी खुलकर अवहेलना की और उपरोक्त सभी कार्य जारी रखे। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनके पीछे मंत्री अशोक चौधरी का विशेष वरदहस्त था।

❖ **अध्याय तीन : लक्जरी वाहन घोटाला- 44 लाख रू० का प्रश्नः-**

10 नवंबर 2023 को कुलपति शशि प्रताप शाही के प्रत्यक्ष अधिकार में मगध विश्वविद्यालय ने 43,98,899 रू० में दो महिंद्रा

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
बिहार लोक भवन, पटना-800022

पत्रांक-BSU(VC)-45/2019-2315/रा.स.(I). दिनांक-12.12.2025

प्रेषक,

रॉबर्ट एल. चोंग्थू, भाप्रसे
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रो० शशि प्रताप शाही
कुलपति
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया ।

विषयः- विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले नीतिगत निर्णय के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के रूप में आपका कार्यकाल निकट भविष्य में समाप्त होने की स्थिति में माननीय राज्यपाल-सह-कुलाधिपति, बिहार ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्देश देने की कृपा की है कि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के नीतिगत निर्णय/ किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय। इस प्रकार किसी भी नई योजना एवं अन्य नए कार्य जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण/निर्वहण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जाय।

यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यहित में किसी प्रकार के नीतिगत/वित्तीय निर्णय लिये जाने की आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय ।

अनुरोध है कि तदनुसार माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(रॉबर्ट एल. चोंग्थू)
राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- BSU(VC)-45/2019-2315/रा.स.(I). दिनांक-12.12.2025

प्रतिलिपिः- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- BSU(VC)-45/2019-2315/रा.स.(I). दिनांक-12.12.2025

प्रतिलिपिः- राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव कोषांग/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, विश्वविद्यालय शाखा/उप निदेशक (NIC) / आई.टी. मैनेजर को राज्यपाल सचिवालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित / गार्ड फाईल ।

12.12.2025
राज्यपाल के प्रधान सचिव

स्कॉर्पियो वाहन खरीदे। यह खरीद बिहार वित्तीय नियमों के प्रत्येक प्रावधान का उल्लंघन था। बिहार वित्तीय नियम 131J के अनुसार 25 लाख रू० से अधिक की खरीद राष्ट्रीय समाचार पत्रों और इंडियन ट्रेड जर्नल में निविदा प्रकाशित करके ही की जानी चाहिए। 27 नवंबर 2017 की वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2018 से सभी सार्वजनिक संस्थानों के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से खरीद अनिवार्य है। ये मात्र सुझाव नहीं, कानूनी बाध्यताएँ थीं। किंतु कुलपति शाही ने इन सभी आवश्यकताओं की अनदेखी की। न कोई निविदा प्रकाशित हुई, न GeM पोर्टल का उपयोग किया गया। जिस दिन गया की एक ऑटोमोबाइल कंपनी ए.पी.आर. ऑटोमोबाइल से कोटेशन प्राप्त हुए, उसी दिन भुगतान स्वीकृत कर दिया गया, जो पूर्व-निर्धारित सांठ-गांठ का स्पष्ट संकेत है। सबसे आपत्तिजनक तथ्य यह था कि भुगतान परीक्षा निधि से किया गया। वे छात्र जो गाँवों से, गरीब परिवारों से कठिनाई से परीक्षा शुल्क जमा करते हैं, उनका पैसा कुलपति के लिए विलासितापूर्ण एसयूवी खरीदने में लगाया गया। जब ऑडिटरों ने आवश्यकता आकलन, वाहन रजिस्टर और उपयोग के अभिलेख माँगे, तो प्रशासन कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सका।

यदि वाहन खरीद व्यक्तिगत विलासिता की कहानी थी, तो सेंसर नेटवर्क घोटाला सुनियोजित धोखाधड़ी की। कुलपति शाही के कार्यकाल में 1.27 करोड़ रू० का भुगतान एक कैंपस-व्यापी सेंसर प्रणाली की स्थापना के नाम पर किया गया। परामर्शदाताओं की नियुक्ति बिहार वित्तीय नियमों की खुली अवहेलना कर की गई। नियम 131U के अनुसार परामर्श कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, नियम 131 Z के अनुसार 25 लाख रू० से अधिक की सेवाओं के लिए सार्वजनिक विज्ञापन अनिवार्य है। इन सभी नियमों को ताक पर रखकर अपारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्तियाँ हुई, कार्यक्षेत्र परिभाषित नहीं किया गया और लागत अनुमान दर्ज नहीं किया गया। जब ऑडिटरों ने सेंसर स्थापना के प्रमाण-फोटोग्राफ, तकनीकी विशिष्टताएँ, परिचालन दस्तावेज माँगे तो प्रशासन कुछ नहीं दे सका। स्थल निरीक्षण में कोई कार्यशील सेंसर नेटवर्क नहीं मिला। 1.27 करोड़ रू० का धन प्रवाह मौजूद था, कार्य प्रवाह नहीं। फाइलें 'गायब' हो गईं, अधिकारी 'नियमों से अनजान' बन गए और किसी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई।

GOVERNOR'S SECRETARIAT
BIHAR LOK BHAVAN, PATNA-800022

NOTIFICATION

No. BSU(VC/MU)- 11/2022-**172** /GS(I), Dated-**10.02.2026**

Consequent upon the completion of tenure of present Vice-Chancellor, Magadh University, Bodh Gaya namely **Prof. Shashi Pratap Shahi**, on 14.02.2026 the Hon'ble Chancellor, in exercise of powers vested in him under Section 13(2) of the Bihar State Universities Act, 1976 (as amended-upto-date), has been pleased to order **Prof. Shashi Pratap Shahi** to continue for the performance of the duties of Vice-Chancellor, Magadh University, Bodh Gaya with effect from **15.02.2026** till the appointment of regular Vice-Chancellor of Magadh University, Bodh Gaya or until further orders, whichever is earlier.

Further, it is directed not to take any policy decision, without approval of Hon'ble Chancellor for which an order has already been issued vide this Secretariat's letter no. BSU(Directive)-45/2019-726/GS(I), dated-08.05.2020 for strict compliance.

This is purely a temporary arrangement.

By order of the Hon'ble Chancellor
Sd/-
(Robert L. Chongthu)
Principal Secretary to Governor-cum-Chancellor, Universities of Bihar

Memo No. BSU(VC/MU)- 11/2022-**172** /GS(I), Dated-**10.02.2026**

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. **Prof. Shashi Pratap Shahi**, Vice-Chancellor, Magadh University, Bodh Gaya.
2. **The Secretary**, Department of Higher Education, Govt. of Bihar, Patna.
3. **The Registrar**, Magadh University, Bodh Gaya.
4. **The Secretary,** University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.
5. All the Vice-Chancellors, Universities of Bihar.
6. The O.S.D. to Hon'ble Governor/ Principal Secretary Cell / PRO / All concerned Officers/ Concerned Dealing Section Officer, University Section / PBX, Governor's Secretariat, Bihar, Patna.
7. Deputy Director (IT), NIC / IT Manager, Governor's Secretariat for uploading on the Website of Bihar Lok Bhavan, Patna / Guard File.

10.2.2026
(Robert L. Chongthu)
Principal Secretary to Governor-cum-Chancellor, Universities of Bihar

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
AGAUBIHAR@CAG.GOV.IN

PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) BIHAR, PATNA
Birchand Patel Marg
AGAUBIHAR@CAG.GOV.IN

Ltr No: Audit Management Group 2/2024-2025/DIS-1757664
Date: 11 Jun 2024

To,

Vice Chancellor, Magadh University, Bodhgaya

Subject: वेतन का भुगतान लाभुक के खाता में न कर मुख्यालय में पदस्थापित कर्मी के खाता मे किया जाना: राशि रु. 2,06,014/-

Sir/Madam,

I am to forward herewith the audit observation OBS-1370601, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this observation.

The receipt of the audit observation OBS-1370601 may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Ajgaivi Nath Gupta
Assistant Audit Officer

Encls: As above

Copy to:-

Ltr No : Audit Management Group 2/2024-2025/DIS-1757664/C1/For Information
1 Registrar, Magadh University, Bodhgaya
Ltr No : Audit Management Group 2/2024-2025/DIS-1757664/C2/For Information
2 Finance Officer, Magadh University, Bodhgaya

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) BIHAR, PATNA
Birchand Patel Marg

Local Audit Party : AMG II FP 07 AY 2024-25
Auditee Unit Name : Vice Chancellor, Magadh University, Bodh Gaya, Gaya, Bihar
Dated : 11-Jun-24

Audit observation reference : #13 (OBS-1370601)

Subject: वेतन का भुगतान लाभुक के खाता में न कर मुख्यालय में पदस्थापित कर्मी के खाता मे किया जाना: राशि रु. 2,06,014/-

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के लेखाओं का नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में टी.एस. कॉलेज, शेखपुरा, नवादा के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का उपलब्ध कराए गए वेतन विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि कॉलेज द्वारा माह अप्रैल-2023 का वेतन भुगतान हेतु 20 शिक्षकों एवं 53 शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन विवरणी बैंक एडवाइस के साथ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया था, जिसका कुल सकल भुगतेय राशि रु. 80,51,490/- थी। इनमे से 19 शिक्षकों एवं 53 शिक्षकेतर कर्मियों (कुल 72 कर्मी) का वेतन भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा CFMS (Deposit Account No. GYAPLA008) के माध्यम से सीधे इनके बैंक खातों में किया गया था तथा एक शिक्षक के वेतन का भुगतान कॉलेज का Gen. Fund बैंक खाता में अन्य सभी कर्मियों का कुल कटौती (PF, IT, GIC etc.) के साथ किया गया था। कॉलेज द्वारा प्रस्तुत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन विवरणी और बैंक एडवाइस एवं विश्वविद्यालय द्वारा CFMS के माध्यम से कर्मियों को किए गए भुगतान का मिलान CFMS विवरण एवं बैंक एडवाइस से किए जाने पर ज्ञात हुआ कि, श्री डॉ. अनिल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन की राशि रु. 2,06,014/- का भुगतान उनके खाता संख्या 0685000400775721 में न करके, विश्वविद्यालय मुख्यालय में पदस्थापित कर्मी श्री प्रमोद कुमार के खाता संख्या 35828147 43 में किया गया था। इस प्रकार माह अप्रैल-2023 का वेतन भुगतान लाभुक को न करके मुख्यालय में पदस्थापित कर्मी को किया गया था।

चूंकि CFMS से वेतन का निकासी डिपॉजिट अकाउंट मेकर, डिपॉजिट अकाउंट चेकर एवं इसके बाद डिपॉजिट अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर आदि विभिन्न अधिकारियों के द्वारा जाँचोपरांत कर्मी को भुगतान किया जाता है फिर भी इस तरह का लापरवाही CFMS प्रणाली में अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है। यह मामला केवल नमूना के तौर पर जाँच किए गए विषयों के आधार पर है, इस तरह के और भी मामला होने के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही कॉलेज में पदस्थापित शिक्षक का वेतन मुख्यालय में पदस्थापित संबन्धित कर्मी द्वारा अपने खाते में लिया जाना राशि के गंभीर अनियमितता को इंगित करता है।

अतः वेतन की राशि का भुगतान लाभुक को न करके करके मुख्यालय में पदस्थापित कर्मी द्वारा अपने बैंक खाते में किए जाने के औचित्य से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

Assistant Audit Officer

To,
Vice Chancellor, Magadh University, Bodh Gaya, Gaya, Bihar

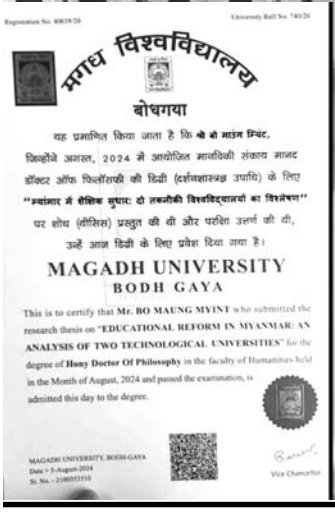

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodhgaya

पत्रांक /74/24 दिनांक 11/12/24

सेवा में,

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय
मगध विश्वविद्यालय थाना
जिला–गया।

विषय : विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग के शिक्षक श्री विष्णु शंकर एवं श्री कैलाश प्रसाद के द्वारा म्यांमार जाकर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री वितरण करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

मैं डॉ० उपेन्द्र कुमार वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में कुलानुशासक पद पर पदस्थापित हूँ तथा माननीय कुलपति के आदेशानुसार यह सूचित करता हूँ कि विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों जैसे फेसबुक इत्यादि से जानकारी मिली है कि मगध विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग में कार्यरत शिक्षक श्री विष्णु शंकर तथा श्री कैलाश प्रसाद के साथ मिलकर दिनांक 29/09/2024 को म्यांमार (वर्मा) की राजधानी यांगुन में जाकर फर्जी तरिके से मगध विश्वविद्यालय की ओर से कई लोगों को मानद डिग्री वितरित की है।

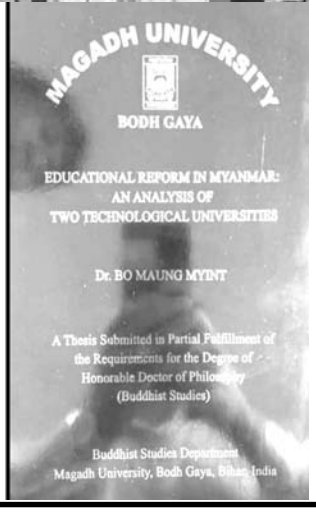

चूँकि मगध विश्वविद्यालय के नाम पर अनाधिकृत रूप से मानद डिग्री वितरित करना एक संज्ञेय अपराध है। अतः आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करते हुए श्री विष्णु शंकर तथा श्री कैलास प्रसाद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाये।

आपका विश्वासभाजन

(प्रो० (डॉ०) उपेन्द्र कुमार)
कुलानुशासक
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

11/12/24

Registered M.U PS case no - 269/24. dt - 11/12/24 u/s - 316(2)/318(4) Bns. S.I Pappu Kumar Chaudhary will investigate this case.
S.I
11/12/24
Sho M.U PS
Gaya

मगध विश्वविद्यालय
बोधगया

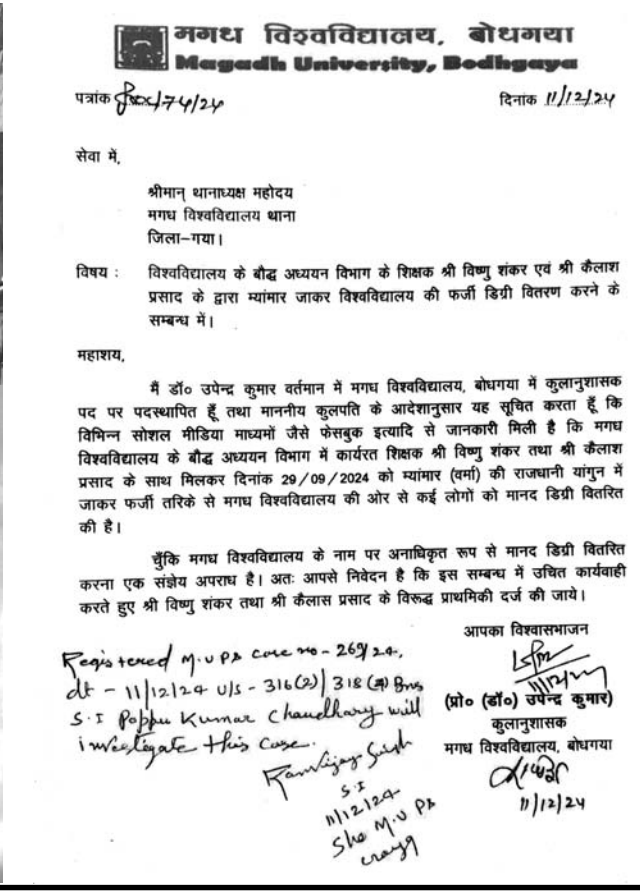

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बो माउंग म्यिंट, जिन्होंने अगस्त, 2024 में आयोजित मानविकी संकाय मानद डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री (दर्शनशास्त्रज्ञ उपाधि) के लिए "म्यांमार में शैक्षिक सुधार: दो तकनीकी विश्वविद्यालयों का विश्लेषण" पर शोध (थीसिस) प्रस्तुत की थी और परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें आज डिग्री के लिए प्रवेश दिया गया है।

MAGADH UNIVERSITY
BODH GAYA

This is to certify that Mr. BO MAUNG MYINT who submitted the research thesis on "EDUCATIONAL REFORM IN MYANMAR: AN ANALYSIS OF TWO TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES" for the degree of Hony Doctor Of Philosophy in the faculty of Humanities held in the Month of August, 2024 and passed the examination, is admitted this day to the degree.

Vice Chancellor

❖ **राज्यपाल के आदेश की सरेआम अवहेलना :-**

12 फरवरी 2021 को राज्यपाल सचिवालय ने संचार संख्या 216 जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया कि संविदा पर पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों का मानदेय एक विशेष सूत्र से निर्धारित होगा। यह राशि अनुबंध अवधि में स्थिर रहेगी। निर्देश स्पष्ट था, वैकल्पिक नहीं। किंतु कुलपति शाही ने इसे अनदेखा किया। 1 फरवरी 2023 को वित्त अधिकारी के रूप में संविदा नियुक्त इंद्र कुमार सिंह को 25 अप्रैल 2023 की अधिसूचना द्वारा संविदा मानदेय के बजाय पूर्ण नियमित वेतनमान–78,800 रू० प्लस पूर्ण भत्ते दे दिए गए। यह कानूनी पात्रता से कहीं अधिक था। यह मात्र वित्तीय अनियमितता नहीं थी, यह आंतरिक वित्तीय निगरानी तंत्र को निष्क्रिय करने की एक सुनियोजित रणनीति थी।

❖ **अध्याय छह : भूमि माफिया से गठजोड़, सबसे बड़ा विश्वासघात**

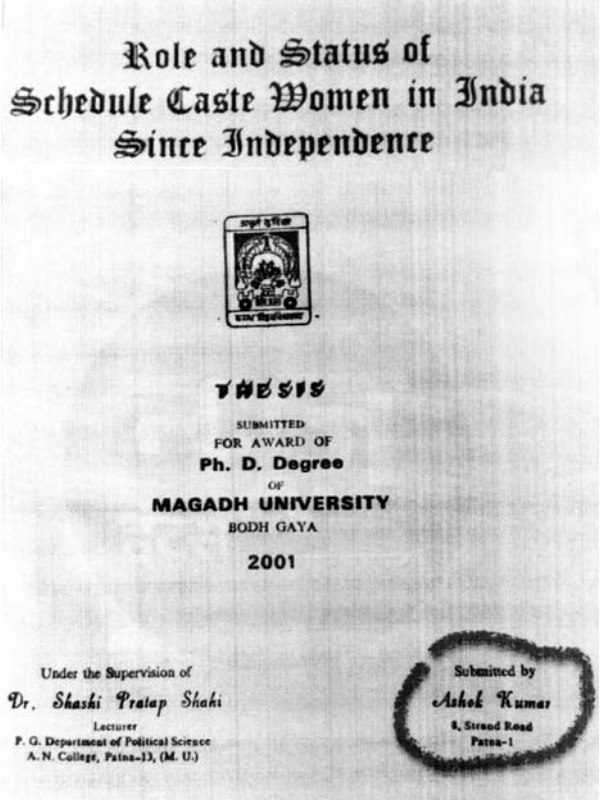

1962 में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना के समय किसानों और बोधगया मठ ने श्रद्धापूर्वक लगभग 400 एकड़ भूमि दान की थी। यह भूमि ज्ञान के मंदिर के लिए, बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए समर्पित थी। कुलपति शाही के कार्यकाल में इस पवित्र भूमि का क्या हुआ? भूमि अतिक्रमण हुआ, न्यायालयी नोटिस गायब हुए, एकपक्षीय (एक्स–पार्टी) आदेश पारित हुए, डिजिटल सर्वेक्षण नहीं हुआ, सीमा–चिह्नांकन नहीं हुआ और कोई स्थायी विधिक प्रकोष्ठ नहीं बनाया गया। श्रीपुर टांड प्रकरण में विश्वविद्यालय की भूमि कथित रूप से महादलित परिवारों के नाम पर दिखाई गई, जबकि वास्तविक नियंत्रण भूमि माफियाओं का था, यहाँ तक कि उस जमीन पर वाटर पार्क जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाए गए। कुलपति ने स्वयं पैसे लेकर विश्वविद्यालय की कई जमीनों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए और उन्हें भूमाफियाओं के हाथ बिकवाया। जिन दानदाताओं ने अपनी

Role and Status of Schedule Caste Women in India Since Independence

THESIS
SUBMITTED
FOR AWARD OF
Ph. D. Degree
OF
MAGADH UNIVERSITY
BODH GAYA
2001

Under the Supervision of
Dr. Shashi Pratap Shahi
Lecturer
P. G. Department of Political Science
A. N. College, Patna-13, (M. U.)

Submitted by
Ashok Kumar
8, Strand Road
Patna-1

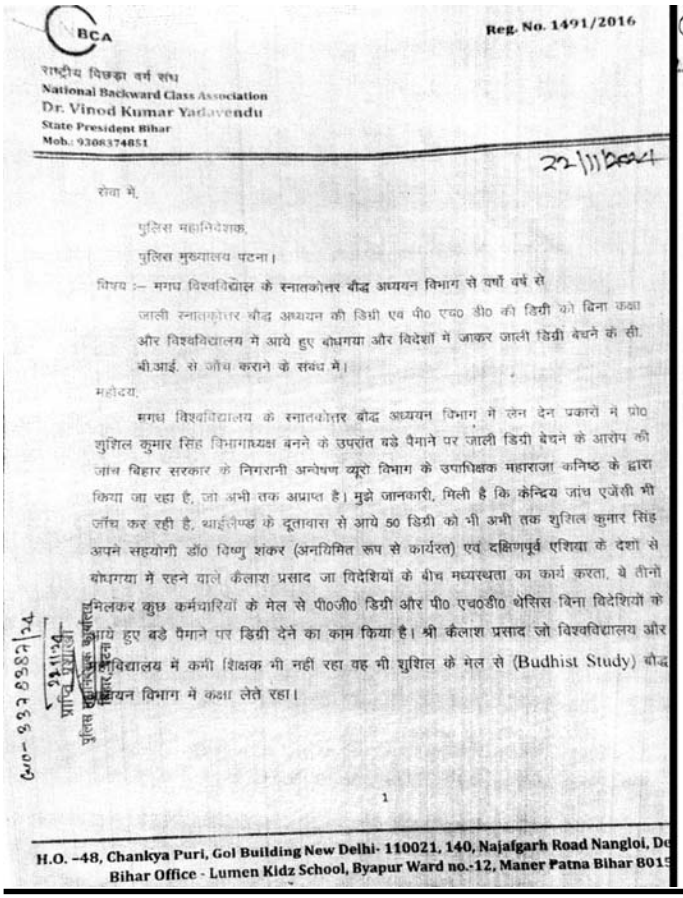

BCA
Reg. No. 1491/2016

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ
National Backward Class Association
Dr. Vinod Kumar Yadavendu
State President Bihar
Mob.: 9308374851

22/11/2024

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,

पुलिस मुख्यालय पटना।

विषय :– मगध विश्वविद्योल के स्नातकोत्तर बौद्ध अध्ययन विभाग से वर्षों वर्ष से जाली स्नातकोत्तर बौद्ध अध्ययन की डिग्री एव पी० एच० डी० की डिग्री को बिना कक्षा और विश्वविद्यालय में आये हुए बोधगया और विदेशों में जाकर जाली डिग्री बेचने के सी.बी.आई. से जाँच कराने के संबंध में।

महोदय,

मगध विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर बौद्ध अध्ययन विभाग में लेन देन प्रकारो में प्रो० शुशिल कुमार सिंह विभागाध्यक्ष बनने के उपरांत बडे पैमाने पर जाली डिग्री बेचने के आरोप की जांच बिहार सरकार के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विभाग के उपाधिक्षक महाराजा कनिष्ठ के द्वारा किया जा रहा है, जो अभी तक अप्राप्त है। मुझे जानकारी, मिली है कि केन्द्रिय जांच एजेंसी भी जाँच कर रही है, थाईलैण्ड के दूतावास से आये 50 डिग्री को भी अभी तक शुशिल कुमार सिंह अपने सहयोगी डॉ० विष्णु शंकर (अनयिमित रूप से कार्यरत) एवं दक्षिणपूर्व एशिया के देशों से बोधगया मे रहने वाले कैलाश प्रसाद जो विदेशियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता, ये तीनो मिलकर कुछ कर्मचारियों के मेल से पी०जी० डिग्री और पी० एच०डी० थेसिस बिना विदेशियों के आये हुए बडे पैमाने पर डिग्री देने का काम किया है। श्री कैलाश प्रसाद जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कभी शिक्षक भी नही रहा वह भी शुशिल के मेल से (Budhist Study) बौद्ध अध्ययन विभाग में कक्षा लेते रहा।

1

H.O. –48, Chankya Puri, Gol Building New Delhi- 110021, 140, Najafgarh Road Nangloi, De
Bihar Office - Lumen Kidz School, Byapur Ward no.-12, Maner Patna Bihar 8015

(14)

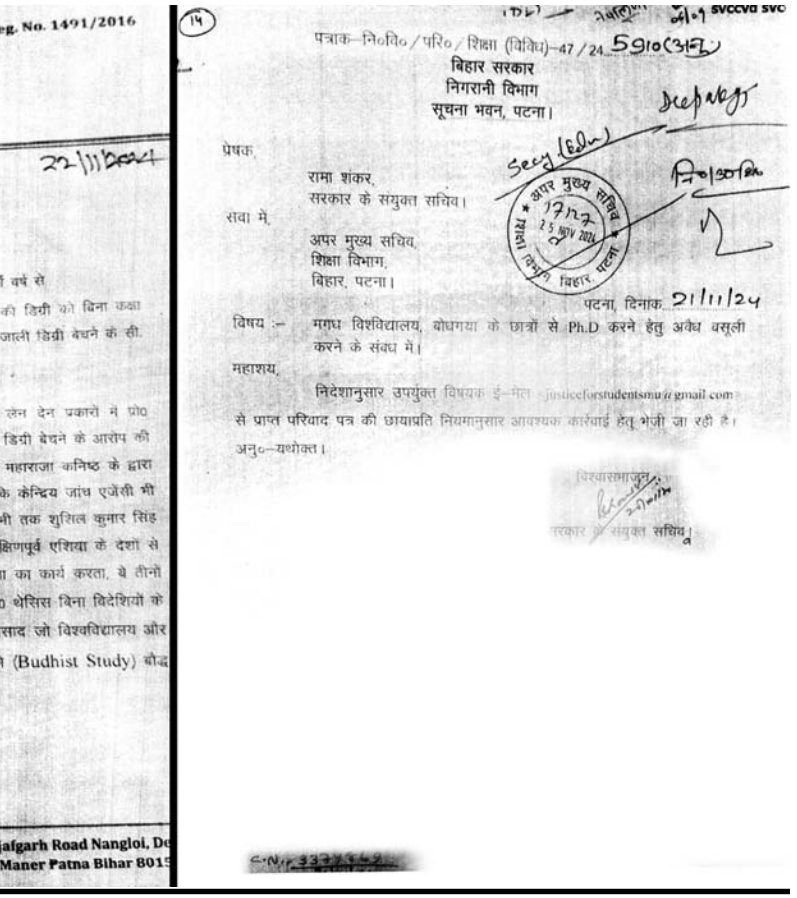

पत्रांक–नि०वि० / परि० / शिक्षा (विविध)–47 / 24 5910(अनु)
बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,
रामा शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनाक 21/11/24

विषय :– मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के छात्रों से Ph.D करने हेतु अवैध वसूली करने के संबध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक ई–मेल justiceforstudentsmu@gmail.com से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

खून–पसीने की कमाई की जमीन शिक्षा के लिए दान की थी, उनकी आत्माएँ आज आहत हैं।

❖ अंतरराष्ट्रीय शर्म : फर्जी डिग्री का वैश्विक व्यापार

शशि प्रताप शाही ने मगध विश्वविद्यालय को न केवल बिहार में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम किया। उन्होंने मगध विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग की नियमित कोर्स की डिग्रियाँ कई बौद्ध–बहुल देशों में ऐसे छात्रों को बेच दीं, जो कभी भारत आए ही नहीं। यह अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक धोखाधड़ी थी। जब मामला सुर्खियों में आया तो सारा दोष विभाग के शिक्षकों विष्णु शंकर और कैलाश प्रसाद के माथे मढ़ दिया गया। कुलपति, जो इस पूरे तंत्र के सूत्रधार थे, साफ बच निकले। यह भी कुलपति शाही की कार्यशैली का एक पहलू था–करना अपना, दोष दूसरों का। इसके अतिरिक्त A.N. कॉलेज पटना के PNB खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया, जंगलों में कॉलेजों को संबद्धता दी गई और फर्जी नियुक्तियाँ और गलत स्थानांतरण किए गए।

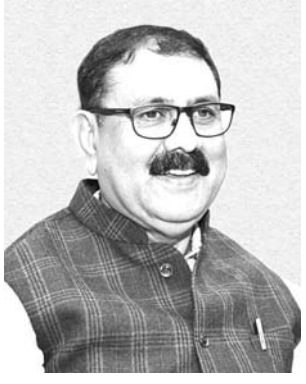

❖ सामाजिक प्रभावः जो खोया, वह अमूल्य था :–

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Statement of Account No: 6236000100027357

Printed By: 5226559
DATE: Dec 30, 2025 11:35:58 AM

Customer Name: A N COLLEGE CENTRE SUPRINTENDENT FUND AND SHASHI PRATAP
CKYC No.: XXXXXXXX
Customer Address: PRINCIPLE A N COLLEG PATNA BIHAR 800013
Branch Address: PATNA,SRIKRISHNAPURI BIHAR BIHAR PATNA 800001
Branch Contact No.: 0612-2540313
Customer Care No.: 1800 1800/1800 2021
IFSC Code: PUNB0623600 MICR Code: 800024021
Acct Currency: INR
Statement for Period : 01-04-2023 to 31-03-2024

Tran Date	Withdrawal	Deposit	Balance	Alpha	CHQ. NO.	Narration	Additional Info
[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	

Page Total	260700.00	314120.00
Grand	260700.00	314120.00

Page 1 of 1

इन सभी घटनाओं का सबसे बड़ा नुकसान आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। जब एक विश्वविद्यालय का कुलपति भ्रष्ट होता है, तो नुकसान केवल 44 लाख रू० या 1.27 करोड़ रू० का नहीं होता। नुकसान होता है उन छात्रों का जो

दैनिक भास्कर पटना 27-09-2025

भास्कर इन्वेस्टिगेशन | जिन 61 कॉलेजों को दी संबद्धता, उनमें से कई जमीन पर ही नहीं

जंगल में बोर्ड, न बिल्डिंग न क्लासरूम, एमयू ने दे दी डिग्री कॉलेज की संबद्धता

जनवरी में वीसी ने किया शिलान्यास, अब टेंट में मिल गई संबद्धता

क्या है मामला

कॉलेज के कर्मी ने कहा-हमारे ओनर दैनिक भास्कर के एडिटर

चार साल पढ़कर एक डिग्री लेते हैं जिसका बाजार में कोई मूल्य नहीं; उन शोधार्थियों का जो अपना पीएचडी पाँच साल में पूरा करते हैं और देखते हैं कि बिना एक दिन के अध्ययन के किसी को राजनीतिक संरक्षण में वही उपाधि मिल जाती है। नुकसान होता है उस दलित या पिछड़े युवा का जो आरक्षण की बैसाखी के सहारे बड़ी मेहनत से विश्वविद्यालय पहुँचा, लेकिन वहाँ की व्यवस्था उसकी मेहनत को नहीं, उसकी जाति को देखती है। नुकसान होता है उस महिला छात्रा का जो विश्वविद्यालय में शिक्षा को अपनी स्वतंत्रता का पहला कदम मानकर आई थी। नुकसान होता है उस बिहार का जो 'सुशासन' के नारे के बावजूद उच्च शिक्षा में देश में पिछड़ता जा रहा है।

❖ **सुझाव और समाधान : आगे का रास्ता :-**

इस संपूर्ण संकट का समाधान केवल एक कुलपति को हटाने से नहीं होगा, इसके लिए एक व्यापक संरचनात्मक सुधार आवश्यक है :-

☞ राज्यपाल और कुलाधिपति के पद को अलग करना अनिवार्य है। जब एक ही व्यक्ति राजनीतिक नियुक्ति का पद (राज्यपाल) और शैक्षणिक नियुक्ति का पद (कुलाधिपति) एक साथ संभालता है, तो शिक्षा का राजनीतिकरण अनिवार्य हो जाता है।

☞ UGC के नियमों का सख्त पालन सुनिश्चित किया जाए।

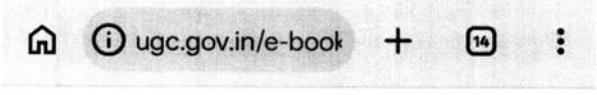

1.6. Qualifications of Vice-Chancellors: The Current Guidelines

Despite more than a century and half of the existence of universities in India there were no specific norms laid down for the qualifications of Vice-Chancellors till 2010. The attributes of a good Vice-Chancellor articulated by the eminent commissions were left to the discretionary interpretation of the government. As long as the governments chose to follow principles of high ethics, this worked well. It broke down the moment society witnessed accelerating corruption in all walks of life and the universities could not escape this phenomenon. Realizing this lacuna the UGC constituted a committee under Prof.S.P.Thyagarajan, former Vice-Chancellor of Madras University to draft the minimum qualifications of various university positions including the Vice-Chancellor. The recommendations were approved by the UGC and became Regulations (UGC, 2010).

Clause 7.3.0 of the UGC Regulations 2010 mandated that *"Persons of the highest level of competence, integrity, morals, and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellors. The Vice-Chancellor to be appointed should be distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a university system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization"*.

It also provided that Vice-Chancellors must be selected through proper identification of a panel of three to five names by a search committee through a public notification or a talent search process or in a combination.

"The members of the search committee shall be persons of eminence in the sphere of higher education and shall not be connected in any manner with the university concerned or its colleges. While preparing the panel, the search committee must give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and abroad, and adequate experience in academic and administrative governance

☞ कुलपति की नियुक्ति में सर्च कमेटी की प्रक्रिया पारदर्शी और सार्वजनिक हो।

☞ विश्वविद्यालय की संपत्ति का डिजिटल सर्वेक्षण और सैटेलाइट मैपिंग तत्काल कराई जाए।

☞ सभी वित्तीय लेन-देन ऑनलाइन और सार्वजनिक डोमेन में हों।

☞ छात्र प्रतिनिधियों को सिंडिकेट में वास्तविक भागीदारी दी जाए।

☞ ऑडिट रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की सार्वजनिक जानकारी अनिवार्य हो।

☞ भ्रष्ट कुलपतियों पर FIR और सम्पत्ति कुर्की की कार्रवाई हो, केवल तबादला नहीं।

❖ **उपसंहार : ज्ञान का दीपक फिर जलाना होगा :-**

नालंदा का वह विश्वविद्यालय, जिसे बख्तियार खिलजी ने जलाया था, वह अग्नि बाहर से आई थी। आज मगध विश्वविद्यालय में जो आग लगी है, वह अंदर से है-भ्रष्टाचार की, राजनीतिक संरक्षण की, अनैतिकता की। किंतु इतिहास गवाह है, ज्ञान की लौ कभी पूरी तरह नहीं बुझती। बिहार के छात्र, शिक्षक, नागरिक समाज और जागरूक पत्रकारिता, यह सब मिलकर उस दीपक को फिर जला सकते हैं। आवश्यकता है सच बोलने का साहस, जवाबदेही माँगने की दृढ़ता और व्यवस्था बदलने की इच्छाशक्ति का।

मगध विश्वविद्यालय को फिर से बिहार के गौरव का प्रतीक बनाना होगा, कुलपति शाही जैसे लोगों का कोठा नहीं! ●

अंधों के लिए हाथी की परिभाषा बना केंद्रीय बजट

● निशिकांत ठाकुर

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लिए वर्ष 2026-27 का बजट संसद में पेश कर दिया। इस बजट का पूरा विवरण जब सामने आएगा, तो उस पर पक्ष-विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा होगी और देशहित के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएंगे। वैसे, आर्थिक समीक्षकों की मानें तो यह बजट देश के लिए उपयुक्त और उच्च वर्ग, मध्यम तथा निम्न आय वर्ग वालों के लिए लाभकारी है। लेकिन, विपक्ष तो इसमें कमियां निकालेगा और बजट की भरपूर आलोचना करेगा। वैसे, यह एक नीतिगत बात होती है कि मूलरूप से सत्तापक्ष की बात को विपक्ष द्वारा स्वीकार कर लेने पर वह फिर शांत बैठ जाएगा, तो समाज को क्या और कैसे बताएगा कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ऐसे में जनता उससे पूछ सकती है कि फिर समाज को आपकी क्या जरूरत है? वैसे, बजट में टैक्स से जुड़ी उम्मीदों के मुताबिक कोई ऐलान नहीं हुआ है। लोगों को उम्मीद थी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में माध्यम वर्ग के हाथ खाली रहे, लेकिन कुछ ऐलानों से उन्हें फायदा होता भी नजर आ रहा है। इनमें जरूरी दवाओं पर ड्यूटी से छूट दिया जाना शामिल है। बजट में कैंसर और शुगर समेत 17 दवाओं पर सीमा शुल्क खत्म कर दिया है। इसके अतिरिक्त कई उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी घटाने से जूते, चप्पल, स्मार्टफोन समेत कई माध्यम वर्ग के उपयोग की चीजें सस्ती हो जाएंगी।

सबसे पहले परिभाषा के रूप में यह समझने का प्रयास करते हैं कि बजट क्या है। तो, अर्थशास्त्रियों ने बजट को एक निश्चित भविष्य की अवधि विशेष रूप पर एक वर्ष के लिए सरकार, संस्था या व्यक्ति की अनुमानित आय और व्यय का विस्तृत वित्तीय ब्योरा है। यह संसाधनों के कुशल आवंटन, वित्तीय नियंत्रण और पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान में इसे श्वार्षिक वित्तीय विवरणश कहा जाता है, जिसमें राजस्व प्राप्तियों और खर्चों का मदवार विवरण शामिल होता है। प्राय: हर व्यक्ति अपनी आय के अनुसार अपना मासिक बजट बनाता है। इसी को यदि विस्तृत स्वरूप में देखें, तो देश यह बजट अपनी हर वस्तु को व्यय और आय के अनुसार बनाता है। इसे प्रत्येक वर्ष देश की सर्वोच्च पंचायत (संसद) में रखा जाता है जहां एक-एक वस्तु पर विस्तृत चर्चा की जाती है, फिर वह पारित होकर महामहिम राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के बाद देश में लागू कर दिया जाता है। कुछ वर्ष पहले तक तो देश के सबसे बड़े उद्योग, यानी रेलवे के बजट को अलग से संसद में रखा जाता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय को ही दे दी गई है। अत: दोनों बजट संसद के पटल पर साथ ही रखे जाते हैं और इसकी जानकारी देश को दी जाती है।

वर्ष 2026-27 के लिए 53.47 लाख करोड़ रुपये का कुल बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि इस बजट में वैश्विक चुनौतियों का खास ध्यान रखा गया है। इसकी वजह यह है कि सात प्रतिशत की विकास गति को कायम रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और पूंजीगत खर्च जी इन्फ्रास्ट्रक्चरिंग पर होने वाले खर्च के नाम से भी जानते हैं, पर खास जोर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से घरेलू स्तर पर वस्तुओं का निर्माण बढ़ेगा, जिससे निवेश और रोजगार में बढ़ोतरी के साथ आयात में भी कमी आएगी और निर्यात बढ़ाने के अवसर पैदा होंगे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा को दर्शाता है, सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। यह बजट भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करेगा। बजट में बड़ी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। इस वर्ष बजट भारत की सुधार एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा।

देश का आमजन बजट का इंतजार इसलिए भी करता है कि किस प्रकार उसकी आय बढ़ेगी और किन वस्तुओं का मूल्य कम होगा और किन वस्तुओं का मूल्य आसमान छूने लगेगा। रोजगार कैसे मिलेगा और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जिसके कारण युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, जिन्हें रोजगार की जरूरत है। यहां अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो चीन की जो जनसंख्या विश्व की सबसे बड़ी थी, लिहाजा वहां रोजगार का भी बड़ा संकट था, लेकिन चीन ने अपने देश की जनसंख्या को भी नियंत्रित किया और बेरोजगारी को भी खत्म किया। लेकिन, हमारा देश इन दोनों मामले में अभी कमजोर है। अच्छी बातों को सीखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, परंतु हम अपनी कमी की दूर करने के लिए किसी से सीखने में परहेज करते हैं। इस वित्त वर्ष में आयातित दवाएं, स्मार्टफोन तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान, चमड़े की सामग्री, मसलन- जूते, बैग और जैकेट, मखाना और भुने हुए नट्स, माइक्रोवेव, क्रिकेट बैट्स सहित टेनिस रैकेट, विमान के इंजन कम्पोनेंट्स तथा पार्ट्स, सोलर ग्लास, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित सामान, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत सामान के भी मूल्यों में कमी की गई है। इसी तरह कुछ उपयोगी सामग्री को मंहगा भी किया गया है। विश्लेषक कहते हैं कि कुल मिलाकर यह बजट देश के विकास को गति प्रदान करेगा और समाज में जीने के लिए समान अवसर मिलेगा।

ऐसा नहीं है कि इस बजट की कोई कमी नहीं हो, लेकिन हां, 140 करोड़ के भारी-भरकम देश के प्रत्येक नागरिक का हित देखना आसान बात नहीं है। सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि सभी को समान अवसर दिए जाएं। लेकिन, विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है, जिसके कारण उसे अहम माना जाता है। सत्ता से अलग विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बजट पर कहते हैं कि मोदी सरकार के पास अब सोच की कमी है, आइडिया खत्म हो गए हैं, इसीलिए भारत की कई आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों में से एक का भी समाधान यह बजट नहीं देता है। सरकार का कोई नीतिगत दृष्टिकोण नहीं है, साथ ही कोई इच्छाशक्ति भी नहीं है। इसी तरह कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि बजट को लेकर जो माहौल बनाया गया था, उसके मुकाबले कहीं कमतर है। भाषण भी पारदर्शी नहीं था, क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम इस बजट को असंतोषजनक और असफल करार देते हुए कहते हैं कि वित्तमंत्री का भाषण सुनकर अर्थशास्त्र का हर छात्र तथा बजट पर टिप्पणी करने वाले लोग हैरान होंगे। उनका कहना है कि बजट भाषण का ऐसा नैरेटिव प्रस्तुत करना चाहिए था जो आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लखित चुनौतियों का समाधान करे।●

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं

बेटियों की 'बोली' लगाते नेता और मूकदर्शक समाज

● **निशिकांत ठाकुर**

नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रेमिका एमिली को लिखे एक पत्र में कहा था, 'भारत एक अजीब देश है। इस देश में सत्ता हासिल करने वालों को नहीं, त्याग करने वालों को सम्मान मिलता है।' सुभाष बाबू ने ऐसा इसलिए कहा होगा, क्योंकि वह बुद्धिजीवी थे और दूसरों की मानसिकता को पलक झपकते ही भांप लेते थे। लंबे समय तक राजनीतिज्ञों की छल को समझने में माहिर नेताजी ने दूर से ही यह भांप लिया होगा कि सत्ता हासिल करने के बाद राजनीतिज्ञों की मानसिकता किस तरह एकाएक बदल जाती है। जिस नारी सम्मान के लिए उनके चरणों में लेटकर, अपने माथे को टेक कर जीत हासिल करने का वरदान मांगते हैं, उन्हीं नारियों के प्रति किस तरह की घटिया सोच रखते हैं, इसके एकाध दर्जनों उदाहरण आज आपके सामने है। सच तो यह है कि ऐसे लोग नाटकीय ढंग से राजनीतिज्ञ का चोला उतारकर भूखे और रंगे सियार हो जाते हैं। फिर जब उनका ओढ़ा हुआ रंग उतरने लगता है, तब समाज उन्हें पलटकर भागने का अवसर नहीं देता है। सत्य के आचरण के के साथ जो कोई भी समाज को सही मार्ग दिखाता है, समाज भी उन्हें सम्मान देता है, यहां तक कि उसे 'महात्मा गांधी' तक बना देता है।

आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव का पूर्व विधायक, जिसे 2019 में दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व विधायक को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित किए जाने के बाद इस पर देश भर में खासा विवाद हुआ। दुष्कर्म पीड़िता ने इसके विरोध में अपनी मां के साथ

दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग हाथ में तख्ती लेकर सेंगर के समर्थन में सामने आए थे। हालांकि, पिछले वर्ष 29 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने सेंगर की सजा निलंबित करने से मना कर दिया, जिस वजह से दुष्कर्मी पूर्व विधायक अब भी जेल में ही बंद है।

18 सितम्बर, 2022 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गंगा-भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट में

मृतिका अंकिता भंडारी

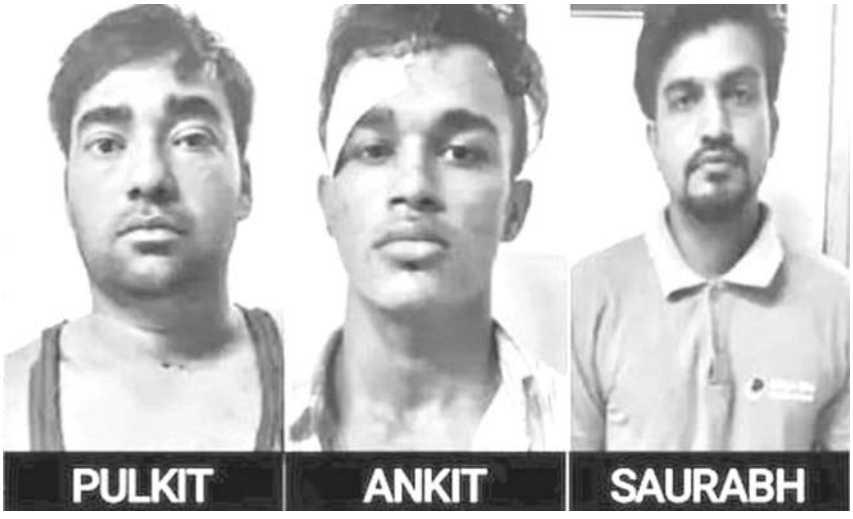

अंकिता भंडारी नामक एक रिसेप्शनिस्ट के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने और ढंग से जांच नहीं होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर दुष्कर्म व हत्या की इस वारदात को प्रचार मिला। अंकिता की मां के दावों से मामले को अधिक तूल मिला। हालांकि, पुलिस के आरोप में प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने के दावे को शामिल नहीं किया गया है। इस मामले के प्रमुख अभियुक्त पुलकित आर्य के साथ रिजॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर के साथ रिजॉर्ट के सहायक प्रबंधक ने अंकिता भंडारी की हत्या की बात कबूल कर ली है। उन पर फिलहाल अपहरण और हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा है। दुष्कर्म व हत्या के इसी सनसनीखेज मामले के तत्काल बाद उत्तराखंड से ही अब फिर वहां के एक सिरफिरे नेता का ऐसा बयान सामने आया है, जो हर 'बिहारी' का खून खौलाने वाला है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कुछ लड़कों की शादी नहीं होने पर तंज कसते हुए कह रहे हैं, 'क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? अभी तक तो तुम्हारे तीन-चार बच्चे हो जाते।

लड़की हम तुम्हारे लिए बिहार से ले आते हैं। बिहार में लड़की 20-25 हजार रुपये में मिल जाती है। चलिए मेरे साथ, तुम्हारी शादी करवाते हैं।' उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के इस बयान ने बिहार से लड़कियों की शादी के नाम पर होने वाली खरीद-फरोख्त को चर्चा में ला दिया है। एक कार्यक्रम में गिरधारी लाल साहू पार्टी कार्यकर्ताओं से कहते पाए गए कि बिहार में लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं। लड़कियों को 'खरीद-फरोख्त की वस्तु' बताने वाले इस बयान पर बिहार महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए साहू को नोटिस दिया है। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंत्री पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए इसकी जानकारी देने को भी कहा है। इस विवाद पर जब हमने बिहार की एक सामान्य महिला की प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया, तो उनका कहना था कि इस नेता को केवल एक बार बिहार आना चाहिए। उसके बाद निश्चित रूप से गंदे नाले के उस कीड़े के साथ क्या सलूक किया जाएगा, यह तो बिहार की लड़कियां ही बताएंगी। उनका यह भी कहना था यदि वह नेता बिहार में लड़कियों के बीच आ गया, तो हो सकता है उसका मुंह विषधर की तरह कुचल दिया जाए या फिर उसे पुरुष कहलाने योग्य ही न छोड़ा जाए। हालांकि, विवाद बढ़ने और नोटिस मिलने के बाद गिरधारी लाल साहू ने माफी मांग ली है।

उत्तर भारतीयों की लड़कियों के लिए तमिलनाडु के नेता दयानिधि मारन ने कहा कि 'एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में चल रही सरकार एक द्रविड़ मॉडल की सरकार हैं, जो सबके लिए सब कुछ पर विचार करके काम करती है। तमिलनाडु में हम महिलाओं को पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? वह कहता है कि लड़कियों को काम पर नहीं

अंकिता भंडारी के माता-पिता एवं इसाफ में खड़े लोग

पुष्कर सिंह धामी,
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

रेखा आर्या
मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार

गिरधारी लाल साहू
पति, रेखा आर्या

अप्सरा, अध्यक्ष
बिहार राज्य महिला आयोग

जाना चाहिए, घर पर रहना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा काम है।'

उल्लेखनीय है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के आंकड़ों में बताया गया है कि महिला सशक्तिकरण सूचकांक में उत्तर भारत के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार का स्कोर क्रमशः 19.06 और 19.18 है, वहीं तेलंगाना

17.4 है। अब ऐसे अज्ञानी नेताओं को किस तरह समझाया जाए कि बिना अध्ययन अथवा स्कोर का आंकड़ा समझे एकतरफा बयान देने से समाज में जय-जयकार नहीं होती, बल्कि ऐसे घटिया सोच वाले नेता सदैव वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की तेल मालिश करके ही अपना गुजारा करते हैं। बता दें कि तमिलनाडु में इसी वर्ष चुनाव है और चुनाव से पहले वोटों के लिए सार्वजनिक मंच से इस प्रकार के विवादित बयान देना केवल सत्ता पर काबिज होने ही लालसा और कूटनीति का ही द्योतक है। ऐसे नेताओं का उद्देश्य वही होता है, जो बम्बई के तकलीन गवर्नर लार्ड एलफिन्स्टन ने 14 मई, 1859 को एक बैठक में कहा था श्बांटो और राज करो। दयानिधि मारन की टिप्पणी पर भाजपा ने कहा कि मारन हिंदी भाषियों से माफी मांगें, उनमें समझ की कमी है।

एक ओर जहां हमारे प्रधानमंत्री 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की बात करते हैं, वहीं समाज की गंदगी से निकले नेता इस प्रकार के अपमानजनक बयान देने से बाज नहीं आते। निश्चित रूप ऐसी मानसिकता वाले राजनीतिज्ञों की मानसिकता की जांच कराई जानी चाहिए। समाज को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई राजनीतिज्ञ किस परिवेश से राजनीति में आया है? उसका पालन पोषण कैसा होता आया है? बहू-बेटियों के प्रति उसकी सोच, धारणा और इतिहास क्या रहा है? समाज के साथ ही इस बात का निर्णय पार्टियों के शीर्ष पर बैठे नेताओं को भी करना पड़ेगा, अन्यथा इस तरह की गंदी मानसिकता और सोच के नेता समाज को आगे बढ़ाने के स्थान पर उनके मन में घृणा, द्वेष भरते रहेंगे। ऐसे में देश आगे कभी नहीं बढ़ सकेगा। अतः ऐसे घृणित मानसिकता वाले राजनेताओं से समाज को निजात दिलाना ही पड़ेगा, अन्यथा भारत की अपनी संस्कृति को नष्ट होते हम अपनी आंखों से देखते रह जाएंगे, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाएंगे।●

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं)

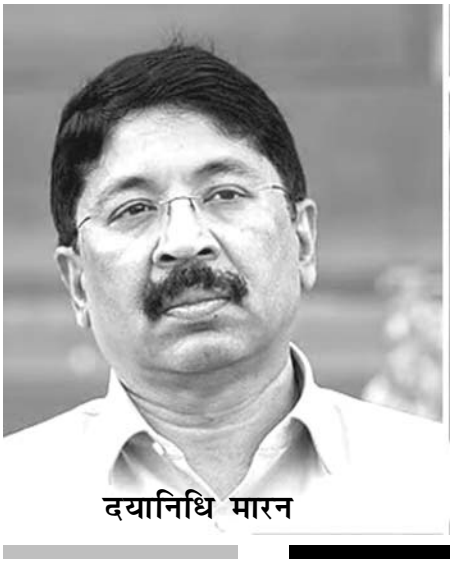
दयानिधि मारन

एम.के. स्टालिन

स्याही नदी तट पर खनिज खोज को लेकर सिस्मिक सर्वे शुरू

● धर्मेन्द्र सिंह

गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड स्थित स्याही नदी के तटीय क्षेत्रों में संभावित खनिज संसाधनों की खोज को लेकर सिस्मिक सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर चल रही इस वैज्ञानिक जांच का कार्य अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। सर्वे के दौरान विभिन्न स्थानों पर ड्रिलिंग कर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जा रहा है। कंपनी की टीम द्वारा मंगलवार को कई चिन्हित स्थानों पर ड्रिलिंग एवं नियंत्रित विस्फोट (कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन) की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को संग्रहित किया गया।

कंपनी के पीआरओ संजीव कुमार ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार की पहल पर संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य जमीन के भीतर मौजूद संभावित खनिज एवं हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पता लगाना है। उन्होंने बताया कि सिस्मिक सर्वे के लिए गंगा बेसिन ब्लॉक आवंटित किया गया है, जिसमें यह क्षेत्र भी शामिल है। पूर्व में हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित प्वाइंट्स पर अब जमीनी प्रक्रिया शुरू की गई है। सर्वे के तहत पहले जमीन में लगभग 20 से 30 फुट तक ड्रिलिंग की जाती है, इसके बाद सीमित शक्ति वाले नियंत्रित विस्फोट कर कृत्रिम भूकंपीय तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। इन तरंगों से जमीन की परतों के भीतर मौजूद चट्टानों एवं संरचनाओं का डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनी अधिकारियों के अनुसार यह तकनीक दशकों से तेल, गैस और खनिज की खोज में प्रयोग की जा रही है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित मानी जाती है, बशर्ते सभी मानकों का पालन किया जाए। फिलहाल टू-डी सिस्मिक सर्वे किया जा रहा है, जिसके आंकड़े जांच के लिए आंध्र प्रदेश स्थित प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। रिपोर्ट में खनिज या हाइड्रोकार्बन के संकेत मिलने पर अगले चरण में थ्री-डी सिस्मिक सर्वे कराया जाएगा। हालांकि सर्वे को लेकर लोहटी सहित आसपास के गांवों में लोगों के बीच आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन के भीतर विस्फोट से भविष्य में पर्यावरण और भूमि की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। लोहटी निवासी मिथिलेश पांडेय ने बताया कि सर्वे के दौरान इडी ब्लास्ट किया जा रहा है, जिससे मिट्टी धंसने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कम प्रभाव वाले एनइडी ब्लास्ट की मांग की। वहीं राकेश पांडेय ने अपनी जमीन पर ड्रिलिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ग्रामीण अनूप पांडेय ने कहा कि सर्वे से पहले किसानों को विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए, जबकि कंपनी द्वारा दिखाया जा रहा पत्र एक वर्ष पुराना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सर्वे से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि यदि सर्वे में खनिज भंडार की पुष्टि होती है तो सरकार नियमानुसार भूमि का सीमित अवधि के लिए अधिग्रहण कर सकती है और प्रभावित किसानों को निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा।

☞ **यूपी से बिहार में प्रवेश करती है स्याही नदी :-** स्याही नदी उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट, पंचदेवरी, कटेया और भोरे प्रखंडों के सैकड़ों गांव इसके किनारे बसे हैं। बुजुर्गों के अनुसार एक समय यह नदी क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाती थी, लेकिन अब अधिकांश इलाकों में इसका प्रवाह लगभग समाप्त हो चुका है। भोरे प्रखंड में इसका आंशिक प्रवाह दिखाई देता है, जबकि आगे सीवान जिले के मैरवा के पास यह झरही नदी में मिलकर दरौली के समीप सरयू नदी में समाहित हो जाती है। हवाई सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित स्थानों पर अब नदी के गर्भ में खनिज संसाधनों की संभावनाओं की वैज्ञानिक जांच जारी है। आने वाले महीनों में लैब रिपोर्ट के बाद ही क्षेत्र में खनिज संसाधनों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगा।●